खण्ड २ — अंक ३६
१० अप्रैल, १९५६, (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ से १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१४ से १३१७, १३१९ से १३२१, १३२३ से १३२५, १३२७ से १३२९, १३३१, १३३३ से १३३५ और १३०० ... ... १२७४–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०२, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१८, १३२२, १३२६, १३३०, १३३२, १३३६ और १३३७ १२९६–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४१, ८४२ और ८४४ से ८६४ ... ... १३००–०७

दैनिक संक्षेपिका १३०८–०९

लोक-सभा वाद-विवाद

भाग १--प्रश्नोत्तर

लोक-सभा

मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट

†*१३०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के किस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है; और

(ख) कितने नये निजी उद्योगपतियों ने सीमेंट के कारखाने चलाने के लिए लाइसेंस मांगे है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित विकास कार्यक्रम के अनुसार ४९·३ लाख टन की वर्तमान वार्षिक संस्थापित क्षमता को १९६०–६१ तक १२१·३ लाख टन तक बढ़ा देने की प्रस्थापना को गई है ।

(ख) सीमेंट के नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंसों के लिये १० प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या सौराष्ट्र के किसी समवाय ने ऐसे लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, और यदि हां, तो सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री कानूनगो :** बहुत से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं, जिन में सौराष्ट्र से भी हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि यद्यपि मांग बहुत हैं तथापि जब तक कि हम अपने लक्ष्य को न बढ़ायें, विकास का प्रश्न ही नहीं उठेगा । दूसरा कारण परिवहन व्यवस्था की आवश्यक कच्चा और तैयार माल लाने ले जाने की असमर्थता है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** १२० लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये, क्या सरकार की लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, सीमेंट के मूल्य को घटाने की कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो :** वर्तमान मूल्य, कारखानों के स्थानों को देख कर प्रशुल्क आयोग के परामर्श से निश्चित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० पी० नायर** : मेरा प्रश्न यह है कि .....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अग्रेतर उत्पादन के बाद मूल्य कम हो जायेंगे ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ मूल्यों में भी कोई उत्तरोत्तर कमी होनी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : जब हम मांग पूरी नहीं कर सकते, तो हमें यही करना पड़ता है कि मूल्य बढ़ जायें ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या भद्रावती के सीमेंट कारखाने को बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार को विदित है दुर्ग के कारखाने में तैयार होने वाला सीमेंट की सामान्य दर से २२ रुपये प्रति टन अधिक मूल्य पर बेचा जाता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह निस्संदेह सच है कि सीमेंट की बहुत कमी है । हमारा उत्पादन इस समय लगभग ५० लाख टन है, और जैसा कि मैंने सदन में एक पिछले अवसर पर कहा था, हमारी मांग ८,३५,००० टन प्रति मास है अर्थात् जो बढ़ कर लगभग १०० लाख टन हो जाती है । जब मांग और संभरण में ५० लाख टन का अन्तर हो, तो इन सब बातों का उत्पन्न होना अनिवार्य है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या इस अत्यधिक कमी का जिस का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया ह, आंशिक रूप से कारण पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में नये कारखाने स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस देने में सरकार अनिच्छा प्रकट करती रही है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसी बात फिर न हो और मंजूरी देगी ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : प्रश्न के पहले भाग में जो अभिधारणा है मैं उस का निश्चित रूप से प्रतिवाद करता हूं । हम न केवल लाइसेंस देने के लिये बल्कि लोगों को विकास योजनायें प्रारम्भ करने और नये उपक्रम शुरू करने के लिये प्रेरित करने के लिये भरसक प्रयत्न करते रहे हैं । इसी लिये मेरे सहयोगी यह कहने की स्थिति में थे कि १९६० तक हम १२० लाख टन सीमेंट का उत्पादन कर सकेंगे । इसलिये हमें अपनी स्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, संभव है कि अगले दो वर्षों में शीघ्रता से हम उत्पादन में वृद्धि कर लें । एक बात तो यह है कि योजना आयोग ने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है—मेरे विचार में वह करेगा । दूसरी अड़चन रेलवे की सीमेंट या इस प्रयोजन के लिये आवश्यक कच्चा माल ले जाने की क्षमता है ।

इस सम्बन्ध में मैं अपने सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में थोड़ी सी शुद्धि करना चाहूंगा । उन्होंने कहा था कि भद्रावती के कारखाने को और बढ़ाने का विचार नहीं है । किन्तु १८,००० टन की वृद्धि करने की एक योजना की मंजूरी दी जा चुकी है ।

†**श्रीमती अम्मूस्वामीनाथन्** : माननीय मंत्री के अनुसार जब कि सीमेंट की इतनी कमी है, तो इतना सीमेंट चोर बाजार से कैसे उपलब्ध हो जाता है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यदि माननीय सदस्या मुझे यह ब्योरा दे सकें, कि वह सीमेंट कहां से ले सकती हैं, तो मैं उनका आभारी रहूंगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय मंत्री ने कहा कि मांग काफी बढ़ गई है । सरकार ने उन कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में, जिनके लिये तीन वर्ष पूर्व लाइसेंस दिये गये थे, शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मैंने कहा कि हम सदा लोगों को कारखानों को बढ़ाने या नये कारखाने स्थापित के लिये प्रेरित करते रहे हैं। तीन वर्ष से ऐसा ही किया जा रहा है। किन्तु मेरे माननीय मित्र का यह कहना सच नहीं कि तीन वर्ष पूर्व सीमेंट की कमी थी। तीन वर्ष पूर्व भारत के विभिन्न भागों में सीमेंट का अतिरेक था।

बहुत से माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को इस विषय में बहुत रुचि है। यदि वे किसी दिन साढ़े पांच के बाद बैठने के लिये तैयार हों, तो मैं इस के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने के लिये तैयार हूं।

बुद्ध के सम्बन्ध में चलचित्र

†*१३०४. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भगवान बुद्ध की २५००वीं जयन्ती के स्मरणोत्सव के सम्बन्ध में बुद्ध के जीवन की एक घटना के बारे में एक पूरी लम्बाई का चलचित्र बनाने के लिये थाईलैंड ने भारत सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस चलचित्र की शूटिंग भारत में किये जाने के लिये सब सुविधायें देना स्वीकार किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) और (ख). जी हां, दिसम्बर १९५५ में थाई सरकार ने हमारे एक सूचना पदाधिकारी की सेवाओं के लिये प्रार्थना की थी, जो उसे बुद्ध जयन्ती उत्सव के सम्बन्ध में एक फिल्म बनाने में सहायता दे। भारत सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था और एक पदाधिकारी की सेवायें छः मासों के लिये उसे दे दी गई है।

बुद्ध के सम्बन्ध में प्रत्येक चलचित्र बड़ी सावधानी से बनाना आवश्यक है। विशेषतया, कथानक ऐसा होना चाहिये जो बौद्धों को और बुद्ध का सम्मान करने वालों को स्वीकार हो। इन मामलों पर अब विचार किया जा रहा है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड :** थाइलैंड सरकार ने किस प्रकार की सहायता मांगी थी और थाई सरकार की प्रार्थना को स्वीकार करने में हमारी सरकार द्वारा कितना अनुमानित व्यय किये जाने की संभावना है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। हमारे एक पदाधिकारी की सेवायें थाई सरकार का ऋण के रूप में दी गई हैं। वही उस का वेतन, सेवा निवृत्ति अन्शदान आदि देगी।

†**श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या बुद्ध की २५००वीं जयन्ती के सम्बन्ध में सरकार का बुद्ध के जीवन के बारे में एक चलचित्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा :** यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

बांधों की अनुमित जीवन-अवधि

†*१३०५. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभिन्न बांधों की, जो बनाये जा चुके हैं या बनाये जा रहे हैं, जीवन अवधि का अनुमान पूरी तरह लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी के बांधों और हीरा कुड बांध की अनुमानित जीवन अवधि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां । बांध की अवधि का अनुमान सदा ही परियोजनाओं की जांच के समय लगाया जाता है ।

(ख) **दामोदर घाटी के बांध**

तिलैय्या	२३७	वर्ष
कोनार	१६२	,,
माइथौन	११०	,,
पंचेत	४२	,,

हीराकुड बांध—सौ वर्षों से अधिक ।

ये आंकड़े बांधों की संग्रहधारिता के सम्बन्ध में हैं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या इन बांधों से रेत प्रति वर्ष साफ किया जायेगा या पांच या दस वर्षों के बाद ?

†**श्री हाथी** : जहां तक रेत साफ करने का सम्बन्ध है, इस के लिये स्वयं इमारत में ही ऐसे प्रबन्ध किये जा रहे हैं, जिससे कि रेत निकालने और खोदने का यह काम अपने आप होता रहता है । किन्तु इसके अतिरिक्त, भू-संरक्षण जैसे अन्य उपाय भी करने होंगे ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : पंचेत बांध की जीवन-अवधि केवल ४२ वर्ष निश्चित की गई है । इसके इतना कम होने का क्या कारण है ?

†**श्री हाथी** : यह अनुमान किया जाता है कि पंचेत पहाड़ी के जलागम क्षेत्र में बहुत अधिक रेत जमा हो जायेगा, और भू-संरक्षण के लिये उपाय भी करने होंगे । यह पूरे आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तथापि यह भी गणना कर के निश्चित किया गया है । दामोदर घाटी निगम भू-संरक्षण के लिये उपाय कर रही है । और इस से बांध की जीवन-अवधि के बढ़ जाने की संभावना है । पांच वर्ष के बाद और आंकड़े इकट्ठे किये जायेंगे, और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री बी० डी० पाँडे** : क्या इन बांधों को १०० वर्ष के बाद फिर से बनाना पड़ेगा, अथवा जो इतना रुपया खर्च किया गया है उस का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह प्रश्न उस समय की सरकार से पूछ सकेंगे ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या बांधों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिये इस मंत्रालय के अधीन कोई गवेषणा कार्य किया गया है और क्या बांधों के लिये किये गये कंकरीट के ढांचों के सम्बन्ध में कोई विशेष गवेषणा कार्य किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : बांध की जीवन अवधि का उल्लेख करते समय मेरा आशय बांध के पक्के ढांचे की अवधि से नहीं है; इससे आशय यह है कि जलाशय के पानी का उपयोग कब तक हो सकेगा कुछ समय के पश्चात रेत जमा हो जायेगा और जब समूचा जलाशय रेत से पूर्ण रूप से भर जायेगा; तो यह बेकार हो जायेगा; अर्थात् हमें पानी नहीं मिल सकेगा । इस का आशय बांध के पक्के या कंकरीट के ढांचे की अवधि नहीं है बल्कि जमा किये जाने वाले पानी का उपयोग किये जा सकने की अवधि से है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : प्रश्न यह नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कासलीवाल ।

†**श्री कासलीवाल** : संभवतः सरकार को विदित है कि उन बांधों के अतिरिक्त जो हाल ही में बनाये गये हैं या बनाये जा रहे हैं, देश में कुछ और बांध भी हैं, जिन्हें बने कुछ समय हो चुका है । क्या सरकार ने इन की जीवन-अवधि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** जी हां । हम ने विभिन्न बांधों और उनकी संग्रह धारिता सर्वेक्षण किया है ।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या जलाशय क्षेत्र में वनों के काटे जाने के बाद, जलाशय की गहराई में इतना रेत जमा हो जायेगा कि बाधों की जीवन-अवधि उनकी गहराई के सम्बन्ध में उतनी नही रहेगी जितनी कि अनुमानित है, और यदि हां, तो क्या ऐसे जलागम क्षेत्रों में, जहां वन काट दिये गये हैं; पुनः बन लगाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** स्वाभाविकतया, जलागम क्षेत्रों में वनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है । जब तक कि भू-संरक्षण सम्बन्धी उचित उपाय न किया जाये, तो बांधों की जीवन-अवधि में, उस अर्थ में जैसा कि मैं ने स्पष्ट किया, कमी हो जाने की संभावना है । अतः जलागम क्षेत्र में उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या यह की जा रही है ?

†**श्री हाथी :** जी, हां ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** भारत में बांधों की औसत जीवन-अवधि अमेरिका और रूस के बांधों की जीवन-अवधि की तुलना में कितनी है ?

†**श्री हाथी :** भारत के बांधों की औसत जीवन अवधि की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि मैं ने बताया, एक की जीवन-अवधि २३७ वर्ष हो सकती है और दूसरे की ४२ । हम औसतों से हिसाब नहीं लगा सकते । यह तो नदी विशेष के जलागम क्षेत्र पर निर्भर है ।

सामान्य सर्पगन्धा

†***१३०६. डा० रामा राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (१) आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये और (२) विदेशी मंडियों में बेचने के लिये सामान्य सर्पगन्धा के उत्तम प्रकार के सत (एक्सट्रेक्ट) तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** न केवल देश की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये बल्कि निर्यात मंडियों के लिये देश में सर्पगन्धा का सत (एक्सट्रेक्ट) निजी फर्मों द्वारा तैयार किया जाता है ।

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार को विदित है कि भारत में बनाई जाने वाली कुछ औषधियों के प्रमाप के बारे में कुछ गंभीर शिकायतें हैं और भारत में विदेशी औषधियों की मांग बढ़ रही है ?

†**श्री कानूनगो :** सामान्य रूप से ऐसा होना संभव है क्योंकि यह उपभोक्ता की पसन्द का प्रश्न भी तो आता है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादक आन्तरिक आवश्यकताओं और निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं । क्या इसी कारण सामान्य सर्पगन्धा को उसके मूल रूप में निर्यात नहीं किया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** निर्यात की अनुमति है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** स्थानीय और विदेशी बाजारों के लिये इस जड़ी बूटी की उपज को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** इसकी उपज पहले से ही काफी है । बागान लगाने का अभी प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव :** इन बातों को दृष्टि में रखते हुये कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधि का उत्पादन संतोषजनक ढंग में नहीं हो रहा है और इस बात को देखते हुये भी कि विदेशी बाजारों में इसकी मांग कम हो रही है क्योंकि वहां सामान्य सर्पगन्धा की बजाये किसी अन्य स्थानापन्न वस्तु का प्रयोग करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, क्या सरकार इस औषधि की उच्च प्रभावयुक्त किस्म का उत्पादन करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य का अनुमान ठीक नहीं है । क्योंकि इसको बनाने वाले अधिकतम सार्थों को औषधि अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और वे उसी के नियंत्रण में काम करती हैं । इसका अर्थ यह है कि उनकी निर्माण क्षमता और निर्माण प्रणाली का निरीक्षण किया जा सकता है । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं यह बता दूं कि अब भी इसका काफी निर्यात हो रहा है। इसकी किस्म के अच्छा होने पर इसकी मांग और भी बढ़ने की आशा है, और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे उत्पादन की प्रतियोगीय क्षमता कैसी है ।

न्यूजीलैंड में भारतीय

†*१३०८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्य **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूजीलैंड में कितने भारतीय हैं; और

(ख) क्या वह नागरिकता के अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के समक्ष रख दी जायेगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या न्यूजीलैंड आग्रवासी अधिनियम के अनुसार भारतीयों को न्यूजीलैंड में अब भी अन्य देशीय जाति समझा जाता है ?

†**श्री सादत अली खाँ :** यदि माननीय सदस्य कुछ प्रतीक्षा करें तो सब जानकारी एकत्र कर के लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या न्यूजीलैंड में भारतीयों को नागरिकता के अधिकार देने के लिये कोई अभ्यंश निश्चित किया गया है ?

†**श्री सादत अली खाँ :** मैं ने जो उत्तर दिया है उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानकारी एकत्र कर रहे हैं । यदि माननीय सदस्य और प्रश्न पूछते ही चले जायेंगे तो उन्हें यही उत्तर मिलेगा कि जानकारी एकत्र की जा रही है । यदि और प्रश्नों को छोड़ दिया जाये तभी मैं सर्पगन्धा और सीमेंट आदि के बारे में अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं । माननीय सदस्य प्रत्येक बात को महत्व दे रहे हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर :** सर्पगन्धा बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रत्येक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझूंगा ।

कोसी परियोजना

†*१३११. **श्री गिडवानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना की लागत मूल अनुमानित लागत और पुनरीक्षित अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इसकी अनुमानित लागत के बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने इस मामले पर विचार करके कोई निश्चय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मूल अनुमानित लागत ३७·३१ करोड़ रुपये थी । पुनरीक्षित अनुमान को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये पुनरीक्षित अनुमान पर विचार करने के लिये समिति की बैठकें नई दिल्ली में ३१ मार्च से २ अप्रैल तक हुईं और उसने मूल अनुमान से अधिक राशि की जांच पड़ताल करने के लिये इंजीनियरों और वित्त विभाग के पदाधिकारियों की एक उप-समिति नियुक्त की, उपसमिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये अनुमान में कुछ कमी की जा सकती थी । अतः समिति ने सिफारिश की कि परियोजना प्राधिकारी अग्रेतर पड़ताल के लिये वित्तीय विवरणी के साथ एक पुनरीक्षित अनुमान भेजें ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि अनुमानों का पहले दो बार पुनरीक्षण किया जा चुका है ? जैसे कि बताया गया है प्रारम्भ में यह ३७·३० करोड़ रुपया था । फिर पुनरीक्षण करने पर यह ४२ करोड़ हो गया और अब अनुमान ५३ करोड़ रुपये का है ।

†**श्री हाथी** : यह सच है कि मूल अनुमान ३७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक का था, वह मध्यवर्ती अवस्थायें थीं । उनमें से कोई भी अन्तिम अनुमान नहीं था । अब इसकी जांच की जा रही है ।

†**श्री गिडवानी** : इसकी पड़ताल करने वाली समिति के सदस्य कौन हैं ?

†**श्री हाथी** : वह सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के प्रतिनिधि, केंद्रीय जल विद्युत आयोग का एक सदस्य, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, बिहार सरकार के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, कोसी परियोजना का मुख्य प्रशासक और कोसी परियोजना का मुख्य इंजीनियर और योजना आयोग का एक प्रतिनिधि हैं ।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** : अनुमानों का बार-बार पुनरीक्षण किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या दरों में परिवर्तन होने के कारण अनुमानों का पुनरीक्षण किया गया है या कि कार्य की योजना और रूप में परिवर्तन के कारण ऐसा किया गया है ?

†**श्री हाथी** : कई मद्दों के कारण वृद्धि हुई है । दरों के बढ़ने, श्रमिकों को दी गई अधिक सुविधाओं, पानी के निकास के अधिक फाटकों की व्यवस्था करने आदि से और पूना स्टेशन में किये गये प्रयोगों को सामने रखते हुये अधिक संरक्षण कार्य की व्यवस्था करने से अनुमानित लागत बढ़ गई है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या यह सच नहीं है कि प्रथम मूल अनुमानित लागत बहुत अधिक अर्थात् २०० करोड़ रुपया थी ?

†**श्री हाथी** : वह इस से भी अधिक थी । बाराक क्षेत्र के लिये एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी । हमने उसे छोड़ दिया । दूसरी योजना हनुमान नगर की थी । उसे भी छोड़ दिया गया था । अब एक छोटी योजना आरम्भ की गई है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या जनता के सहयोग और श्रमदान के कारण लागत में कोई कमी होने की संभावना है ?

†**श्री हाथी** : इस मद पर लागत के कम हो जाने की संभावना है परन्तु अतिरिक्त क्षेत्र के कारण सामूहिक रूप से लागत बढ़ सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षात्मक चलचित्र

†*१३१२. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बच्चों और विद्यार्थियों के लिये कितने शिक्षा सम्बन्धी चलचित्र बनाये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे चलचित्र बनाने वालों को कोई रियायतें दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं; और

(घ) क्या नवागुन्तकों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) अब तक सरकार द्वारा बनाये गये १६१ चलचित्रों को चलचित्र केंद्रीय बिवाचन बोर्ड द्वारा मुख्यत: शिक्षात्मक चलचित्र प्रमाणित किया गया है। चलचित्र मंत्रणा बोर्ड ने, जो चलचित्रों का अनुमोदन करता है, १६ फरवरी, १९५५ से अब तक सरकार द्वारा शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये तैयार किये गये ६२ चलचित्रों को अनुमोदित किया है। सरकार द्वारा बनाये गये कई अन्य प्रलेख चित्र भी बच्चों और विद्यार्थियों के लिये शिक्षात्मक महत्व रखते हैं;

(ख) और (ग). समय-समय पर पुनरीक्षित की जाने वाली तालिका में उल्लिखित निजी उत्पादकों को भी चलचित्र विभाग के कार्यक्रम में से ऐसे चलचित्र तैयार करने के ठेके दिये जाते हैं। निजी उत्पादकों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम से बाहर के चलचित्रों को भी चलचित्र विभाग द्वारा खरीद लिया जाता है।

(घ) जी हां; उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) में बताये गये प्रबन्धों के अनुसार।

†**श्री वी० पी० नायर** : खड़े हुये

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या एस० वी० एल० नरसिंहम् प्रश्न नहीं पूछते हैं ?

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या इन प्रमाणित चलचित्रों में से कोई चलचित्र विद्यार्थियों को विशेष रूप से खेलों की शिक्षा देने के लिये भी बनाया गया है ?

†**डा० केसकर** : खेलों सम्बन्धी एक प्रलेख चित्र है, और एक बनाया जा रहा है।

†**श्री वी० पी० नायर** : वह किस विषय में

†**डा० केसकर** : यह खेलकूद के बारे में है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : यह शिक्षात्मक चलचित्र किन भाषाओं में तैयार किये गये हैं और क्या शिक्षा संस्थाओं द्वारा इन से लाभ उठाया गया है ?

†**डा० केसकर** : मैं ने यह कहा कि यह चलचित्र पूर्ण रूप से शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये नहीं हैं। वे मुख्यत: शिक्षा सम्बन्धी हैं। इन्हें और सरकार द्वारा बनाये गये प्रलेख चित्रों को इस समय पांच भाषाओं में तैयार किया जा रहा है। इन में से कुछ जो भारत सरकार के विकास कार्य के प्रचार के लिये हैं उन्हें सभी प्रादेशिक भाषाओं में तैयार किया जाता है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : विद्यार्थियों और बालकों को इन चलचित्रों को दिखाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

†**डा० केसकर** : जो चलचित्र विशुद्ध रूप से शिक्षात्मक होते हैं उनको यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के लिये तैयार करता है। स्कूलों या बालकों के लिये उनका वितरण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है इस मंत्रालय द्वारा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर, अल्वाये

†*१३१४. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर, अल्वाये में केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंश हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका अंशदान पृथक्-पृथक् कितना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस सार्थ में मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन, सौराष्ट्र, आंध्र और मैसूर सरकारों के अंश हैं । केन्द्रीय सरकार के कोई अंश नहीं हैं ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३७]**

†**श्री बूवराघस्वामी** : इन राज्यों में से प्रत्येक ने इस कारखाने की पूंजी में कितना अंशदान दिया है ?

†**श्री कानूनगो** : यह विवरण में दिया गया है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें इस कारखाने का विस्तार करने और इस कारखाने में कोयले की बजाये लकड़ी का कोयला और ईंधन इस्तेमाल किये जाने के कारण होने वाली अत्यधिक उत्पादन लागत को घटाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : एक विशेषज्ञ समिति ने इसकी छानबीन की है और उसने लागत को घटाने के लिये उत्पादन के तरीके के बदले जाने और कुल उत्पादन बढ़ाये जाने की सिफारिश की है, और उस कार्यक्रम पर कार्यवाही की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वेलायुधन माननीय सदस्य पहले से ही खड़े हो जाते हैं । इसके पश्चात मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा ।

†**श्री वेलायुधन** : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं·····

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मेरी बात भी नहीं समझते हैं । माननीय मंत्री के उत्तर देकर बैठने से पहले ही खड़े हो जाने के क्या कारण हैं ? माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि वह क्या कर रहे हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : नहीं, नहीं । श्रीमान् आपने मुझ से कहा था । गत चार वर्ष से त्रावनकोर-कोचीन का यह उर्वरक कारखाना घाटे पर क्यों चल रहा है और क्या भारत सरकार ने इस कारखाने विशेष को कोई अनुदान या वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री कानूनगो** : यह घाटे पर इस लिये चल रहा था क्योंकि उत्पादन लागत अधिक थी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्यों ?

†**श्री कानूनगो** : इसी लिये तो एक विशेषज्ञ समिति ने इसकी जांच पड़ताल की और उत्पादन की प्रणाली के बदले जाने और उत्पादन की मात्रा के बढ़ाये जाने की सिफारिश की । उस पर इस समय कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : इस कारखाने में बनाये गये उर्वरकों की उत्पादन लागत इस समय सिन्द्री में बनाये जा रहे उर्वरकों की उत्पादन लागत में कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं जानता परन्तु वहां उत्पादन लागत अधिक है ।

†**श्री झुनझुनवाला** : क्या प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के पश्चात यह एक मितव्ययितापूर्ण एकक हो जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, आशा है कि यह मितव्ययितापूर्ण हो जायेगा परन्तु यह अधिक लाभप्रद नहीं होगा ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : क्या इसका प्रबन्ध सरकार करती है या ग़ैर-सरकारी व्यक्ति ? इसका प्रबन्ध कौन व्यक्ति कर रहा है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : एक ग़ैर-सरकारी सार्थ द्वारा इसका प्रबन्ध किया जा रहा है ।

ताज महल सम्बन्धी चलचित्र

†*१३१५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज महल पर एक रंगीन चलचित्र बनाये जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमानित व्यय कितना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्ष १९५६-५७ में कोई रंगीन प्रलेख चलचित्र या चलचित्र बनाने का सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसका उत्तर भी वही है जो पहले दिया जा चुका है ?

†**डा० केसकर** : सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न यह है कि क्या ताज महल पर कोई रंगीन चलचित्र बनाने की प्रस्थापना है । यही प्रश्न एक अन्य रूप में पूछा जा रहा है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय सदस्यों को सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये । उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछने से क्या लाभ है ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी विदेशी निर्माता ने ताज महल पर चलचित्र बनाने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की है ?

†**डा० केसकर** : जैसा कि मैंने कहा है, नहीं । सामान्यतः इस देश में चलचित्रों का निर्माण प्रायः मुक्त है । भारतीय या विदेशी निर्माता भारत में चलचित्र बना सकते हैं और इसके लिये सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार से किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिये सुविधायें देने की मांग किये जाने की स्थिति में ही उन सुविधाओं को देने का प्रश्न उत्पन्न होता है । जहां तक विदेशी निर्माताओं का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में किसी ने अब तक सुविधायें दिये जाने के लिये अनुमति नहीं मांगी है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या मैं जान सकता हूं·····

†**अध्यक्ष महोदय** : एक नकारात्मक उत्तर के लिये कितने पूरक प्रश्न पूछे जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों सम्बन्धी भारत-पाक करार

†*१३१६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सरकारों ने सन् १९५३ में मंदिरों तथा तीर्थस्थानों के बारे में हुए भारत-पाक समझौता की क्रियान्विति सम्बन्धी ब्योरे को तैयार करने के लिये कोई संयुक्त समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां । जिसे पन्त-मिर्जा समझौता के नाम से जाना जाता है उसमें ऐसी एक समिति की नियुक्ति का उपबन्ध किया गया था ।

(ख) अगस्त १९५५ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संयुक्त समिति के अपने प्रतिनिधियों के नाम सूचित किये थे और उससे अपने प्रतिनिधियों को नाम निर्देशित करने की प्रार्थना की थी ताकि पन्त-मिर्जा समझौते के अनुसमर्थन होने तक उक्त समिति बिना विलम्ब के कार्य आरम्भ कर सके । पाकिस्तान सरकार ने दिसम्बर १९५५ में, उक्त समझौते का जहां तक कि उसका सम्बन्ध मंदिरों और तीर्थ स्थानों से था, अनुसमर्थन कर दिया था । भारतीय समिति इस समय कुछ प्रारम्भिक बातों, जैसे मन्दिरों की सूची बनाने में व्यस्त है । इस प्रारम्भिक कार्य के समाप्त होते ही पाकिस्तान सरकार से यह प्रस्ताव किया जायेगा कि संयुक्त समिति की बैठक की जाये और समझौते की क्रियान्विति प्रारम्भ की जाये ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि जुलाई-अगस्त समझौते के पदों की क्रियान्विति के लिये दोनों सरकारों द्वारा क्या निर्णय लिये गये थे ?

†**श्री सादत अली खां** : सन् १९५३ के जुलाई-अगस्त समझौते के निर्णयों की क्रियान्विति के लिये, पाकिस्तान सरकार ने २५ जुलाई, १९५४ के अपने पत्र के द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रांतों और प्रशासनों को आदेश जारी किये थे । भारत सरकार द्वारा भी ऐसे ही आदेश पश्चिम बंगाल, आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और जम्मू और काश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों को जारी किये गये थे ।

†**श्री राधा रमण** : सन् १९५३ के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद और इस नये समझौते के सम्पन्न होने तक पाकिस्तान और भारत में तीर्थ यात्रियों को मन्दिरों और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने से कितनी बार रोका गया ?

†**श्री सादत अली खां** : इस समय इस प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी देने में मैं असमर्थ हूं, किन्तु यदि इसकी पूर्व सूचना दी जाये तो मैं आवश्यक जानकारी एकत्रित करके सदन को दे दूंगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान जाने वाले तीर्थ यात्रियों की कोई संख्या निर्धारित की जायेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : कुछ दिनों से इन नियमों के सम्बन्ध में काफी छूट दे दी गई है । पिछली बार एक तीर्थ स्थान को जाने के लिये भारत के तीर्थ यात्रियों को बिना किसी सरकारी खानापुरी को पूरा किये जाने की अनुमति दे दी गई थी । इस समझौते के कार्यकरण के ब्योरों की जांच करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा समितियां नियुक्त कर दी गई हैं ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों के मन्दिरों और तीर्थ स्थानों के संरक्षण और देखभाल के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है अथवा की जा रही है जैसा कि हमारी सरकार भारत स्थित मसजिदों और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : मेरा ख्याल है हमारे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है किन्तु मैं जांच करूंगा ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा यह जानने का कष्ट किया है कि जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है इन मन्दिरों इत्यादि से सम्बद्ध बड़ी सम्पदाओं से प्राप्त होने वाली हमारी आय को किन कामों में लगाया जा रहा है ?

†**श्री सादत अली खां** : इस प्रश्न की मैं सूचना चाहता हूं ।

जालाहाली मशीनी औज़ार फैक्टरी, लिमिटेड

†*१३१७. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालाहाली स्थित मशीनी औज़ार फैक्टरी में हाल ही में भर्ती किये गये विदेशियों की संख्या क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : कोई नहीं ।

कुटीर उद्योगों के लिये न्यूनतम कार्यक्रम

†*१३१९. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **योजना** मंत्री १३ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों ने सामुदायिक विकास खंडों के लिये कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में उन्हें प्रेषित न्यूनतम कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में क्या कोई प्रगति की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : यह जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि सामुदायिक विकास खंडों को उक्त कार्यक्रम कब भेजा गया था और उनसे सरकार को क्या प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : कार्यक्रम के भेजे जाने की ठीक-ठीक तिथि तो मैं नहीं बता सकता हूं । किन्तु राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है । सात राज्य सरकारों ने पहले ही यह सूचित कर दिया है कि सामुदायिक विकास खंडों में उन्होंने कौन से कार्यक्रम आरम्भ किये थे या करने का इरादा था ।

† **श्री जांगडे** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कुटीर उद्योगों में ग्रामीणों को कारीगर बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के हेतु कोई प्रशिक्षण केंद्र खोला है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण-व-उत्पादन के कई कार्यक्रम हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानीय आवश्यकताओं और उनकी उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये किन्हीं वैकल्पिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया था ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : न्यूनतम कार्यक्रम की सूचना देते समय भी, सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस कार्यक्रम को सदैव स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जायगा ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या यह सच है कि योजना आयोग और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यक्रम मधुमक्खी पालन (जिससे कि हम काफी परिचित हैं), गुड़ आदि कुटीर उद्योगों की एक छोटी सी सूची तक ही सीमित है, और देश के विभिन्न भागों में ग्राम उद्योगों के क्षेत्र का विस्तार करने और उन्हें सहायता देने की ओर उसने ध्यान नहीं दिया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने क्या वास्तविक कार्यक्रम निर्धारित किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र** : यह कहना सही नहीं होगा कि ध्यान केवल मौजूदा उद्योगों पर ही दिया गया है; संभावित उद्योगों को भी सदैव ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं देखता हूं विवरण में दी गई मदों में से एक मद खादी बुनाई है । क्या उसमें ऊन-बुनाई भी सम्मिलित है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस कार्यक्रम में अम्बर चरखे को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया था ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : मेरा ख्याल है कि खादी में ऊन उद्योग सदैव सम्मिलित रहता है । अम्बर चरखे के बारे में माननीय सदस्य को काफी जानकारी है; उसके सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ किये जाने की आशा है ।

चाय बोर्ड

†*१३२०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग मेले में चाय बोर्ड ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने किस प्रकार भाग लिया था;

(ग) बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि व्यय की गई थी;

(घ) क्या चाय बोर्ड द्वारा किये गये व्यय के ब्योरे को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त बोर्ड के प्रायः सभी सदस्यों ने एक के बाद एक प्रदर्शनी को देखा था ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** :

(क) हां ।

(ख) एक सजा हुआ मंडप था जहां :

(१) प्रचार साहित्य का प्रदर्शन किया गया था;

(२) अच्छी चाय बनाने की विधियों के प्रदर्शन किये गये थे और जनता को चाय बेची गई थी; और

(३) चाय सम्बन्धी चलचित्र प्रदर्शित किये गये थे । चाय बोर्ड की चलती-फिरती मोटर से भी चाय बेची गई थी ।

(ग) लगभग एक लाख रुपये ।

(घ) जी, हां । एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ङ) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चाय बोर्ड के सभी सदस्यों ने अथवा किन्हीं अन्य सदस्यों ने मेले की सैर की थी अथवा नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यपालिका समिति के कितने सदस्यों ने बोर्ड के खर्चे से इस मेले की सैर की ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बोर्ड के आय-व्ययक में उक्त मेले में बोर्ड द्वारा भाग लिये जाने के लिये कोई उपबन्ध किया गया था, और क्या इस प्रकार भाग लेने से पूर्व बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मेरा अनुमान है कि बोर्ड की कार्यपालिका समिति ने मंजूरी दी थी ?

†**डा० रामा राव** : विवरण में व्यय की एक मद "कर्मचारियों का निर्माण और सजावट" में ४१,७४१ रुपये का व्यय दिखाया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों को किस प्रकार सजाया गया था ?

†**श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुद्रण की एक त्रुटि हुई है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। शब्द 'स्टाफ' के स्थान पर शब्द 'स्टाल' होना चाहिये।

†**श्री राधा रमण** : विवरण में हम देखते हैं कि इस पर कुल व्यय ९१·१७१ रुपये हुआ है। क्या सरकार ने इस बात का निर्धारण किया है कि इस व्यय के परिणामस्वरूप चाय बोर्ड और अधिक व्यक्तियों को चाय का आदी बना सका है अथवा नहीं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : प्रचार का वास्तविक पदों में और शीघ्रता से मूल्यांकन कदापि नहीं किया जा सकतां है। हम केवल सामान्य प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि सामान्य प्रभाव अच्छा ही रहा है।

पटसन मिल

*१३२१. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में पटसन मिलों में करघों की संख्या में कुछ कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और उसका क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५५ में करघों की संख्या ७२,६२५ थी जब कि १९५३ में इनकी संख्या ७२,७०२ थी। समय-समय पर मिलों में जो साधारण हेर-फेर हुआ करते हैं; उनके ही कारण ७७ करघों की यह कमी हुई है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या काम के घंटों में भी कमी की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, उसे नहीं घटाया गया है। और करघे खोल दिये गये हैं।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या मैं जान सकता हूं कि विभाजन के बाद जो १२ प्रतिशत करघे बन्द किये गये थे उनमें से अब चालू किये गये करघों की प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : उक्त करघों में से साढ़े सात प्रतिशत खोल दिये गये हैं।

सिलहट से मुसलमानों का चोरी-छुपे आना

†*१३२३. **श्री एस० सी० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलहट (पूर्वी पाकिस्तान) से पाकिस्तानी मुसलमान आसाम के कचार जिले की सीमा से होते हुए बिना पारपत्र भारतीय क्षेत्र में चोरी-छपे आते हैं;

(ख) क्या ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को दंड दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि कचार जिले के कुछ भागों को पाकिस्तान में सम्मिलित करने के लिये पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा प्रचार किया जा रहा है जैसा कि कलकत्ते से निकलने वाले समाचार पत्र **आनन्द बाजार पत्रिका** के २१ मई, १९५६ के अंक में प्रकाशित हुआ था; और

(घ) उक्त कार्यवाही का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) और (ख). पाकिस्तान के मुसलमानों के चोरी-छुपे भारत में आने की सूचना प्राप्त हुई है। आसाम सरकार से मामले की जांच करने के लिये कहा गया है। उसके प्रनिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ). सरकार को कोई जानकारी नहीं है। प्रकाशित समाचार की जांच की जायेगी।

†**श्री एस० सी० देव** : क्या उस पार के कुछ सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेनाओं का कोई केंद्रीकरण हो रहा है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : पाकिस्तान की ओर की सीमा पर ? मैंने पाकिस्तान के समाचारपत्रों में सीमा के इस पार, हमारी ओर सेनाओं का केंद्रीकरण होने के आरोप देखे हैं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर की सीमा पर हमारे प्रतिरक्षा कर्मचारियों का कोई भी केंद्रीकरण नहीं है, और हमें आशा है, मेरी यह इच्छा है कि उस ओर की सीमा पर भी ऐसा कोई केंद्रीकरण नहीं है।

†**श्री कामत** : हमें ऐसा ही सोचना चाहिये ?

†**श्री एस० सी० देव** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा सीमाओं के सीमांकन के सर्वेक्षण-कार्य को एकाएकी बन्द कर दिया गया है, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि वे कुछ भाग भारत को मिल जायेंगे जिन पर कि उसने अनचित ढंग से अधिकार कर रखा था ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : यह सर्वेक्षण कार्य कुछ समय से जब तक होता रहा है। अब सर्वेक्षण-कार्य सम्बन्धी गतिविधियों में कुछ मन्दी आ गई है। अस्थायी तौर पर कुछ स्थगन हो सकता है, पर मैं नहीं समझता कि यह स्थगन इसलिये किया गया है कि कुछ प्रदेशों के हमारी ओर आ जाने की संभावना है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि क्या खासी तथा जैन्तिया के पहाड़ी जिले की सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तानियों ने कोई अतिक्रमण किया है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : अभी सीमा का ठीक-ठीक सीमांकन नहीं किया गया है। इस भाग में कुछ विवाद ग्रस्त क्षेत्र हैं। हो सकता है कि कुछ अतिक्रमण किया गया हो, लेकिन मुझे अभी हाल में कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : मेरा आशय है भारतीय सीमा का अतिक्रमण।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे पास उसकी कोई ठीक-ठीक सूचना नहीं है। कुछ स्थानों पर उक्त क्षेत्र एक विवादग्रस्त प्रदेश है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्या मानी हुई भारतीय सीमा के अतिक्रमण के बारे में जानना चाहती हैं।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : यदि वह माना हुआ भारतीय राज्य क्षेत्र है, तो मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि हम अपनी सीमा का कोई भी उल्लंघन नहीं होने देंगे।

†**श्री कामत** : यदि मैं ने ठीक से सुना है, तो माननीय मंत्री ने कहा कि वह ऐसा सोचना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ओर की सीमा पर सेनाओं का कोई केंद्रीकरण नहीं है। क्या हमारा गुप्तचर विभाग और सूचना प्राप्त करने के अन्य सभी स्रोत इतने अपर्याप्त हैं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक सूचना नहीं दे सकते, और वह सोचना ही चाहेंगे या मनमाने ढंग से विचार ही करेंगे ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : बुझे विश्वास है कि वह यह मानेंगे कि गुप्तचर विभाग द्वारा हमें जो सूचना मिलती है उस का प्रचार करना सदा ही वांछनीय नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार यह जानती है कि मुस्लिमों के सामूहिक निष्क्रमण के साथ ही साथ भारी संख्या में हिन्दुओं के भी सामूहिक निष्क्रमण को देखते हुये, इस देश में जनसंख्या की एक बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी ? साथ ही साथ, दोनों देशों के परस्पर तनावपूर्ण सम्बन्धों को देखते हुये, क्या सरकार ऐसे विदेशियों के, जो, उदाहरण के तौर पर, हमारे यहां कुचेष्टापूर्ण उद्देश्य से आना चाहें, प्रवेश की जांच पड़ताल करने में अधिक सावधानी से काम लेगी ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हर सावधानी बरती जाती है । लेकिन मैं लोक-सभा को सूचित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी सीमा है कि जहां इस प्रकार के अनेक मामले होते हैं कि एक परिवार की एक झोंपड़ी पाकिस्तान में पड़ती है और उसी परिवार की अन्य इमारतें भारत में पड़ती हैं, और इससे विपरीत स्थिति भी होती है । इस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे की देखभाल करना बहुत ही कठिन है ।

†**श्री देवेश्वर शर्मा** : आसाम में मुस्लिमों के छिपा-चोरी प्रवेश को रोकने के लिये कोई भी सावधानी नहीं बरती जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं या सूचना मांग रहे हैं ?

†**श्री देवेश्वर शर्मा** : मैं न सूचना दे रहा हूं और न सूचना मांग रहा हूं । मैं तो माननीय उप-मंत्री की बात का खंडन कर रहा हूं ।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना और मुझे मिली हुई सूचना में साम्य नहीं है ।

†**श्री देवेश्वर शर्मा** : क्योंकि मेरे पास जो सूचना है वह मैंने स्वयं संग्रह की है और उन्होंने स्वयं उसका संग्रह नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वाभाविक ही है कि राज्य के कल्याण में सभी की रुचि है । इसीलिये, यदि किसी माननीय सदस्य को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना मिली है, और माननीय मंत्री उससे मतभेद रखते हैं, तो अच्छा यही है कि ब्योरेवार सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जाये ।

चिरापूंजी और अमीनगांव के बीच रज्जुपथ

†*१३२४. **श्रीमती खोंगमेन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में चिरापूंजी से अमीनगांव तक एक रज्जुपथ बनाने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या मशीनों आदि के लिये किसी विदेशी व्यापारिक संस्था के साथ कोई प्रबन्ध किया गया है, और यदि हां, तो क्या वह प्रबन्ध केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हमें इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है । बल्कि हमने तो राज्य सरकार को सलाह दी है कि कुछ अन्य बातों के अन्तिम रूप से तय हो जाने से पहले वह किसी भी प्रकार की कोई वाक्बद्धता न करे ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : यह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है, और कब इसे अन्तिम रूप से तय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एन० मिश्र** : परिवहन मंत्रालय और केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की सलाह से राज्य सरकार के ब्योरेवार प्रस्ताव पर विचार कर लेने के बाद हमने उसे राज्य सरकार को लौटा दिया है और उससे कहा है कि वह प्रस्ताव पर की गई टिप्पणियों को देखते हुये उस प्रस्ताव को एक नये सिरे से तैयार करे। अब हम उसके मतामत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

*१३२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री १० अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने की योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है, जिन के लिये २·१४ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों का विकास करने के लिये कुछ और अनुदान स्वीकार किये गये हैं तथा विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) भारत-तिब्बत सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में कुटीरोद्योग, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य सुविधायें, शिक्षा और पशुपालन की योजनाएं सम्मिलित हैं। कुछ सड़कों को छोड़ कर, जहां प्रारंभिक आयोजन और व्यय का अनुमान लगाने में समय लगने के कारण गति कुछ मन्द रही, अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक रही है। चार टैक्निकल (प्रविधिक) प्रशिक्षण केंद्र, सात प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र, सताईस कताई केंद्र, आठ औषद्यालय और छः प्रसूति और शिशु कल्याण केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्राइमरी स्कूल के कुछ अध्यापकों को भी शिक्षा दी गई है। इस क्षेत्र में पशु विकास के लिये दो पशु चिकित्सालय खोले गये हैं और पशु पालकों की एक बड़ी संख्या को शिक्षा दी गई है।

(ख) और (ग). इसके अलावा दूसरी सड़कों के लिये योजनायें विचाराधीन हैं। इनके सारे ब्योरे अभी निश्चित नहीं किये गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सड़कों के निर्माण में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि खास कर नीति दर्रा और कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्गों तक की मरम्मत नहीं हो पायी है ? क्या इस मामले में शीघ्रता की जायेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैंने उसका कारण भी बताया था कि किस तरह उन सड़कों के निर्माण में देर हुई इसका तो कोई सवाल हम लोगों के सामने नहीं है कि उसमें कितनी गति लायी जाये, या यह कि हम बराबर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते रहें।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि हिमालय की दूसरी ओर तिब्बत में चीन की नई सरकार बहुत सी सड़कें बना रही है और वहां विकास का कार्य तेजी से हो रहा है जिसका प्रभाव हमारी सीमावर्ती जनता पर बहुत पड़ रहा है ? इसलिये क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस तरफ भी विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जाये, और क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री एस० एन० मिश्र : उस तरफ विकास के काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं यह तो हम लोगों के सामने कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता कि इधर भी विकास कार्यों में तेजी लायी जाये। इधर विकास के कार्य स्वतः तेजी से होने चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात भी आयी है कि सीमावर्ती इलाकों में योजनायें इसलिये अधिक सफल नहीं हो रही हैं क्योंकि वहां पर बाहर के आदमियों को नियुक्त किया गया है और स्थानीय कर्मचारियों को बहुत कम रखा गया है, जो कि वहां के शीत में और वहां की विशेष परिस्थितियों में काम करने के अभ्यस्त हैं ? क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि जो व्यक्ति वहां की परिस्थितियों में काम कर सकते हैं उन्हीं को वहां नियुक्त किया जाये ?

श्री एस० एन० मिश्र : इन कठिनाइयों की तरफ यदि माननीय सदस्य सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बी० डी० पांडे : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य अवसर चूक गये हैं । यदि अन्य माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े नहीं होते हैं, तो मैं मूल प्रश्नकर्त्ता को अधिक अवसर देता हूं । दो अनुपूरक प्रश्नों के बाद, मैं फिर देखता हूं और यदि कोई अन्य माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े नहीं होते हैं, तो मैं मूल प्रश्नकर्त्ता को अन्तिम प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं । उसके बाद, माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं ।

कन्नड़ भाषा में समाचारों का प्रसारण

†*१३२७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई कर्नाटक क्षेत्र के कन्नड़ समाचारों के सवैतनिक आलोचकों ने, अपने प्रतिवेदनों में कन्नड़ समाचार एकक के उपसंपादकों के अनुवाद की आलोचना की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : बम्बई कर्नाटक क्षेत्र के कुछ आलोचकों ने कुछ उदाहरण बताये हैं, जो कि मुख्यत: बम्बई-कर्नाटक में बोली जाने वाली और मैसूर में बोली जाने वाली कन्नड़ के अन्तर पर निर्भर हैं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० केसकर** : इस अन्तर को दूर करना बहुत कठिन है क्योंकि बम्बई-कर्नाटक की ओर बोली जाने वाली कन्नड़ में और मैसूर में वोली जाने वाली कन्नड़ में थोड़ा सा अन्तर है । कन्नड़ में प्रसारित किये जाने वाले समाचारों के सम्बन्ध में हम मध्यम मार्ग अपनाना चाहते हैं । यह स्पष्ट है कि कुछ साधारण बातों में कुछ लोग विशेष उच्चारण को अशुद्ध या गलत समझते हैं और दूसरे इसे बिल्कुल ठीक समझते हैं ।

†**श्री कामत** : अच्छी कौन है बम्बई में बोली जाने वाली कन्नड़ अथवा मैसूर में बोली जाने वाली कन्नड़ ?

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या यह सच है कि कर्नाटक की जनता और वहां के समाचारपत्रों ने समाचार सुनाने वाले पुरुषों के बुरे उच्चारण के सम्बन्ध में शिकायत की है, यदि हां, तो सरकार जनता को अच्छी श्रवण सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**डा० केसकर** : मैंने वह प्रतिवेदन पढ़ा है जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में किया है । बहुत से लोग हमारे द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की प्रशंसा करते हैं; किन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं, कुछ उच्चारणों के सम्बन्ध में वे यह अनुभव करते हैं कि उनका उच्चारण दूसरे प्रकार से होना चाहिये जब कि मैसूर के आलोचक अपना उच्चारण सर्वोत्तम समझते हैं । वस्तुत: यह मैसूर और बम्बई व कर्नाटक के बीच भतभेद का प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेक्सीन और सीरम

†*१३२८. **डा० रामा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने मिश्र, साउदी अरब, ईरान, मलाया और इंडोनेशिया इत्यादि देशों में वेक्सीन और सीरम की बिक्री के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है; और

(ख) वर्ष १९५५-५६ में (१) वेक्सीन (२) सीरम के उत्पादन की कितनी अतिरिक्त क्षमता थी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) निर्यात व्यापार विनियमों के अधीन वेक्सीन और सीरम के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है और निर्यात अनुज्ञप्ति के बिना भी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्यात किया जा सकता है ।

(ख) वेक्सीन तथा सीरम के उत्पादन की प्राक्कलित अतिरिक्त क्षमता क्रमश: लगभग ७०० लाख घन शतिमान (सी० सी०) और १०० लाख घन शतिमान (सी० सी०) है ।

†**डा० रामा राव** : प्रश्न बिक्री के विकास के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है । मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । क्या इसका यह तात्पर्य है कि सरकार ने बिक्री के विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही करने का विचार है ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य के अनुमान का पहिला भाग सही है ।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच है कि मंत्रणादात्री समिति अथवा औषध उद्योग के बोर्ड ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि उक्त क्षेत्र में मुख्यत: सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित वेक्सीन और सीरम के लिये भारत बहुत प्रसिद्ध है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं इस सम्बन्ध में 'हां' या 'नहीं' नहीं कह सकता हूं क्यों कि इस समय मेरे पास तथ्य नहीं हैं ।

इथोपिया में भारतीय किसान

†*१३२९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया की सरकार की प्रार्थना पर बनाई गई योजना के अन्तर्गत क्या कुछ भारतीय किसानों के परिवार इथोपिया गये थे;

(ख) उन्हें भूमि देने के अलावा और कौन सी सुविधायें दी गई थीं; और

(ग) क्या वे परिवार वहां बस गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ग). कोई भारतीय परिवार इथोपिया नहीं गया । केवल आठ भारतीय कृषकों का एक दल अक्तूबर १९५३ में इथोपिया गया था, वे सभी वापस लौट आये हैं ।

(ख) इथोपिया की सरकार ने किसानों के लिये ट्रेक्टर, बैल और हलों की व्यवस्था की थी, पहिले तीन वर्षों के लिये उन्हें खेती के औजारों पर सीमा शुल्क और प्रथम तीन वर्षों के लिये भूमि कर से विमुक्ति दी गई और उन्हें तीन वर्ष के निवास के पश्चात् इथिओपिया में नागरिक अधिकार भी दिये जाने वाले थे ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने उन बातों की जांच की है जिन के कारण भारतीय किसानों ने उक्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल के० चन्दा** : हमारे राजदूत निरंतर इन लोगों के संपर्क में रहे हैं । ये लोग मुख्यत: संसाधनों की कमी, कहवा के बागानों के सम्बन्ध में अपने ज्ञान की कमी के कारण अपने उपक्रम में असफल रहे । उन लोगों में आपस में भी कुछ मतभेद पैदा हो गया ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि केन्या में भारतीयों के अनुभव से विवश होकर ही ये इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा यहां ही क्यों हुआ जब कि केन्या स्थित भारतीयों के लिये कोई कठिनाई नहीं हुई ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : केन्या में हजारों भारतीय हैं और वे वहां पीढ़ियों से रहते आये हैं । यह एक अज्ञात देश में पहिला उपक्रम था उन्हें वहां की स्थिति बहुत सुविधाजनक नहीं ज्ञात हुई ।

†**श्री वेलायुधन** : भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों, जिनके लिये इटली के अधीन इथोपिया जो अब स्वतन्त्र हो गया है, की भूतपूर्व सरकार ने कुछ कार्यवाही की थी, को युद्धकाल में हुई क्षति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती । यह प्रश्न, वहां भारतीयों के, एक योजना के अन्तर्गत, खेती करने और बस जाने, विशेषत: कहवा की खेती करने वालों के सम्बन्ध में था और माननीय सदस्य का प्रश्न युद्ध के दौरान में हुई क्षति के सम्बन्ध में है ।

†**श्री कामत** : क्या भारतीय किसानों के वहां बसने के सम्बन्ध में इथोपिया की सरकार की वह रियायत अब भी है अथवा अब खत्म हो गई है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : इथोपिया की सरकार बहुत सौहार्द्रपूर्ण रही है और मुझे विश्वास है यदि उपयुक्त लोग मिलेंगे तो वह भूमि तथा अन्य सुविधायें देने को सदैव प्रस्तुत है ।

नाहन फाउन्ड्री, लिमिटेड

†*१३३१. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहन फाउन्डरी लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) में सरकार ने प्रयोगों पर बहुत सा धन व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगों पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया है; और

(ग) किस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). नाहन फाउन्डरी में विभिन्न रूपांकनों और प्रक्रियाओं के परीक्षणों पर और कुछ नई वस्तुओं, यथा, केंद्र प्रसारी पम्पों (सेंट्रीफ्यूगल पम्पों), बैलों से चलाये जाने वाले सरोवर पम्पों (सरोवर बुलक ड्रिवन पम्प), धान को भूसे से अलग करने वाले यंत्रों (पैडी थ्रैशर्स), मक्का के छिलके निकालने वाले यंत्रों (मेज शैलर्स), ढले हुए लोहे के पल्याणों (कास्ट आयरन सैडल्स), लंगर की प्लेटों (एंकर प्लेटस्) के निर्माण के लिये नमूने (पैटर्न) तथा सांचे (मोल्डिंग बाक्सेज) बनाने पर १९५३-५४ में १,९५,१९९ रुपये और १९५४-५५ में ६५,३९५ रुपये व्यय किये गये ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : क्या यह सच है कि इन प्रयोगों के असफल रहने के परिणामस्वरूप इस फाउन्डरी (ढलाई घर) को १,५०,००० रुपये की हानि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : इस कारखाने में हानि हुई है, किन्तु यह हमारे मुख्यत: एक ऐसे क्षेत्र में हानि होने के कारण हुई है जिस में कि विभाजन के पूर्व इसका लगभग एकाधिपत्य था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बूवराघस्वामी** : क्या यह सच है कि दो वर्ष पश्चात् भी, यहां बनाये गये पम्प सफल नहीं हुए हैं और उनमें से कुछ तो उपयोक्तायों ने वापस कर दिये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : केंद्र प्रसारी (सेंट्रीफ्यूगल) और सरोवर पम्प सफल नहीं रहे है ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : क्या यह सच है कि वहां के महा प्रबन्धक के पास किसी मान्यता प्राप्त कालेज की यांत्रिक इंजीनियरी की डिग्री नहीं है, वहां के सहायक इंजीनियर के पास भी कोई डिग्री नहीं है केवल यांत्रिक इंजीनियरी का एक डिप्लोमा है, दूसरा सहायक इंजीनियर केवल एक ड्राफ्ट्समैन (नक्शा नवीस) है और उसके पास किसी भी संस्था का डिप्लोमा नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि वहां के तीन सर्वोच्च पदाधिकारियों के पास इंजीनियरी की कोई अर्हता नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : यह कारखाना पुरानी रियासत से लिया गया था और कर्मचारी तभी से नियुक्त हैं ।

राज्य कोयलाखानों में प्रशिक्षण सुविधायें

†*१३३३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेक्निकल कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये राज्य कोयलाखानों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) ये केन्द्र कहां स्थित होंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) पहिली बार केवल चार केन्द्र खोले जायेंगे ।

(ग) ये केन्द्र इन स्थानों पर स्थित रहेंगे :–

करगली,
गिरीडिह,
तालचर, **और**
कुरसिया ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : विशालांध्र में कोयले की कुल कितनी खाने हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जहां तक मैं जानता हूं आंध्र में कोयले की कोई खाने नहीं हैं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : विशालाध्र में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसका आराम से फैसला कर सकते हैं ।

औषध-उद्योग

†*१३३४. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य अथवा नगर ऐसी आधुनिक बघशालायें बनाना चाहते हैं जहां औषध-उद्योग द्वारा अपेक्षित गिल्टियां अथवा अंगों के परिरक्षण की सुविधायें प्राप्त हों; और

(ख) प्रति वर्ष आयात होने वाली ऐसी औषधि का प्राक्कलित मूल्य कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां, दिल्ली और बम्बई में आधुनिक प्रकार की बधशालायें बनेंगी ।

(ख)

वर्ष	आयात होने वाली गिल्टियों की वस्तुओं का '०००' रुपयों में मूल्य
१९५२–५३	४६६
१९५३–५४	१८७
१९५४–५५	२४१
१९५५–५६ (अप्रैल से दिसम्बर)	११७

†**डा० रामा राव** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्सुलीन जैसी औषधि का बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया गया, क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहती है ?

†**श्री कानूनगो** : हमारा प्रथम प्रयत्न आधुनिक प्रकार की बधशालायें बनाने का होगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह भी विचार है कि रेलगाड़ी में सुलभ और उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जाये, क्योंकि अन्यथा इन बधशालाओं में प्रशीतन की सुविधायें होने के पश्चात् भी पशु उत्पाद को खराब होने के पूर्व भेजना सम्भव न हो सकेगा, क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : इन सहायक कार्यक्रमों पर विचार करने के पूर्व पहिले हमारे पास आधुनिक बधशालायें होनी चाहिये ।

मध्य भारत का दीवाल की घड़ियों का कारखाना

†***१३३५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य-प्रदेश के प्रस्तावित घड़ी के कारखाने में काम प्रारम्भ हो गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : यह योजना जैसी कि मूल रूप में बनाई गई थी क्रियान्वित नहीं हुई । राज्य सरकार अब इस योजना को विभागीय प्रकार से चलायेगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : यह कारखाना कब से काम करना प्रारम्भ करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : अनुमान है कि यह इस वर्ष के अन्दर ही काम करना प्रारम्भ कर देगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या शीघ्र उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, क्योंकि यह निर्माण की नई प्रक्रिया है ।

ऊनी कपड़ा

***१३००. श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सस्ते इटालियन और जापानी ऊनी कपड़े के बहुत अधिक मात्रा में आयात के कारण इस देश के ऊनी कपड़े के कारोबार को गहरा धक्का लग रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या इस प्रश्न के सम्बन्ध में बम्बई के ऊन के व्यापारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ये अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि हम अपनी आयात नीति में समय-समय पर परिवर्तन करते रहते हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी नवीनतम आयात नीति से भारतीय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही पर्याप्त संतोष हुआ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जम्मू और काश्मीर सरकार को ऋण

*१३०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर सरकार को १९५५ में विस्थापितों के सहायतार्थ कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने रुपये ऋण में दिये गये हैं;

(ग) उस ऋण पर व्याज किस दर से लिया जायगा; और

(घ) ऋण के वसूल होने में कितना समय लगेगा और वह किस प्रकार वसूल किया जायगा ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां।

(ख) १०९·३१ लाख रुपये।

(ग) भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्जों के लिये व्याज की दरें भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) शरणार्थियों को फिर से बसाने और जम्मू की शरणार्थी बस्ती में छोटे मकान (टेनीमेंट्स) बनाने के लिये कर्जों की मंजूरी दी गयी है। पुनर्वास ऋण ६ साल के अर्से में मूलधन की रकम के बराबर ५ समान सालाना किश्तों में चुकाये जायेंगे और सालाना व्याज की दर पौने चार रुपये प्रतिशत होगी। पहिली किश्त की अदायगी एक साल पूरा होने पर करनी होगी। पहिले साल के लिये कोई ब्याज नहीं लिया जायगा।

छोटे मकानों (टेनीमेंट्स) के बनाने के लिये दिये गये कर्जों की अदायगी मूलधन की रकम के बराबर २० सालाना किश्तों में साढ़े चार रुपये प्रतिशत सालाना व्याज के हिसाब से होगी। पहली किश्त की अदायगी ३ साल के बाद शुरू होगी और इस अर्से के लिये साधारण ब्याज लिया जायगा।

तेल शोधक कारखाने

†*१३०२. **श्री इब्राहीम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की क्या प्रगति हुई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: बम्बई स्थित दो तेल शोधक कारखानों में पूरा उत्पादन होने लगा है और विशाखपट्टम का कारखाना निर्माण की अवस्था में है।

लौह अयस्क खानें

†१३०७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में किन्हीं लौह अयस्क खानों का विकास करने और उन्हें चलाने का विचार रखती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) हां, श्रीमान्। लौह अयस्क खानों का, भिलाई इस्पात संयत्र के लिये मध्य प्रदेश की राझारा पहाड़ियों में, विभाग द्वारा, और रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में स्थित बोनाई लौह अयस्क क्षेत्र में 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटिड' द्वारा विकास कराने का विचार है।

(ख). राझारा पहाड़ियों और बोनाई क्षेत्र की खानों में से प्रत्येक का अनुमानित उत्पादन लगभग २० लाख टन प्रतिवर्ष होने की आशा है।

कागज का निर्माण

†*१३०९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २४ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन विशेषज्ञों ने इस देश में कागज निर्माण के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**:(क) अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत-जापान व्यापार करार

†*१३१०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान के साथ परमानुगृहीत राष्ट्र-व्यवहार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें व अवधि क्या है; और

(ग) क्या भविष्य में भी वैसा व्यवहार बनाये रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में शांति संधि में से तत्सम्बन्धी अनुच्छेद उद्धृत किया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३९]**

वह करार २८ अप्रैल, १९५२ से २७ अप्रैल, १९५६ तक के चार वर्षों की अवधि के लिये मान्य है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

वंशधारा नदी परियोजना

†*१३१३. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री वंशधारा नदी परियोजना के बारे में ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार से अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिम्परी पेनीसिलीन फैक्टरी

†*१३१८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिम्परी पेनीसिलीन फैक्टरी की संस्थापित क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, उसमें कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या फैक्टरी में निर्धारित लक्ष्य के बराबर उत्पादन होने लगा है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) ४२,००,००० रुपये ।

(ग) जी, हां ।

मंडी में सेंधा नमक की खानें

†*१३२२. **श्री हेम राज** : क्या **उत्पादन** मंत्री २८ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी की सेंधा नमक की खानों में छिद्रण (ड्रिलिंग) के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसके विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) मंडी की खानों में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य जुलाई १९५५ में समाप्त हो गया था ।

(ख) १ करोड़ रुपये ।

खांडसारी

†*१३२६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गन्ने से खांडसारी निकलने का औसत मुश्किल से ६ प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास गन्ने से खांडसारी निकलने का प्रतिशत बढ़ाने और इसकी औद्योगिकी में सुधार करने की कोई योजना है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†*१३३०. **श्री संगण्णा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री रूरकेला इस्पात संयंत्र को जल संभरण के सम्बन्ध में २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). सूंख या कोइल या उसकी किसी सहायक नदी के आरपार उपयुक्त संग्रहण जलाशय निर्मित

†मूल अंग्रेजी में

करने का निश्चय किया गया है ताकि गर्मी के महीनों में ब्राह्मणी नदी में २०० घन फीट जल बना रह सके। इस समय अपरकारो, जो कोइल नदी की एक सहायक है, के आर-पार यह जलाशय निर्मित करने की संभावना का निश्चय करने के लिये जांच हो रही है।

बाढ़ की रोकथाम के उपाय

†*१३३२. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में बाढ़ की रोकथाम के कार्यों के लिये कितनी धनराशि निश्चित करने का विचार है; और

(ख) पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के लिये कितनी धनराशि निश्चित करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) ६० करोड़ रुपये।

(ख) विभिन्न राज्यों के लिये बटवारे का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

नेपाल में ओले गिरने से घायल भारतीय

†*१३३६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री झूलन सिंह :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शशिगढ़ और थानकोट (नेपाल) के बीच में ७ मार्च, १९५६ को ओले गिरने के कारण उन भारतीयों को चोट पहुंची है, जो पशुपति नाथ मन्दिर की यात्रा के लिये नेपाल गये हुये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुये; और

(ग) भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा घायल यात्रियों की चिकित्सा और उन्हें अन्य सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा):** (क) से (ग). यह सच है कि पशुपति नाथ मन्दिर को जाने वाले तीर्थ यात्रियों को, ७ मार्च, १९५६ को ओलों के तूफान से चोटें आई और कई व्यक्ति घायल हुए। जिन लोगों को चोटें पहुंचीं, उनकी ठीक संख्या का पता नहीं है, लेकिन किसी तीर्थ यात्री को गहरी चोट लग जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। काठमांडू में भारतीय राजदूतावास के दवाखाने, स्थानीय बीर अस्पताल और मन्दिर के अहाते में प्राथमिक सहायता केंद्र (फर्स्ट एड कैम्प) में इलाज की सुविधायें मौजूद थीं।

गांवों में बिजली का लगाया जाना

†*१३३७. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में गांवों में बिजली लगाने के कार्य के विस्तार के लिये स्वयं अपन निदेशालय (डाइरेक्टरेट) बना लिये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों में गांवों में बिजली लगाये जाने के कार्य के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४०**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सांभर नमक

†८४१. **श्री हेम राज : क्या उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :.

(क) विभिन्न राज्यों में १९५५ में सांभर नमक की बिक्री के लिये जिला व्यापारियों को कितने लाइसेंस प्रदान किये गये; और

(ख) १९५६ में विभिन्न राज्यों को कितने लाइसेंस, राज्यवार, देने का विचार है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

चलचित्र

†८४२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में केन्द्रीय चलचित्र सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये गये भारतीय और विदेशी चलचित्रों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :

	३५ एम० एम० में २००० फीट से अधिक और १६ एम० एम० में ८०० फीट से अधिक लम्बे चलचित्र	३५ एम० एम० में २००० फीट से और १६ एम० एम० में ८०० फीट से कम लम्बे चलचित्र	योग
भारतीय	३१९	४६६	७८५
विदेशी	५२०	१,४५८	१,९७८

व्यापार अन्तर

†८४४. **श्री इब्राहीम : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ में भारत के विदेशी व्यापार में लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) १९५५–५६ में गत वर्ष की तुलना में आयात बढ़ा है अथवा घटा है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के ही आंकड़े प्राप्य हैं। अभी तक व्यापार अन्तर में लगभग ६५ करोड़ का घाटा है :

(ग) १९५५–५६ में ग्यारह महीनों से आयात में १९५४–५५ के उसी काल की अपेक्षा ५६ करोड़ की वृद्धि हुई है।

खेती के औजारों का निर्यात

†८४५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत से कितने मूल्य के खेती के औजार, चेफ कटर्स, सिलाई की मशीनें निर्यात किये गये;

(ख) वे किन देशों को निर्यात किये गये और उनका अलग-अलग क्या मूल्य है; और

(ग) सरकार से इन चीजों के निर्यात का विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). खेती के औजारों और चेफ कटर्स के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े सामुद्रिक व्यापार लेखों में अलग से दर्ज नहीं किये जाते । इसलिये जानकारी उपलब्ध नहीं है । जहां तक सिलाई की मशीनों का सम्बन्ध है, १९५५ में वे किन देशों को और कितने मूल्य की निर्यात की गई यह संलग्न विवरण में दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ग) विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४१**]

वृत्तान्त चलचित्र

†८४६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास विषयक एक वृत्तांत चलचित्र के निर्माण का कार्य कलकत्ता के किसी प्रमुख स्टूडियो को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस स्टूडियो का नाम क्या है;

(ग) चलचित्र का ठेका कितने रुपये का दिया गया है; और

(घ) वह कब तक पूर्ण हो जायगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मेसर्स न्यू थियेटर्स लिमिटेड ।

(ग) २० रुपये प्रति फुट ।

(घ) लगभग छे से लेकर आठ महीनें में ।

लुगदी

†८४७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में देश में कितनी लुगदी (पल्प) की खपत हुई; और

(ख) उसी समय में कितनी लुगदी (पल्प) का आयात किया गया ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु कागज, कागज के गत्ते, रेयन के धागे, कच्चे रेशे (स्टेपिल फाइबर) के वास्तविक उत्पादन के आधार पर लुग्दी की अनुमानित खपत लगभग २,००,००० टन है ।

(ख) २०,८६३ टन ।

भाखड़ा नहरें

†८४८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा की कितनी नहरों से सिंचाई कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) गत मौसम में लगभग कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई; और

(ग) सब नहरें कब तक तैयार हो जायंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहा और इस्पात व्यापारी

८४९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ पर पूछे गये अनुपूरकों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में लोहा और इस्पात के नियंत्रित (कंट्रोल्ड) और पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) व्यापारियों के नाम और निवास स्थान क्या हैं;

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ में इन में से प्रत्येक को कितनी कीमत का लोहा और इस्पात दिया गया;

(ग) इन दोनों प्रकार के व्यापारियों को दिये जाने वाले कमीशनों की दरें क्या थीं; और

(घ) ये व्यापारी कितने वर्षों से यह ठेकेदारी करते चले आये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (घ). एक विवरण साथ में संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०— १३०/५६]**

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) नियंत्रित (कन्ट्रोल्ड) स्टाक होल्डरों को ३० रुपये प्रति टन और पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) स्टाकिस्टों को ४५ रुपये प्रति टन ।

उद्योग व्यापार पत्रिका

८५०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग व्यापार पत्रिका की कितनी प्रतियां प्रति मास प्रकाशित होती ह;

(ख) प्रति मास कितनी प्रतियां बिकती हैं; और

(ग) इसकी छपाई और प्रकाशन आदि का अनुमानित मासिक व्यय कितना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३,००० ।

(ख) १,५०० ।

(ग) १,३५९ रुपये प्रति मास ।

भारत सरकार का मुद्रणालय, नई दिल्ली

†८५१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का छापाखाना, नई दिल्ली, में जिन कर्मचारियों की ५५ वर्ष की आय के पश्चात् सेवा की अवधि बढ़ाई गई है उनकी शाखावार संख्या क्या है;

(ख) उन में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन की एक वर्ष से अधिक समय के लिये सेवा की अवधि बढ़ाई गई;

(ग) क्या यह सच है कि हैड रीडर की सेवा की अवधि पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ाई जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) बारह :

लिपिक—१

रीडिंग ब्रांच—४

केस रूम—४

मशीन रूम और बाइन्डरी—३ ।

(ख) सात ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कारखानों के श्रमिक और सचिवीय सरकारी कर्मचारी, जो १ अप्रैल, १९३८ से पहले नौकर हुए हों, साधारणतया ६० वर्ष की आयु तक सेवा में रहने के हकदार हैं । लेकिन शर्त यह है कि वे कार्यक्षम रहें, शारीरिक तथा मानसिक रूप में स्वस्थ और ठीक हों । ऐसे व्यक्तियों के मामलों में प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है और उन में से जो इन शर्तों को पूरा करें उन्हें, जब तक वे ६० वर्ष के न हो जायें, सेवा से निवृत्त नहीं किया जाता ।

कुटीर उद्योगों का विकास

†**८५२. श्री रामानन्द दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कुटीर उद्योग के विकास के सम्बन्ध में निम्न शीर्षों के अधीन कितनी रकम खर्च की गई थी :

(१) चमड़ा, (२) जूते, (३) कच्चे चमड़े को कमाना, (४) हथकरघे और (५) खादी; और

(ख) १९५६-५७ में अनुदान, ऋण और राज साहाय्य के रूप में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कोयला धोने का संयंत्र

†**८५३. डा० रामा राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले धोने का एक संयंत्र स्थापित करने के लिये क्या एक जापानी सार्थ के साथ एक करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो करार के निबन्धन क्या हैं;

(ग) संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(घ) इस पर कुल कितनी रकम खर्च होगी; और

(ङ) संयंत्र की क्षमता क्या होगी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय की निश्चित शर्तों के अतिरिक्त निम्न निबन्धनों पर भी करार हुआ है :—

(१) १ जनवरी, १९५८ तक संयंत्र का संभरण तथा संस्थापना सम्बन्धी कार्य पूरा हो जायेगा और यदि न हुआ तो सरकार प्रत्येक सप्ताह के विलम्ब के लिये ठेकेदार से ८६,००० रुपया वसूल करने की हकदार होगी, परन्तु शर्त यह है कि उक्त राशि ठेके के मूल्य के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

†मूल अंग्रेजी में

(२) सार्थ को निम्न बैंक गारंटियां देनी होंगी :

(क) ठेके की अवधि तक, ठेके के संतोषजनक कार्य के सम्बन्ध में, ठेके की कीमत की दस प्रतिशत राशि की गारंटी,

(ख) निर्माण के पश्चात् संयंत्र की संतोषजनक कार्यपूर्त्ति के लिये और संयंत्र के चालू होने के बाद एक वर्ष तक की अवधि के लिये परीक्षणों के सम्बन्ध में ठेके की कीमत की ढाई प्रतिशत राशि की गारंटी,

(ग) संयंत्र के चालू होने के बाद एक वर्ष के लिये चार लाख रुपये की यह गारंटी होगी कि संधारण खर्च उनके संकेत किये गये औसत मासिक आंकड़ों से अधिक नहीं होगा ।

(ग) जिला हजारी बाग (बिहार) में कारगली स्थान पर संयंत्र स्थापित किया जायेगा;

(घ) १·६६ करोड़ रुपये ।

(ङ) प्रति घंटा ५५० टन कोयला ।

भारत-यूगोस्लाविया व्यापार करार

†८५४. **श्री विश्व नाथ राय :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत और यूगोस्लाविया के बीच हाल ही में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : जी, हां । करार की प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

चाय

†८५५. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय का वर्तमान उत्पादन संसार के चाय उत्पादन का कितने प्रतिशत है; और

(ख) आजकल जितनी भूमि पर चाय की खेती होती है उससे अधिक भूमि पर चाय की खेती के लिये क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५५ में संसार के कुल चाय उत्पादन का ५३·६७ भाग भारत में पैदा हुआ था (इसमें रूस, चीन, फारमूसा और जापान देश को नहीं गिना गया क्योंकि उनके आंकड़े प्राप्य नहीं हैं)।

(ख) साधारण रीति से प्रति वर्ष नये क्षेत्रों पर चाय की काश्त होती है । १९५४-५५ में ५४४१ एकड़ नई भूमि पर चाय की काश्त की गई थी ।

वायदा व्यापार

†८५६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२, की धारा ६ के अधीन अब तक जिन संथाओं और अन्य संस्थाओं को मान्यता दी जा चुकी है उनकी संख्या क्या है;

(ख) वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम की धारा ५ के अधीन अब तक कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हो चुके हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन में से अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या है;

(घ) १९५५-५६ में जिन संथाओं और अन्य संस्थाओं को मान्यता दी गई उनकी संख्या क्या है; और

(ङ) विचार किये जाने के लिये अब जो प्रार्थना पत्र लम्बित हैं उन की संख्या क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४२**]

सीमाँकन

†८५७. { **श्री राम दास :**
श्री बी० एस० मूर्त्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर जिस क्षेत्र को सीमांकित किया जा चुका है परन्तु जिस पर सीमा खम्बे नहीं लगाये गये हैं उसकी लम्बाई कितने मील है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पश्चिमी खंड (जोन) में (जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश को छोड़ कर) कुल लगभग १,५०३ मील लम्बी भारत-पाकिस्तान सीमा में से अब तक ७७९ मील में स्तम्भों द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है ।

पूर्वी खंड (जोन) में २,४६३ मील लम्बी भारत पाकिस्तान सीमा में से अब तक लगभग १,४९२ मील सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकित नहीं की गई है ।

आकाशवाणी

†८५८. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलाकारों को प्रोग्राम में भाग लेने के लिये आमंत्रित करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है; और

(ख) क्या आकाशवाणी के विजयवाड़ा केंद्र में ऐसी कोई घटनायें हुई हैं कि कलाकारों द्वारा निश्चित समय में उत्तर न दिये जाने पर उनके प्रोग्राम सम्बन्धी संविदा (कन्ट्रैक्ट) को रद्द कर दिया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्रोग्राम सम्बन्धी संविदा (कन्ट्रैक्ट) साधारणतया कलाकारों को काफी समय पहले भेजी जाती है ताकि आवश्यक जानकारी कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रिकाओं में छापी जा सके । यदि समय पर कलाकारों की मंजूरी न मिल सके तो उन्हें अनुस्मारक भेजे जाते हैं और उनके स्थान पर तभी कोई अन्य प्रबन्ध किया जाता है जब कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रिकाओं को सामग्री भेजने की कालावधि समाप्त होने वाली हो ।

(ख) हाल में दो ऐसी घटनायें हुई हैं जिन में कलाकारों को डाक के द्वारा संविदायें (कन्ट्रैक्ट) प्राप्त नहीं हो सकी थीं परन्तु बाद में इन कलाकारों को उनके उन प्रोग्रामों के स्थान पर अन्य प्रोग्राम दे दिया गया था ।

आकाशवाणी

†८५९. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समय सूचक ध्वनि (टाइम सिगनल ट्यून) को बदलने के लिये क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदनों और सुझावों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आकाशवाणी की संगीत स्वर-परीक्षण बोर्ड तालिका

†८६०. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में गाने वाले कलाकारों को प्राप्त करने के लिये और उनके श्रेणीकरण के लिये संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड तालिका की प्रत्येक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं;

(ख) कलाकारों को आने के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जाती है; और

(ग) सूचनाएं कैसे भेजी जाती हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) साधारणतया एक वर्ष में एक बार और आवश्यकतानुसार कुछ वर्षों में दो बार ।

(ख) साधारणतया १५ दिन ।

(ग) डाक द्वारा और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद तार द्वारा सूचित किया जाता है ।

विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रधान

†८६१. **श्री पी० एल० कुरील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में विभिन्न देशों में कितने व्यक्तियों को भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रधानों के रूप में नियुक्त किया गया था;

(ख) इन में से कितने व्यक्ति भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०), भारतीय प्रशासन सेवा (आइ० ए० एस०) और प्रांतीय असैनिक सेवा (पी० सी० एस०) आदि जैसी सेवाओं में से लिये गये थे;

(ग) इन में कितने व्यक्ति सेना और अन्य सेवाओं से निवृत्त हुए कर्मचारी थे; और

(घ) इन में से कितने व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त होने से पहले सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४३]**

पाकिस्तान को चावल का निर्यात

†८६२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में पाकिस्तान को कुल कितना चावल भेजा गया था;

(ख) प्रति टन निर्यात मूल्य (भारतीय रुपयों में) कितना था; और

(ग) जिन पत्तनों और राज्यों से चावल भेजा गया उनके नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). प्राप्य जानकारी के अनुसार १९५५–५६ के पहले ग्यारह महीनों में पाकिस्तान को वाणिज्यिक रूप में चावल नहीं भेजा गया था । मार्च १९५६ के सम्बन्ध में अभी जानकारी प्राप्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र के लिये इस्पात का कारखाना

†८६३. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने केंद्रीय सरकार से आन्ध्र में एक इस्पात की गढ़ाई का कारखाना स्थापित करने की प्रार्थना की है;

(ख) उस संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव पर कोई निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) लागत तो इस बात पर निर्भर करेगी कि कारखाने की क्षमता कितनी होती है ।

(ग) आन्ध्र सरकार की प्रार्थना पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है परन्तु फिलहाल इरादा यही है कि इस्पात की गढ़ाई के कारखाने उन इस्पात कारखानों के साथ स्थापित किये जायें जो सरकार बना रही है ।

सरकारी मुद्रणालय

†८६४. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री सरकारी छापाखानों के नाम, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और १९५२ से लगाकर प्रत्येक वर्ष किये गये विस्तार के बाद उनके द्वारा की गई औसत छपाई बताने की कृपा करेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२७४–९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०३	सीमेंट ...	१२७४–७६
१३०४	बुद्ध के सम्बन्ध में चलचित्र ...	१२७६
१३०५	बांधों की अनुमित जीवन-अवधि ...	१२७६–७८
१३०६	सामान्य सर्पगन्धा ...	१२७८–७९
१३०८	न्यूजीलैंड में भारतीय	१२७९
१३११	कोसी परियोजना ...	१२७९–८०
१३१२	शिक्षात्मक चलचित्र	१२८१
१३१४	मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर, अल्वाये	१२८२–८३
१३१५	ताज महल सम्बन्धी चलचित्र	१२८३
१३१६	मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों सम्बन्धी भारत-पाक करार	१२८४–८५
१३१७	जालाहाली मशीनी औजार फैक्टरी, लिमिटेड	१२८५
१३१९	कुटीर उद्योगों के लिये न्यूनतम कार्यक्रम	१२८५–८६
१३२०	चाय बोर्ड	१२८६–८७
१३२१	पटसन मिल	१२८७
१३२३	सिलहट से मुसलमानों का चोरी-छिपे आना ...	१२८७–८९
१३२४	चिरापूंजी और अमीन गांव के बीच रज्जुपथ	१२८९–९०
१३२५	उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	१२९०–९१
१३२७	कन्नड़ भाषा में समाचारों का प्रसारण ...	१२९१
१३२८	वेक्सीन और सीरम	१२९२
१३२९	इथोपिया में भारतीय किसान	१२९२–९३
१३३१	नाग्हन फाउण्डरी लिमिटेड ...	१२९३–९४
१३३३	राज्य कोयलाखानों में प्रशिक्षण सुविधायें	१२९४
१३३४	औषध-उद्योग	१२९४–९५
१३३५	मध्य भारत का दीवालु की घड़ियों का कारखाना	१२९५
१३००	ऊनी कपड़ा ...	१२९५–९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		... १२९६–१३०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०१	जम्मू और कश्मीर सरकार को ऋण ...	१२९६
१३०२	तेल शोधक कारखाने	१२९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३०७	लौह अयस्क खानें	१२९६–९७
१३०९	कागज का निर्माण ...	१२९७
१३१०	भारत-जापान व्यापार करार	१२९७
१३१३	वंशधारा नदी परियोजना	१२९७-९८
१३१८	पिम्परी पेनीसिलीन फैक्टरी	१२९८
१३२२	मंडी में सेंधा नमक की खानें	१२९८
१३२६	खांडसारी ...	१२९८
१३३०	रूरकेला इस्पात संयंत्र	१२९८–९९
१३३२	बाढ़ की रोकथाम के उपाय ...	१२९९
१३३६	नेपाल में ओले गिरने से घायल भारतीय	१२९९
१३३७	गांवों में बिजली का लगाया जाना	१२९९
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
८४१	सांभर नमक	१३००
८४२	चलचित्र ...	१३००
८४४	व्यापार अन्तर ...	१३००
८४५	खेती के औजारों का निर्यात	१३००–०१
८४६	वृत्तांत चलचित्र	१३०१
८४७	लुगदी	१३०१
८४८	भाखड़ा नहरें ...	१३०१
८४९	लोहा और इस्पात व्याख्यारी	१३०२
८५०	उद्योग व्यापार पत्रिका ...	१३०२
८५१	भारत सरकार का मुद्रणालय, नई दिल्ली	१३०२–०३
८५२	कुटीर उद्योगों का विकास	१३०३
८५३	कोयला धोने का संयंत्र ...	१३०३–०४
८५४	भारत-यूगोस्लाविया व्यापार करार	१३०४
८५५	चाय	१३०४
८५६	वायदा व्यापार ...	१३०४–०५
८५७	सीमांकन	१३०५
८५८	आकाशवाणी	१३०५
८५९	आकाशवाणी	१३०५–०६
८६०	आकाशवाणी की संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड तालिका	१३०६
८६१	विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रधान	१३०६
८६२	पाकिस्तान को चावल का निर्यात ...	१३०६
८६३	आंध्र के लिये इस्पात का कारखाना	१३०७
८६४	सरकारी मुद्रणालय	१३०७

M36LSD—12-6-57—190—GIPF.

मंगलवार
10 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० म० पू०

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक सभा श्रम मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांग संख्या ७०, ७१, ७२, ७३, ७४ और १३७ पर विचार करेगी। इस मंत्रालय की मांगों के लिये पांच घंटे का समय नियत किया गया है।

विभिन्न मांगों पर कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। माननीय सदस्य पन्द्रह मिनट के भीतर उन चुने हुये कटौती प्रस्तावों की, जिन को वह प्रस्तुत करना चाहते हैं, संख्या लिख कर दे दें। यदि प्रस्तावक सदस्य सभा में उपस्थित होंगे और प्रस्ताव अन्य प्रकार से ठीक होगा तो मैं उस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया मान लूंगा।

१९५६-५७ के लिये अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
७०	श्रम मंत्रालय	१४,४९,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक	२२,३७,०००
७२	श्रम मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभाग तथा व्यय ...	३,५२,७९,०००
७३	काम-दिलाऊ दफ्तर और पुन:संस्थापन	१,९४,५१,०००
७४	असैनिक प्रतिरक्षा ...	१,०३,०००
१३६	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	५०,४२,०००

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

M112LSD—1

†**श्री तुषार चटर्जी** (श्रीरामपुर) : मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों का कोई कल्याण नहीं किया है, परन्तु मुख्य बात यह है कि मंत्रालय ने श्रमिकों की जो भी थोड़ी बहुत भलाई की है वह श्रमिकों की मुख्य समस्याओं का निबटारा करने में सरकार की असफलता के पीछे छिप जाती है। स्वयं सरकारी प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है व्यर्थ जाने वाले काम के दिनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो गयी है। श्रम-विवादों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यही है कि सरकार श्रमिकों की मजूरी, छंटनी और अन्य बुनियादी बातों से सम्बन्धित समस्याओं का निबटारा करने में असफल रही है।

सब से पहले मैं मजूरी के ही प्रश्न को लूंगा। स्वतंत्रता प्राप्त हुए आठ वर्ष बीत चुके हैं परन्तु निर्वाह मजूरी के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है। जब भी हम इस प्रश्न को उठाते हैं, सरकार इस के प्रति लापरवाही दिखाती है। इतना ही नहीं, उचित मजूरी का भी प्रश्न है। परन्तु सरकार उचित मजूरी आयोग तथा गजेन्द्रगडकर पंचाट की सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने के पक्ष में नहीं है। मजूरी की वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक मजूरी के सम्बन्ध में भी प्रत्येक उद्योग के श्रमिक युद्ध-पूर्व स्तर तक भी नहीं पहुंच पाये हैं यदि सरकार ने न्यूनतम बात भी कर दी होती तो हम समझ सकते थे कि सरकार वास्तव में मजूरी के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक कुछ करना चाहती है। परन्तु वह न्यूनतम कार्य भी नहीं किया गया है।

सरकार के प्रतिवेदनों में यह कहा जाता है कि मजूरी रातोंरात तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, उसका उत्पादन के साथ सम्बन्ध होना चाहिये। परन्तु सरकार की यह नीति भी तो कार्यान्वित नहीं की जाती है। हम जानते हैं कि उत्पादन में ४० प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गयी है। क्या कहीं भी मजूरी में भी इतनी ही अथवा लगभग इतनी ही वृद्धि की गयी है? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उत्पादन में वृद्धि का यही अर्थ नहीं है कि केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है; उत्पादन के साथ ही साथ लाभ और श्रमिक की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी मजूरी में वृद्धि नहीं की गयी है। इसलिये मुख्य प्रश्न यह है कि श्रमिकों को उचित मजूरी की गारंटी देने की सरकार की कोई नीति ही नहीं है। सरकारी नीति के अभाव का फल यह होता है कि सरकार द्वारा मजूरी के प्रश्न का निबटारा करने के लिये नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधिकरण अपने मार्ग पर चलते हैं, मालिक अपने रास्ते पर जाते हैं। मालिकों की स्थिति क्या है? क्योंकि सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है इसलिये मालिकों को मनमानी करने का अवसर प्राप्त होता है। पिछले वर्ष बैंक कर्मचारियों का विवाद उठा था। मजूरी के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति न होने के कारण बैंक-कर्मचारियों के वर्त्तमान वेतन में भी भारी कटौती कर दी गयी है।

इसलिये, मेरा यह मत है कि यदि सरकार श्रमिकों के लिये उचित मजूरी की गारंटी देने के लिये कुछ सक्रिय कार्यवाही करना चाहे तो वह दो कार्य तो कर ही सकती है। पहला तो यह, कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मजूरी में भी सारतः कुछ वृद्धि की जानी चाहिये। दूसरे निर्वाह वेतन प्राप्त करने की दिशा में पहले उपाय के रूप में राष्ट्रीय आधार पर एक निम्नतम मजूरी निश्चित कर दी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में, मैं बोनस (लाभांश) का प्रश्न भी उठाता हूं। बोनस का उपबंध करने की भी कोई सरकारी नीति नहीं है। बोनस के दावे का समर्थन करने वाला कोई संविहित उपबन्ध भी नहीं है। इसलिये, कम से कम पटसन उद्योग के सम्बन्ध में तो मुझ को ज्ञात है कि उसके श्रमिकों की बोनस की मांग ठुकरायी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री बी० सी० राय तक ने यह स्वीकार किया है कि जूट उद्योग में बोनस की मांग सर्वथा न्यायसंगत थी। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश जूट

†मूल अंग्रेजी में।

के कारखानों में कारखानों के मालिक बोनस दे सकते हैं, परन्तु बोनस के प्रश्न को निर्देश पदों में सम्मिलित नहीं किया गया । मैं अभी बोनस की प्रमात्रा का प्रश्न नहीं उठाता हूं क्योंकि उसका निर्णय बाद में किया जा सकता है, परन्तु कोई संविहित उपबन्ध अवश्य होना चाहिये ताकि बोनस के दावों को ठुकराया न जा सके ।

फिर छंटनी का प्रश्न आता है । सरकार स्वीकार करती है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है । इस समस्या को एक दिन में तो हल नहीं किया जा सकता परन्तु सरकार को उसके सुलझाने की दिशा में कदम तो बढ़ाना चाहिये । सरकार को कम से कम छंटनी रोकने का प्रयत्न तो करना चाहिये । प्रत्येक उद्योग में छंटनी बढ़ रही है । सरकार ने अभी इसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है । इस समस्या के कारण मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा है । जब कोई आन्दोलन होता है तो सरकार मजदूर नेताओं को दोष देती है परन्तु छंटनी को रोकने का प्रयत्न नहीं करती । युद्ध-सामग्री कारखानों में बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त आदमी छंटनी का सामना कर रहे हैं । इसके विपरीत दूसरी ओर सरकार ने बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं जिनमें आदमियों को प्रशिक्षण दिया जायगा । यह कैसी विरोधी स्थिति है कि एक ओर प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की छंटनी की जाती है और दूसरी और प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र स्थापित किये जाते हैं ।

दामोदर घाटी निगम में लगभग ३,००० व्यक्तियों को छंटनी की धमकी दी जा रही है । अपने विभागों में भी सरकार ऐसी नीति नहीं अपनाती जिससे छंटनी का प्रश्न उत्पन्न न हो । बहुत समय पूर्व दामोदर घाटी निगम में छंटनी की आशा की गई थी । उस समय यह कहा गया था कि समस्त मंत्रालयों से परामर्श करके एक समन्वित ढंग निकाला जायगा जिससे मजदूरों की अचानक छंटनी न करनी पड़े । एक साल हुआ योजना मंत्री ने एक प्रश्नकर्ता को वैसा आश्वासन भी दिया था । उन्होंने कहा था कि अन्य योजनाओं के लिये नई भर्ती करने के पूर्व इन आदमियों को स्थान मिलेगा । आज एक साल बीत जाने पर भी इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया और अब अचानक ३ या ४ हजार मजदूरों की छंटनी की आशंका है । परन्तु फिर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । सरकार तभी कुछ करती है जब आन्दोलन होते हैं । यह आश्वासन दिया गया था कि २,००० मजदूर दुर्गापुर कोयला-संयंत्र में और ५६० मजदूर बिहार सरकार की योजनाओं में खपा लिये जायेंगे । परन्तु इस आश्वासन के बावजूद भी छंटनी के नोटिस दिये जा रहे हैं । उनकी पुनःनियुक्ति करने अथवा खपत करने की कोई योजना नहीं है ।

जहां तक गैर-सरकारी व्यापार-संस्थाओं का सम्बन्ध है, सरकार यह कहेगी कि उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम में छंटनी प्रतिकर आदि के लिये उपबन्ध कर दिया है । परन्तु जिन लोगों को पटसन तथा अन्य उद्योगों की जानकारी है वे जानते हैं कि वह प्रतिकर नहीं के बराबर है । उससे मजदूरों की कोई सुरक्षा नहीं हुई और हर जगह अप्रत्यक्ष छंटनी चल रही है ।

लगभग एक वर्ष पूर्व लोक-सभा में पटसन और कपड़े के कारखानों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में एक संकल्प पास हुआ था जिस में अभिनवीकरण के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी । पटसन के उद्योग में इनका अनुसरण नहीं किया जा रहा है । परन्तु फिर भी सरकार ने इस बात की जांच करने की परवाह नहीं की कि उस संकल्प को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं ? यदि सरकार का यह रवैया है तो छंटनी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता ।

अब मैं कुछ श्रमिक कानूनों पर आता हूं जिन्हें सरकार बहुत महत्वपूर्ण मानती है । न्यूनतम मजूरी अधिनियम वास्तव में मजदूरों के लिये महत्वपूर्ण है, परन्तु वैसा केवल कागज पर ही है । वास्तव में, अधिकांश मजदूरों को न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही है । उदाहरणार्थ मेरे जिले में बीड़ी-

[श्री तुषार चटर्जी]

मजदूरों को १ रुपया १२ आने से ले कर २ रुपये ६ पाई तक मिल रहा है जबकि निश्चित दर २ रुपये २ आने हैं ।

फिर, कहीं कहीं ऐसा भी है कि वर्तमान न्यूनतम दर अधिक थी । उन स्थानों में तो सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम दर लागू करने से नियोजकों को ही लाभ हुआ, मजदूरों को नहीं । इस तरह कहीं कहीं अधिनियम से मजदूरों को हानि भी हुई है । अधिकांश कृषि मजदूरों को इस अधिनियम से लाभ नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को समय का ध्यान रखते हुये बोलना चाहिये ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अच्छी चीज़ अवश्य है परन्तु उससे उतना लाभ नहीं हुआ जितनी कि समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं । उस निगम द्वारा नियुक्त उप-समिति ने प्रतिवेदन में कहा है कि चिकित्सा व्यवस्था अत्यन्त अपर्याप्त है । मजदूर चिकित्सा सुविधाओं के लिये भुगतान कर रहे हैं, परन्तु उन्हें वास्तव में कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं ।

फिर, कुछ स्थानों में, कम से कम पश्चिमी बंगाल के पटसन क्षेत्र में, मजदूर इस अधिनियम के लागू होने से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि अभी तक उन्हें चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क मिल रही थीं और अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें उसके लिये भुगतान करना होता है । सरकार कहेगी कि एक रुपये से कम पाने वाले मजदूर से अंशदान नहीं लिया जाता । परन्तु आजकल एक रुपये से कम किसी मजदूर को मिलता ही नहीं है । इसलिये यह तर्क निरर्थक है । इसलिये मैं यह सुझाव रखूंगा कि ७५ रुपये तक मासिक वेतन पाने वालों से कोई अंशदान नहीं लिया जाना चाहिये ।

मैं सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं और दो महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कुछ कह कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । पहली बात है मजदूरों के कल्याण के सम्बन्धी कार्य । मैंने हाल ही में मानभूम जिले के लाख उद्योग में लगे हुये मजदूरों की स्थिति देखी थी । काम करते समय उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे बहुत से मजदूरों के हाथ पैर खराब हो जाते हैं और वे कोई अन्य कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं । उनकी सहायता के लिये भी कोई उपबन्ध नहीं है । बिहार मजदूर जांच समिति ने इस मामले की जांच करके कुछ सिफ़ारिशें की थीं । परन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि अच्छे श्रमिक कानून मजदूरों के लिये अच्छे तो होते हैं परन्तु सरकार को चाहिये कि उनका ठीक तरह पालन भी कराये । यदि कोई नियोजक उनका उल्लंघन करे तो उसको समुचित रूप से दंडित करने का उपबन्ध होना चाहिये । यदि कोई नियोजक न्यायाधिकरण पंचाट का उल्लंघन करता है तो उस पर केवल १,००० रुपये का जुर्माना किया जा सकता है जोकि बहुत कम है क्योंकि उस उल्लंघन से उसे उससे कहीं अधिक लाभ हो जाता है ।

फिर एक अन्य बात भी है । बी० पी० रेलवे में १९४९ से एक औद्योगिक विवाद चल रहा था । नियोजक ने न्यायाधिकरण पंचाट का अनेक बार उल्लंघन किया परन्तु मंत्रालय उस में कुछ नहीं कर सका। १९४९ से १९५५ तक ऐसा चलता रहा है । सरकार असमर्थ है, वह पंचाट को कार्यान्वित नहीं करा सकती । इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त श्रमिक कानूनों की कार्यान्विति की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि नियोजक उनका पालन नहीं करते तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिये । अन्यथा मजदूरों का ऐसे कानूनों के प्रति विश्वास उठ जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये यदि सरकार मजदूरों की मांगें पूरी करना चाहती है तो श्रमिक कानून इस तरह बनाये जाने चाहियें कि नियोजक उनका पालन अवश्य करें। यदि सरकार ऐसा करे तभी हम यह समझेंगे कि वह मजदूरों के लिये कुछ करना चाहती है।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग) : मेरे माननीय मित्र ने जिन्होंने अभी भाषण दिया, कहा कि हमारी श्रम सम्बन्धी नीति ठीक नहीं रही है, किन्तु उन्होंने जो बातें कहीं उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

हमारे सामने मुख्य प्रश्न श्रम मंत्रालय के कार्यों की निष्पक्ष आलोचना करना है। श्रम मंत्रालय ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उदाहरणस्वरूप, भविष्य निधि अधिनियम पन्द्रह लाख श्रमिकों पर लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को लगभग १० लाख अन्य कर्मचारियों पर और लागू किया गया है और इसे उत्तरोत्तर संगठित श्रमिकों के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जा रहा है। मेरे मित्र ने कहा है कि लोग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे अन्य समवायों की तुलना में कम लाभ प्राप्त होता है। मेरे विचार से यह मामला विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में जीवनांकिक का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है। मेरे विचार से श्रमिकों के परिवारों को भी इनका लाभ दिया जायेगा।

इसके अलावा भी मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। प्रबन्धकों को शिक्षित करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा चुकी है। भारतीय प्रबन्ध संसार में सब से पिछड़ा है। प्रबन्धक यह भी नहीं जानते कि उद्योग में श्रमिकों की क्या स्थिति होनी चाहिये। इस कार्य के लिये केन्द्रीय श्रम संस्था की स्थापना की गई है। एक उत्पादन केन्द्र भी खोला गया है और उद्योग के अन्दर भी प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है। योजना यह है कि ऐसे संग्रहालय खोले जायेंगे जहां श्रमिक के उत्पादन तथा उसके स्वास्थ्य, कुशलता, काम, रहन सहन की स्थिति और मजूरी इत्यादि का सम्बन्ध दिखाया जायेगा। हमारे देश की प्रजातंत्रीय अर्थव्यवस्था में निजी नियोजक का स्थान अभी बना रहेगा। इससे उन्हें प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

समाज कल्याण योजना में भी सरकार ने कुछ निश्चित कार्यवाही की है तथापि मेरे विचार से प्रगति सन्तोषजनक नहीं हुई है। यद्यपि कुछ उद्योगों में श्रम कल्याण निधियां स्थापित हुई हैं तथापि उनसे अभीष्ट लाभ नहीं हुआ है। मैं मंत्रालय का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन निधियों में वृद्धि की जाय और उनका अन्य उद्योगों तक विस्तार करने का सिद्धांत भी अपनाया जाय। हाल ही में इस प्रश्न पर स्थायी श्रम समिति में चर्चा हुई थी किन्तु नियोजकों ने इस योजना से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। मैं अन्य देशों के अनुभव से यह कह सकता हूँ कि श्रमिकों की स्थिति और उत्पादन में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यदि इस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाय तो मुझे विश्वास है कि नियोजक लोग श्रमिकों के काम करने तथा रहन सहन की स्थिति में परिवर्तन करेंगे।

मैं इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय श्रमिक पिछड़ा हुआ है और वह कम उत्पादन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय श्रमिक पिछड़ा हुआ नहीं है। यदि विदेशों में अधिक उत्पादन होता है तो उसका कारण अच्छी मशीनें हैं। यदि भारतीय श्रमिक को रहन सहन और काम करने की वही सुविधायें उपलब्ध हों जो विदेशों में मजदूरों को मिलती हैं तो वह भी अन्य देशों के श्रमिकों के समान उत्पादन कर सकता है। इसलिये मैं देश के सभी नियोजकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूँगा कि वे अठारहवीं शताब्दी के पुराने विचारों को छोड़ कर श्रमिक वर्गों को काम करने की अच्छी सुविधायें दें जिससे कि उसका उत्पादन बढ़ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

पिछले वर्ष द्विपक्षीय करारों की दशा में कुछ कार्यवाही की गई थी। हमारे देश में द्विपक्षीय करारों का अनुभव बहुत कम है। अधिकांश नियोजक न्यायाधिकरण को ही पसन्द करते हैं। मैं इस प्रवृत्ति को पसन्द करता हूँ और मुझे आशा है कि यदि यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो मजूरी इत्यादि के अन्य मामले भी इसी प्रकार तय हो जाया करेंगे। इसलिये नियोजकों को पहले कार्मिक संघों को मान्यता देनी चाहिये और दूसरे द्विपक्षीय करार की आवश्यकता समझनी चाहिये।

पिछले वर्ष बेकारी में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रतिरक्षा विभाग, दामोदर घाटी निगम, खाद्य विभाग इत्यादि में छंटनी हुई है। पटसन उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में भी वैज्ञानिकन के फलस्वरूप छंटनी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में जो करार हुआ था वह निःसंदेह बहुत पुराना हो गया है। इसलिये मेरे विचार में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में समझौता होना चाहिये। दूसरे लाभ और नियंत्रण में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों दोनों का भाग होना चाहिये। छंटनी नहीं होनी चाहिये, फिलहाल वैज्ञानिकन केवल उत्पादन वृद्धि के लिये ही होना चाहिये।

पटसन के उद्योग का आधुनिकीकरण अवश्य किया जाना चाहिये अन्यथा यह उद्योग प्रतियोगिता के सामने नहीं ठहर सकता है।

मजूरी के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। पिछले वर्ष कुछ असंगत प्रवृत्तियां देखने में आईं। उन दिनों की हानि में वृद्धि हुई है। इसका महत्वपूर्ण कारण मजूरी और बोनस का प्रश्न था, और यह प्रश्न अभी भी हल नहीं हुआ है। जब तक यह प्रश्न उपयुक्त रीति से हल नहीं होगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा।

यह कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति बोनस का प्रश्न हल करने का प्रयत्न करेगी। यह काम जितना शीघ्र किया जाय उतना ही अच्छा होगा।

मजूरी का प्रश्न बहुत गम्भीर है सरकार द्वारा परिचालित पत्रों से ज्ञात होता है कि १९४६ से १९५४ के बीच मजूरी में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ा है किन्तु उनकी मजूरी की वृद्धि के सही आंकड़े जानने के लिये हमें युद्ध पूर्व के आंकड़ों से आज के आंकड़ों की तुलना करनी चाहिये। क्योंकि यदि हम १९३९ के आंकड़ों को १०० मानें तो १९४६ में यह केवल ७४ के लगभग थे। यह भी उल्लेखनीय है कि १९५० की तुलना में आज के उत्पादन का देशनांक ७८·८ से बढ़ कर ११३ हो गया है। अर्थात् उसमें ३४·२ की वृद्धि हुई है, जबकि मजूरी का देशनांक वहीं रहा। मजूरी के देशनांक में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से मजदूर को मजूरी में वृद्धि की मांग करने का पूरा अधिकार है और उनकी मांग न्यायोचित है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि घाटे की अर्थव्यवस्था आदि को देखत हुए श्रमिकों को अधिक मजूरी मांगनी चाहिये। यह भी कहा गया था कि उत्पादन बढ़ने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, उत्पादन बढ़ गया है। इसलिये श्रमिकों के लिये रियायतें मांगने का यह उपयुक्त समय है। मैं आशा करता हूं कि उन्हें कुछ रियायतें दी जायेंगी। अभी तक उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। वेतन तथा लाभ के आंकड़ों से हमें ज्ञात होता है कि शुद्ध आय में से वेतन का प्रतिशत १९५० से १९५४ के बीच ४२ प्रतिशत से घट कर ३३ प्रतिशत हो गया है जब कि इसी अवधि में लाभ का प्रतिशत ५८ से बढ़ कर ६७ प्रतिशत हो गया है। इस कुल अवधि में कारखानों को शुद्ध आय १९३ करोड़ हुई और लाभ अर्थात् लाभांश में २६० करोड़ की वृद्धि हुई। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि श्रमिकों को लाभ के आधार पर जितना मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला जब कि इसी अवधि में थोक माल के मूल्यों के देशनांक में ९·९ प्रतिशत

तथा खाद्यान्नों के मूल्य में १९·४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अतः श्रमिक अपनी मजूरी में वृद्धि चाहते हैं तो यह न्यायोचित है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़े हो कर हमें यह विचार करना चाहिये कि क्या श्रमिकों की आय में २५ प्रतिशत वृद्धि करने से और श्रमिकों तथा नियोजकों से यह वचन लेने पर कि वे आगामी तीन वर्षों तक शान्ति रखेंगे अधिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है । दो अन्य बातों से भी व्यय कम हो जाता है । पहिली बात है समवाय विधि का लागू किया जाना जिसके फलस्वरूप प्रबन्ध अभिकरण पद्धति समाप्त करके ऊपर का व्यय कम कर दिया गया है । इसके प्रबन्धक निदेशों का परिश्रमिक घटा दिया गया है । कर जांच आयोग ने अधिकतम और न्यूनतम वेतन के बीच के अन्तर को कम करने की सिफारिश की है । आशा है कि नियोजक देश की नीति को ध्यान में रखते हुये इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ कार्यवाही करेंगे । यदि हम उक्त सभी सुधारों के फलस्वरूप हुई खर्च की बचत को जोड़ें तो यह लगभग ५७·२ होगी जब कि हम केवल २५ प्रतिशत की वृद्धि की जांच कर रहे हैं । मेरे विचार से यह एक न्यायोचित प्रस्ताव है ।

अब मैं औद्योगिक विधान का प्रश्न लूंगा । देश के लगभग सभी दलों के श्रमिक इस बात पर सहमत हैं कि जब तक सभी मार्ग बन्द न हो जायें हड़ताल नहीं करनी चाहिये, किन्तु विधि इतनी विलम्ब कारिणी है कि लोगों का विश्वास इससे उठता जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैं बैंक पंचाट का उदाहरण दे सकता हूं । विधि को शीघ्र कार्यकारी बनाया जाय । कार्यपालिका के कमचारियों की संख्या में वृद्धि की जाय जिस से वह तत्परता से काम कर सकें । पिछले वर्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक संशोधन किया गया था कि व्यक्तिगत विवाद भी मध्यस्थों तक ले जाये जा सकते हैं । यह उचित दिशा की ओर उठाया गया एक सही कदम था । अपीलीय का प्रश्न भी निलम्बित है । मेरे विचार से इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये, औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम भी पुरःस्थापित किया गया था किन्तु वह आज तक निलम्बित है । यह यथाशीघ्र पारित किया जाना चाहिये । वस्तुतः हम श्रम विधानों के सम्बन्ध में बहुत पिछड़े हुये है, हमारे सारे विधान गतकाल हो गये हैं । इन में संशोधन किया जाना चाहिये । मुश्किल यह है कि हमें समय नहीं मिल रहा है । यदि ये विधान शीघ्र पारित हो जायें तो पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच बहुत सा विवाद समाप्त हो जायेगा और स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो जायेगा ।

विधि को लागू करने वाले कर्मचारियों की भी बहुत कमी है । इस सम्बन्ध में एक स्थायी श्रम न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया था । यह निकाय जितनी जल्दी बनाया जाय उतना ही अच्छा है । पिछले वर्ष विशेषतः कोयला खानों में भीषण दुर्घटनायें हुई थीं । सरकार ने तत्काल जांच आयोग की नियुक्ति की और उनके प्रतिवेदनों से ज्ञात हुआ कि वे सब दुर्घटनायें पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव के कारण हुई थीं । मेरे विचार में सरकार बहुत से निरीक्षक नियुक्त करने वाली है । ऐसा होने पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं के रोके जाने को बहुत सहायता मिलेगी ।

सरकारी क्षेत्र में किसी वार्ता माध्यम का अभाव ही संघर्ष का मूल कारण है । यद्यपि सर्वोच्च स्तर पर श्रम निदेशक होता है तथापि कारखाना स्तर पर कोई प्रतिनिधि नहीं होता है । अतः यह उचित समय है कि सरकारी क्षेत्र में वार्ता माध्यम को स्वीकार किया जाय । जर्मनी में श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने वाली व्यवस्था खूब सफल रही है । यह वहां इतनी सफल हुई है कि पूर्णतः विनष्ट होने पर भी जर्मन उद्योग इस समय १९३९ के स्तर पर पहुंच गया है । इसका मुख्य कारण श्रमिकों का प्रबन्ध में भाग है । यह सहयोग दो प्रकार का होता ह, पहिला निदेशन में, और दूसरा प्रबन्धक परिषद् के द्वारा । प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने से पारस्परिक संघर्ष बहुत घट जाते हैं ।

अब मैं मंत्रालय का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर आकर्षित करूंगा, जहां पिछले दो वर्षों से आपसी झगड़ों का बाजार गर्म है और राजनैतिक बातों को लाया जाता है । किन्तु हमने अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

श्रम संगठन में सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को कायम रखने का प्रयत्न किया है और हमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है; किन्तु शीत युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में घसीट लाने से श्रमिकों को बहुत हानि हुई है ।

जहां तक व्यापक समाज सुरक्षा योजना का सम्बन्ध है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । हमने भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें सुझाव दिया था कि उपदान, भविष्य निधि, और राज्य बीमा को एक में मिला दिया जाय, जिससे कि अन्य सुविधाओं और लाभों के साथ निवृति वेतन भी मिल सके । मेरे विचार में यह मामला योजना आयोग के समक्ष निलंम्बित है । जितनी जल्दी यह योजना लागू की जा सके उतना ही अच्छा है । मेरे विचार से यदि हम इन तीनों चीजों को मिलाकर श्रमिकों को अधिक लाभ देंगे तो यह हमारे देश के श्रमिक विधान की सफलता का एक अच्छा उदाहरण होगा ।

गृह-निर्माण के कार्य में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है । सरकारी क्षेत्र में गृह-निर्माण का दायित्व निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के ऊपर है, किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में गृह-निर्माण की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय की होनी चाहिये क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रम मंत्रालय का ही प्रभाव है । वही उन्हें ऋण और अनुदान दिला कर उनसे मकानों का निर्माण करा सकता है । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा मकानो का निर्माण सम्भव हो सके तो उन्हें स्वयं ही मकान बनाने चाहियें । किन्तु जब तक श्रम मंत्रालय इस बात का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा तब तक इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हों सकती ।

जहां तक बागान श्रम अधिनियम, और खान अधिनियम का सम्बन्ध है मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इनको लागू करने में बहुत ढील हो रही है; विशेषतः बागान अधिनियम का तो अभी एक भाग ही लागू किया गया है । यदि इसे नियोजकों पर ही छोड़ दिया जायेगा तो यह बहुत समय तक लागू नहीं होगा । प्रारम्भिक रूप में जब नियोजकों और कर्मचारियों का समझौता हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वे प्रति वर्ष आठ प्रतिशत मकान बनायेंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई । प्रत्येक वर्ष वे एक न एक बहाना बना देते हैं । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जब तक श्रम मंत्रालय इस कार्य को अपने ऊपर नहीं लेगा तब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति होना सम्भव नहीं है ।

बीमारी की छुट्टी, विशेषाधिकार छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, इत्यादि बुनियादी प्रश्नों के सम्बन्ध में नीति सामाजिक और राष्ट्रीय नीति पर ही अधिक निर्भर होनी चाहिये । ये मामले श्रमिकों अथवा नियोजकों के ऊपर ही नहीं छोड़े जाने चाहियें । समाज में रहने के कारण यह सामाजिक नीति होनी चाहिये कि कितनी छुट्टियाँ दी जानी चाहियें । सरकार इस सम्बन्ध में स्थायी श्रम समिति के स्तर पर बातचीत करने वाली है । मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं किन्तु अन्त में इसका निश्चय केन्द्र द्वारा विधान बना कर किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि योजना बद्ध समाज में श्रम और प्रबन्ध के बीच संघर्ष के कारण समाप्त हो जाने चाहियें और ऐसा केवल केन्द्रीय विधान बना कर ही किया जा सकता है जिससे सभी श्रमिकों को उसका समान लाभ पहुंचे ।

जहां तक 'सिलिकोसिस' रोग का प्रश्न है, सरकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह रोग बहुत प्रचलित है और इसको रोकने के उपाय किये जा रहे हैं; किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि रोग के घटने से कुशलता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़गा और उससे श्रमिकों और देश दोनों को लाभ होगा ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुझ से पहले असम के एक माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

जहां तक मंत्रिमण्डल के कार्य का ताल्लुक है, मैं यह मानता हूँ कि मंत्रिमंडल ने काफी उत्साह के साथ मालिकों और मज़दूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय मंत्रिमंडल के प्रयत्न केवल इसी हद तक जारी नहीं हैं कि कानून बनाये जायें और उनको इस्तेमाल में लाया जाये बल्कि वह मारल प्रेशर (नैतिक दबाव) एगज़र्ट करके और समझ बूझ के तरीकों से एम्पलायर्ज़ (नियोजक) की मैनटेलिटी में, उनकी मनोवृत्ति में, काफी परिवर्तन लाने में भी सफल हुआ है। लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए और दूसरा पांच साला प्लान (योजना) जो हम आरम्भ करने वाले हैं, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए अभी बहुत दूर तक जाना है और इस प्लान को सफल बनाने के लिये हमें मालिकों और मज़दूरों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने हैं। और मज़दूरों में चाहे वे औद्योमिक क्षेत्र के हों चाहे खेती के क्षेत्र के हों; काफी उत्साह पैदा हो और विश्वास और भरोसा पैदा हो जिससे कि देश के अन्दर जो काम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। हम इस समय अपने देश को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिये यह बुनियादी चीज़ है कि मजदूरों में काफी उत्साह और उनमें काफी भरोसा हो। दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि सरकार काफी जिम्मेदारी के साथ काम करे और वे मजदूरों को इस तरह से संगठित होने में मदद दें कि मजदूर देश की उन्नति के कार्य में अपना पूरा सहयोग दे सकें। अगर इस समय हम लोग इस कार्य में भाग नहीं लेते और मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं करते, या मजदूरों में फ्रस्ट्रेशन (निरुत्साह) रहता है, या हम उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं तो उसका यह लाजिमी नतीजा होगा कि हमारी तमाम योजनायें रुक जायेंगी और हम अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस समय मजदूरों में काफी असंतोष है। कुछ तो उनमें असंतोष स्वाभाविक है पर कुछ उसको बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जाता है। हमारे देश में कुछ ऐसे ऐलीमेंट्स (तत्व) हैं जो इस बात को आवश्यक समझते हैं कि मज़दूरों को आगे बढ़ाने का यही तरीका है कि उनको संगठित करके ज्यादा से ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू (अनुत्रास की आदत) पैदा की जाये और उनके अन्दर यह भावना पैदा की जाये कि तुम जितनी मुसीबत पैदा कर सकोगे उतने ही सफल होओगे। मैं समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन्स (कार्मिक संघ) का यह रास्ता गलत है। हम को न्यूसेंस वैल्यू पैदा करके मज़दूरों के अधिकार नहीं लेना है बल्कि उनको जिम्मेदारी का अहसास कराके और उनमें संगठन और जिम्मेदारी और समझदारी पैदा करके हमें उनके अधिकार बढ़ाने हैं। इसके अलावा, जहां एक तरफ जहां इस तरह से न्यूसेंस क्रियेट (पैदा) किया जाता है वहां दूसरी तरफ न्यूसेंस इनवाइट (आमंत्रित) किया जाता है। कुछ एम्पलायर्स ऐसे हैं कि जब तक मजदूर ऐसे हालात पैदा न कर दें कि काम रुक जाये, वे टस से मस नहीं होते। मैं कहूँगा कि यह चीज़ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर (गैर-सरकारी भाग) में ही नहीं है बल्कि पब्लिक सेक्टर (सरकारी भाग) में भी है। अगर मज़दूर बहुत हल्ला और शोर मचाने को तैयार हो जाते हैं तो हम उनके सामने झुक जाते हैं लेकिन जब तक वह असूल की बात करते हैं हम झुकने को तैयार नहीं होते। इससे मजदूरों में यह भावना पैदा होती है कि अगर हम हल्ला मचायेंगे तो हमारी बात मानी जायेगी वर्ना नहीं मानी जायेगी। हमें इन दोनों बातों को ही रोकना चाहिये। यदि हम देश के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन बातों का इलाज करना ही होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि जहां ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं का यह फर्ज है कि वे जिम्मेदारी से काम लें, वहाँ एम्पलायर्स को भी, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के, मज़दूरों की वाजिब शिकायतों पर ध्यान देना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये। जो अवस्था आजकल है उस पर मुझे दुःख होता है। मैं यह नहीं कहता कि इस परिस्थिति का सारा जिम्मा हमारे लेबर मिनिस्टर (श्रम मंत्री) साहब पर है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि गवर्नमेंट को तो एक माडल (आदर्श)

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

एम्पलायर बनना चाहिये और उसे अपने व्यवहार में कुछ स्टेंडर्ड (स्तर) कायम करने चाहियें, कुछ मेयार कायम करना चाहिये जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिये मार्ग प्रदर्शित करे। इस समय वह चीज़ नहीं हो रही है? मज़दूरों के बारे में कुछ बुनियादी बातों को तो हमें पब्लिक सेक्टर में मानना ही चाहिये, मैं यह समझ सकता हूं कि हमारे कानून मज़दूरों के लिये बने हुए हैं उन पर प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह अमल न हो, लेकिन अगर उन काननों का पब्लिक सेक्टर में पालन न किया जाये तो यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारा इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट (औद्योगिक विवाद अधिनियम) है और वर्क्स कमेटीज़ (कार्य समिति) का संगठन है। हम चाहते हैं कि हम मज़दूरों को मैनेजमेंट (प्रबन्ध) के साथ मिल कर काम करने का मौका देकर मज़दूरों और एम्पलायर्स को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन मैं जानना हूँ कि चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वर्क्स कमेटीज़ का संगठन जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। मजदूरों के नुमायन्दे उन संगठनों में पूरी तरह से नहीं आ पाते या अपनी बात नहीं कह पाते। प्राइवेट सेक्टर में तो मैं यह शिकायत कुछ हद तक समझ सकता हूँ लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी कुछ महकमे ऐसे हैं कि जहां कानूनों का पालन नहीं किया जाता और वहां नीचे वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रम मंत्री जी इन चीजों पर ध्यान दें। मै समझता हूँ कि हम को अपने स्टेंडर्ड को कायम रखने में जितनी कामयाबी पब्लिक सेक्टर में होगी, उसी हद तक इन स्टेंडर्ड्स को प्राइवेट सेक्टर में भी कायम रखा जायेगा।

जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है मुझे खास तौर से सीक्योरिटी आफ सरविस (सेवा सुरक्षा) के बारे में कहना है। मैंने डिफेंस (प्रतिरक्षा मंत्रालय) की डिमांड्स (मांग) पर बहस के दौरान में भी कहा था कि मैं अनुभव करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में तो रिट्रेंचमेंट (छंटनी) के लिये कोई जगह ही नहीं होनी चाहिये। जब हमारी इकानमी (अर्थ व्यवस्था) एक्सपांड (वृद्धि) हो रही है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेंट (रोज़गार) की बात करते हैं तो फिर रिट्रेंचमेंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस विषय में प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो हम को कहीं भी छंटनो करनी ही नहीं चाहिये और हमें यह कोशिश करनी चाहिये जो वर्कर (काम करने वाले) ज्यादा हों उनको दूसरी जगह एबजार्व (काम में लगाना) कर लिया जाये। डिफेंस की बहस के समय हमारे इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया था लेकिन मुझे अफसोस होता है कि अभी तक इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अभी तक हमारे पास समाचार आते हैं कि छांटी हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में पब्लिक सेक्टर का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूँ।

जहां तक वेजेज़ (मजूरी) का सवाल है मेरे मित्र श्री त्रिपाठी जी ने अभी उसके बारे में बतलाया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर के लिये, प्राइवेट सेक्टर के लिये और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज़ (सेवायें) हैं उन सब के लिये एक वेज कमीशन (आयोग) मुकर्रर करना चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमारे श्रम मंत्री जी शीघ्र ही तमाम मिनिस्ट्रीज (मंत्रालय) को इस बात के लिये सहमत कर सकेंगे।

हमने पंचसाला योजना के सिलसिले में यह निश्चय किया था कि हम बहुत ज्यादा नये कानून नहीं बनायेंगे लेकिन जो पुराने कानून हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। यह सही है कि उन पर अमल दरामद कराना बहुत कुछ स्टेट्स (राज्य) के जिम्मे हैं। स्टेट्स में इस ओर कहीं थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है और कहीं इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को स्टेट गवर्नमेंटो का ध्यान दिलाना चाहिये कि जो नीति यहां निर्धारित की जाती है उसके अनुसार काम करें और जो कानून बने हुए हैं उनको लेटर (अक्षरक्षः) और स्पिरिट (बर्ताव) में पूरी

तरह पालन करें। अगर हमारे किसी कानून में कोई कमी है तो उस कानून में तबदीली करके उस कमी को दूर किया जाये। अगर ज्यादा स्टाफ (कर्मचारी) की जरूरत है तो स्टाफ रखा जाये। कभी कभी यह शिकायत सुनने को मिलती है कि लेबर स्टाफ के पास काफी पावर्स नहीं हैं। इससे दिक्कत होती है। इस कमी को भी दूर करना चाहिये। आज यह हो रहा है कि ट्राइबुनल्स (न्यायाधिकरण) के फैसले होते हैं और वे पड़े रहते हैं, पर उन पर कोई अमल नहीं होता। हमारे ही प्रान्त में ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जिन में फैसलों पर अमल दरामत नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि जो फैसले हों उन पर अमल हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मजदूरों का कानून पर से विश्वास उठ जायेगा। आज होता यह है कि जब वे कानून को तोड़ते हैं तो उनकी मुसीबत हो जाती है, पर जब कानून उन के हक में होता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, यह तरीका ठीक नहीं है। हमारी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज (उद्योग) हैं जहां पर कि न्यूनतम वेजेज़ की कोई मियाद नहीं है और यह जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम वेजेज़ (न्यूनतम मजूरी) मुक़र्रर करें। एग्रीकल्चर (कृषि) के अन्दर मैं जानता हूँ हूँ कि मिनिमम वेजेज़ के मुकर्रर करने में और उसका पालन करने में कठिनाइयां हैं लेकिन हमें उसके लिये कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिये।

श्रम के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो यह अक्सर देखने में आया है कि इंडस्ट्रियल लेबरर्स (औद्योगिक श्रमिक) हमारे सामने आ जाते हैं और जो खेतिहर मज़दूर हैं और जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वह ज्यादातर एग्नोर (अव्हेलना) हो जाता है और उसकी उपेक्षा हो जाती है। मेरा तो सुझाव है कि इसके लिये श्रम मंत्रालय एक अलग छोटा सा विभाग मुकर्रर करे जो विशेषकर के देहाती मज़दूरों के हितों की ओर ध्यान दे और उन के सम्बन्ध में वह विचार करे। आज के दिन हमारे देहाती मज़दूर लोग बहुत उपेक्षित हैं और हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट (श्रम संघ आन्दोलन) भी उन लोगों में बहुत नहीं गया है और दूसरी तरफ श्रम मंत्रालय का ध्यान उन खेतिहर मज़दूरों की दशा सुधारने की ओर कुछ विशेष नहीं जाता है और उसके लिये न ही कोई विशेष मशीनरी है जो खास तौर पर उन के लिये ध्यान दे सके। मैं चाहता हूँ कि श्रम मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस ओर जाये।

रेशनेलाइज़ेशन (वैज्ञानिकन) के सम्बन्ध में यहां पर काफी बहस हो चुकी है और गवर्नमेंट की नीति उस सम्बन्ध में काफ़ी साफ है लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि बावजूद गवर्नमेंट की नीति के छोटे-छोटे कारखानों में रेशनेलाइज़ेशन चलता रहता है और मज़दूर बेकार किये जाते हैं और वह रेशनेलाइज़ेशन न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी चलता है और उसकी वजह से मज़दूर लोग आये दिन बेकार होते जा रहे हैं। मैं कम से कम अपने प्रान्त की बाबत कह सकता हूँ कि इस रेशनेलाइज़ेशन की बदौलत काफ़ी संख्या में मज़दूर काम से हटाये जा रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि कारखानेवालों ने किस तरह गवर्नमेंट ने जो एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) लगाई और उसके बारे में जो एक लिमिट (सीमा) रक्खी तो बड़े-बड़े कारखानेदारों ने उसके लिये यह तरकीब की कि अपने बड़े कारखाने के बीच में चार इंच या आठ इंच की एक दीवार खींच दी और उस कारखाने को दो कारखानों में तबदील कर दिया और यह फ्रेगमेंटेशन आफ़ फैक्टरीज़ (कारखानों का विभक्तिकरण) बहुत ज्यादा हो रहा है और यह कह करके कि अब तो हमने पुरानी फैक्टरी को बन्द कर दिया और नई फैक्टरी चालू की है, पुरानी फैक्टरी के मज़दूरों को निकाल दिया और दस दिन के बाद एक की जगह दो फैक्टरीज़ चला करके उन के अन्दर फिर मज़दूरों को नये सिरे से भर्ती कर लिया और पुरानी सर्विस उनकी वेग (व्यर्थ) कर दी और पुराने उनके अधिकार खत्म कर दिये। मेरा कहना है कि इस तरीक़े से मज़दूरों का विश्वास हम पर से उठ

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

जायगा। हमें मज़दूरों के हितों की हिफ़ाजत करनी है क्योंकि आखिर मज़दूरों के पास कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े वकील या सलाहकार लोग तो हैं नहीं जैसे कि बड़े बड़े मिलमालिकों और कारखानेदारों को सुलभ हैं और यह देखा जाता है कि जो श्रम सम्बन्धी कानून पास किया जाता है तो मिलमालिकों के उन वकीलों और कानूनी सलाहकारों की ओर से उस कानून में सुराख तलाश करने की कोशिश की जाती है और उन कानूनों को तोड़ने के रास्ते तलाश किये जाते हैं कि किस तरह से इन को बेकार किया जाये। होता यह है कि एक तरफ श्रम मंत्रालय कानून बनाये, गवर्नमेंट कानून बनाये या यह सदन कानून बनाये, और दूसरी तरफ़ उनको तोड़ने के लिये रोज़ नित नई तरकीबें निकाली जाती हैं और इस तरह एक हाइड और सीक (आंख मिचौनी) का खेल शुरू हो जाता है। इसलिये यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मज़दूरों के वास्ते जोकि एक कमज़ोर पार्टी है, उनकी हिफाज़त करने के लिये हमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता था कि जो हमारा क़ानून है उसके अन्दर अगर रिट्रेंचमेंट बेनीफ़िट (छंटनी का लाभ) देना हो या हमें और दूसरी तरह के बेनीफिट्स देने हों, तो हमारे यह कारखानेदार उनसे बचने के लिये कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं और फ्रेगमेंटेशन करके छोटे छोटे कारखाने बनाकर वह अपने को उस कानून से बचा ले जाते हैं जब कि जैनविन (प्रामाणिक) तौर पर वास्तविक तौर पर वे कारखाने अलग अलग नहीं हैं और एक बनावटी तौर पर अपने को कानून से बचाने के लिये इस तरह का फ्रैगमेंटेशन कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको रोकने का कोई न कोई उपाय सरकार को अवश्य करना चाहिये।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहां हम मज़दूरों के हित के लिये कानून बना रहे हैं वहां इस बात के लिये भी कोई व्यवस्था उनमें ऐसी रखनी चाहिये ताकि मज़दूरों को मिलों के मैनेजमेंट में शामिल किया जा सके। मैं यह अनुभव करता हूँ कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होना बहुत जल्दी सम्भव हो या न हो, मैं नहीं कह सकता कि किस हद तक सम्भव हो सकेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अन्दर अगर हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं और इस उसूल को मानते हैं तो पब्लिक सेक्टर के अन्दर हमें तुरन्त इसका परीक्षण आरम्भ कर देना चाहिए। पबलिक सेक्टर के अन्दर कुछ स्थान ऐसे निकालने चाहियें और उन स्थानों पर हमें परीक्षण की तौर पर अगर हमें परीक्षण की सफलता में यकीन हो तो मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी इस को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिये। मगर जैसा कि अभी मुझ से पहले श्री के० पी० त्रिपाठी ने कहा कि दूसरे देशों के अनुभव से हम यह जानते हैं कि मज़दूरों को मैनेजमेंट के अन्दर शामिल करने से काफ़ी प्रोडक्शन में तरक्की होती है और काफ़ी उद्योगों की और देश की तरक्की होती है। हमें उस तरीके को पब्लिक सेक्टर में फौरन इस्तेमाल में लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि कुछ सुझाव जो मैंने यहां पर पेश किये हैं, उन पर विचार किया जायगा।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : इस समय जब कि हमारा औद्योगिक उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन के विशाल विस्तार के द्वार पर खड़े हैं श्रम मंत्रालय को हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। सभी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का और स्वस्थ तथा मज़बूत श्रम सम्बन्धों का उत्तरदायित्व श्रम मंत्रालय पर है। इसीलिये मैं अपनी श्रम नीति की मुख्य बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ।

मेरे माननीय मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी ने मालिकों के १८वीं शताब्दी के दृष्टिकोण की अभी चर्चा की है। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि मालिक अपनी नीति को स्वयं निर्धारित नहीं करते हैं

†मूल अंग्रेजी में

बल्कि श्रम मंत्रालय की नीति ही मालिकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्धों के मार्गदर्शक का कार्य करती है। इसलिये यह आरोप श्रम मंत्रालय के विरुद्ध लगाया गया है। जहां तक वास्तविक तथ्यों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यदि निष्पक्ष रूप में वेतनों में वृद्धि और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो पता चलेगा कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में युद्ध के पहले की अवधि की तुलना में कितनी अधिक प्रगति हुई है।

अब मैं अहमदाबाद और बम्बई में महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग में द्विपक्षीय वार्ताओं के परिणाम-स्वरूप हुए बोनस करारों की चर्चा करना चाहता हूँ। मजदूर नेताओं के धैर्य्य और सहायतापूर्ण रवैये के कारण ही अन्तिम करार तय पा सका था। हम में से जो बोनस के इन झगड़ों से परिचित हैं वे जानते हैं कि पहले सारा साल दोनों पक्ष किस प्रकार मुकदमेबाज़ी में उलझे रहते थे। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि दोनों पक्षों के ज़िम्मेदार नेता ऐसे द्विपक्षीय करारों को बढ़ावा देने के लिये सद्भावना और एकरूपता की ऐसी ही भावना जागृत करते रहें तो हम एक दूसरे के विरुद्ध बेकार आरोप लगाने और वादविवाद में उलझने की अपेक्षा अधिक सेवा कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूँगा कि हम ने बम्बई में एक संयुक्त वार्ता निकाय बनाना सिद्धान्त रूप में लगभग स्वीकार कर लिया है ताकि भविष्य में दोनों पक्षों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे अपने तमाम विवादों को आपसी बातचीत द्वारा सुलझा सकें और जहां तक सम्भव हो औद्योगिक न्यायालयों में न जायें। मुझे विश्वास है कि समझौते और सद्भावना की इस भावना के बहुत ही लाभदायक और पर्याप्त परिणाम निकलेंगे।

इसी वर्ष कानपुर में वैज्ञानिकन के मामले पर जो लम्बी हड़ताल हुई उस पर हम केवल खेद और निराशा ही प्रगट कर सकते हैं। जहां तक वैज्ञानिकन का सम्बन्ध है, मालिकों की लगभग सभी जिम्मेदार संस्थाओं ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि वैज्ञानिकन सम्बन्धी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिसके फलस्वरूप सारवान् छटनी हो। इस सिद्धान्त की स्वीकृति के बावजूद भी ऐसे कई मामले हैं जिनमें मज़दूर नेताओं ने वैज्ञानिकन की योजनाओं को लागू करने में सहयोग नहीं दिया है।

कुछ बातों को स्वीकार करना होगा, हम एक आधुनिक संसार में रह रहे हैं। यदि हमारे उद्योगों का वैज्ञानिकन नहीं होगा तो हमारे विभिन्न उद्योग ठीक तरह से और क्षमतापूर्वक काम नहीं कर सकेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से यह बहुत ही आवश्यक है कि कम दामों पर सब से अच्छी किस्म के सामान के उत्पादन के लिये उद्योगों का वैज्ञानिकन किया जाय। साथ ही यह ध्यान भी रखा जाय कि मज़दूरों की छटनी न हो।

मेरे माननीय मित्र श्री त्रिपाठी ने मकानों के निर्माण के बारे में जो कुछ कहा है अब मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। यद्यपि यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है तथापि मंत्रालय को इस में और अधिक अभिरुचि लेनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि इन मकानों के निर्माण के लिये सहायता या ऋण देने की एक योजना है। परन्तु कुछ एक ऐसी वास्तविक कठिनाइयां हैं कि मालिक इस योजना से लाभ नहीं उठा सके हैं। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त एक और बात भी है कि कारखानों के मज़दूरों के लिये मकानों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जो रकम बंटित की गई है यह राशि उस राशि से कहीं कम है।

इस सम्बन्ध में मैं बम्बई के मिल स्वामियों की सन्था ने जो कुछ किया है उसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने बम्बई में कारखानों के मज़दूरों के लिये मकानों के निर्माण के

[श्री जी० डी० सोमानी]

सम्बन्ध में लगभग ५० लाख रुपया देना स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह कोई ऐसी योजना तैयार करें जिससे सरकार उनके लिये मकानों के सम्बन्ध में जो अनुदान देती है, मालिक उससे पूरा लाभ उठा सकें।

अब मैं प्रबन्ध में मज़दूरों को सम्मिलित किये जाने के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रश्न पर लोक-सभा में और लोक-सभा से बाहर कई बार वाद-विवाद हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न्यूनाधिक एक ऐसा करार हो गया है जिससे मज़दूरों के प्रतिनिधियों को औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेना सम्भव होगा।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : यह कोई करार नहीं है। हमें मालूम नहीं कि क्या प्रबन्ध किया गया है।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : यह करार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा में है। कम्यूनिष्ट पार्टी समवायों की मंडलियों में मज़दूरों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के विरुद्ध है।

†**श्री नम्बियार** : हम नाम निर्देशन के विरुद्ध हैं और चुनाव के पक्ष में हैं।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : फिर भी एक ऐसा सूत्र सोचा जा सकता है जो आपस में सभी को स्वीकार हो और मज़दूरों के प्रतिनिधि इस प्रकार प्रबन्ध में भाग ले सकें कि एक ओर तो समवायों के दैनिक प्रबन्धों में अनुचित विघ्न न पड़े और दूसरी ओर मज़दूरों के प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो सके ताकि वे यह अनुभव करें कि वे इन औद्योगिक इकाइयों से पूर्णतः सम्बद्ध हैं। यह एक प्रसन्नता की बात है कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में दोनों पक्षों की ओर से इतने अधिक करार और सद्भावना से प्रवेश कर रहे हैं।

वेतन में वृद्धि और विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में चाहे जो कुछ भी कहा जाय परन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध उद्योग की अदायगी की क्षमता से है। हमें औद्योगिक उत्पादन के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होगा। केवल एक ही बात पर विचार नहीं करना चाहिये।

जहाँ तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रति इकाई के उत्पादन की लागत के मामले में हमारी लागत संसार के किसी भी देश से कहीं अधिक है। मैं मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से घटिया नहीं हैं, उनकी क्षमता भी कम नहीं है परन्तु मशीनों की वर्तमान स्थिति के प्रभाव का सामना करना ही होगा और जब तक हमारे मज़दूर मित्र विभिन्न उद्योगों के वैज्ञानिकन के सम्बन्ध में सहयोग नहीं करते हैं तब तक मज़दूरों की मजूरी में अग्रेतर वृद्धि के इस प्रश्न का समाधान नहीं किया जा सकता है।

उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी और कृषि में काम करने वाले मज़दूरों की मजूरी में जो असमानता है इसे नहीं भुलाया जा सकता है। यह असमानता इतनी अधिक है कि हमारे मजदूर मित्रों को अपना ध्यान कृषि और अन्य क्षेत्रों जैसे धन्धों में मज़दूरों का स्तर ऊंचा उठाने में लगाना चाहिये। उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों और कृषि मज़दूरों में आजकल जो असमानता है यह केवल उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों की मजूरी में ही वृद्धि करने के प्रश्न से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ थोड़े से शब्द इस श्रम विभाग कार्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं श्रम प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई आन्दोलक नहीं रहा हूं। मैं इन प्रश्नों को देश की दृष्टि से ही देखता हूं न कि श्रमिक संगठनों की दृष्टि से और न मालिकों

†मूल अंग्रेजी में

की दृष्टि से जो श्रमिकों से काम लिया करते हैं। जैसे-जैसे हमारी समाजवादी व्यवस्था बढ़ेगी, वैसे-वैसे इस श्रम विभाग का काम अधिक दायित्वपूर्ण होता चला जायेगा क्योंकि समाजवादी रूप देने में यह आवश्यक है कि हम दिन पर दिन श्रमिकों का अधिक ध्यान रखें। श्रमिकों की ही देश में बहुतायत है। जैसे-जैसे हम श्रमिक बढ़ावेंगे वैसे-वैसे समाजवादी व्यवस्था समीप आती जावेगी अर्थात् जैसे-जैसे हम बेकारी हटायेंगे हर एक को काम दिलायेंगे वैसे-वैसे हम में से बहुत अधिक लोग श्रमिक होते चले जायेंगे। वही सामाजिक व्यवस्था उचित है।

अभी अन्तिम वक्ता ने जो बातें कही हैं, उनके सम्बन्ध में अधिक तो मैं नहीं कहना चाहता परन्तु उनसे मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। वह स्वयं सहृदय पुरुष हैं। परन्तु मेरे ऊपर कुछ असर हुआ है और कुछ मेरा यह अनुभव है कि श्रमिकों से काम लेने वाले प्रायः उतने सहृदय नहीं रहे हैं। मैंने एक बार इस भवन में भी कहा था और अपना एक अनुभव आपके सामने रखा था। मैं बम्बई में एक मिल देखने के लिये गया तो मैंने क्या पाया कि श्रमिकों को धोखा दिया जा रहा है। श्रमिकों ने जो काम किया जो सूत काता उसको जब तराजू में तोला जाता था तो हर बार कम ही तोला जाता था। यह बहुत पुरानी बात है। परन्तु मेरे हृदय को इससे बहुत भारी धक्का लगा। मैं यह कह सकता हूं कि सदा के लिये इस जीवन में मेरे ऊपर एक शंका चढ़ गई है कि ऐसा धोखा भी मिल मालिक करते हैं। मैंने सुना था कि उस मिल के मुख्य मालिक धर्मात्मा पुरुष हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु ऐसी मिल में मजदूरों और मजदूरनियों को धोखा देना और उनके काते हुए सूत में जितना उसका पाउंडेज है या आउंसेज है उसमें हर बार जब वे उसे लाकर तोल कराते हैं, कमी करते जाना, क्या यह ठीक है? इससे मुझे बड़ा धक्का लगा था।

मुझे जमींदारों का अनुभव है कि किस प्रकार का व्यवहार वे काश्तकारों के साथ करते थे। यह बात मुझे अपनी छोटी उम्र में देखने को मिली जबकि मैं अपने एक रिश्तेदार के यहां गया हुआ था। मैंने देखा कि एक गरीब आदमी धूप में खड़ा है। मैं नहीं समझ पाया कि इस आदमी को क्यों धूप में खड़ा किया गया था। मैंने उनसे पूछा तो वे हंसने लगे। फिर पीछे मुझे पता लगा कि वह बेचारा एक गरीब काश्तकार था जो कि अपना लगान नहीं दे सका था और इसलिये उसे यह सजा दी जा रही थी। ये दो बातें मेरे सामने आईं जिन्होंने मेरी राजनीतिक भावना को बदल दिया। वह जमींदारी का नक्शा था कि किस तरह से जमींदार काश्तकारों से व्यवहार करते हैं। वे जमींदार मेरे करीब के रिश्तेदार थे। इस घटना ने मेरे हृदय पर बड़ा असर डाला। बाद में मैंने इस विषय का अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक यह जमींदारी प्रथा है किसानों का भला नहीं हो सकता और सन् १९३० में मैंने यह आन्दोलन चलाया कि जमींदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये। कांग्रेस से हट कर मैंने इस आन्दोलन को उठाया कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो। फिर वह कांग्रेस का अंग बन गया। लेकिन उस सबमें मेरा हाथ तो बराबर था ही।

इसी प्रकार जो मैंने मिल में धोखाधढ़ी देखी थी उससे भी मेरे हृदय पर यह भावना रह गई कि कारखानों के मालिक किस प्रकार का व्यवहार गरीब श्रमिकों के साथ करते हैं। मैं वैयक्तिक रूप से किसी के लिये नहीं कहता। मैं जानता हूं कि बहुत से जमींदार बड़े सज्जन थे। उन्होंने बड़े बड़े कामों में सहायता की थी और सचमुच वे अपने काश्तकारों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से मिल मालिक भी बहुत सज्जन हैं। परन्तु मैंने देखा कि वह जमींदारी एक क्रम है। उस क्रम में दो चार जमींदारों के अच्छे होने से किसान बच नहीं पाता था। उसकी उस क्रम में बड़ी मुसीबत थी। मैं अपने आपको उस क्रम से अलग नहीं रखता। आज जो क्रम है उसके अनुसार श्रमिक काम करते हैं और बहुत से लोग उनको नौकर रखते हैं। इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमें इस क्रम को बदलना होगा।

[श्री टंडन]

मैं यह नहीं कहता कि सरकार ही सब कामों की मालिक होती चली जाये। सरकार जैसे-जैसे मालिक होती है, जैसे-जैसे नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) बढ़ता है, मुझ को उसमें भी बड़े गहरे दोष दिखायी देते हैं। नेशनलाइजेशन को बढ़ाने के मानी हैं ब्यूरोक्रेट्स (नौकरशाही) को बढ़ाना। जितना ज्यादा सरकार का अधिकार बढ़ता है उतने ही ज्यादा ये लोग बढ़ते हैं जो जनता से बरताव करने में सरकारी क्रम से काम लेते हैं, और उस सरकारी क्रम के बारे में हम जानते हैं कि ऊपर के स्तर को छोड़कर नीचे का स्तर कितना उतरा हुआ है और कितना उसमें भ्रष्टाचार है। मैं इसका भी अनुभव करता हूं कि जैसे-जैसे सरकारी क्रम बढ़ता है वैसे ही वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इसी तरह से और प्रश्न भी आ जाते हैं। दूसरी ओर मिल मालिकों का जो क्रम है उसका मैंने एक उदाहरण दिया है। वहां भी वैयक्तिक लाभ का अधिक ध्यान है और मजदूरों के सुख-दुःख की ओर बहुत कम ध्यान है। तो मेरा तो आज यह निवेदन है कि हमारे जो श्रमिकों को मजदूरी पर रखने वाले लोग हैं वे दिन पर दिन एक बात की ओर ध्यान करें। मैं यहां केवल उनके हृदय से एक आकर्षक अपील नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं उनके मस्तिष्क की ओर भी जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे लोग सोचें कि आज संसार और हमारा देश भी बदल रहा है। यह पुराना ढंग था कि कुछ थोड़े से बड़े-बड़े जमींदारों और पैसे वालों के हाथ में समाज की बागडोर थी और बाकी नीचे के लोग थे जिनको दबा-दबा कर उन से काम लिया जाता था।

जब मैं किसानों के लिये काम करता था तो किसी जमींदार से यह बात मेरे कान तक पहुंचायी गई कि घोड़े की और घास की यारी नहीं हुआ करती। अर्थात् घोड़े तो थे जमींदार और घास था किसान। तो आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि स्वयं मिल मालिक भी अपने को उसी ढंग का घोड़ा बनाये हुए हैं और ये श्रमिक घास बने हुए हैं।

श्री फिरोज गांधी : (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व) : आधुनिक घोड़े हैं।

श्री टंडन : मेरे हृदय में तो कोई हंसी की बात नहीं है और न है व्यंग की बात। मेरा तो यह निवेदन है कि अब समाज की स्थिति को देखकर हमारे भाइयों को अपना क्रम बदलना चाहिये। हमारे बहुत से बुद्धिमान भाई हैं जिनमें से प्रमाणस्वरूप एक तो हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने अभी अन्तिम भाषण दिया है। उनमें हृदय है। परन्तु ऐसा लगता है कि जो क्रम चला आता है उसके हम सभी दास बन जाते हैं। कोई मैं अपने को इसका अपवाद नहीं मानता। जो हमारा पुराना ढंग चला आता है उसमें हम सभी दोषी बन जाते हैं।

हम देखते हैं कि एक गरीब परिवार है जो कि १५ या २० रुपये महीने में अपनी गुजर करता है। आप सोचें कि किस प्रकार एक कुटुम्ब १५, २० रुपये में रह सकता है। आपके पास अंक रखे हुए हैं कि कितने कुटुम्बों की आमदनी १५ या २० रुपये है। लेकिन क्या हम और आप १५, २० रुपये में गुजर करने वाले हैं? हम को तो पचास, सौ और दो सौ रुपये भी कम दिखायी पड़ते हैं और हमारे भाई मिल मालिकों को तो लाखों रुपये कम दिखायी पड़ते हैं। तो एक तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार करने में हम भविष्य की ओर भी देखें, कुछ अपने को भी बनावें, अपना उदाहरण ठीक करें। यदि हम को कम पैसा भी मिले तो हम संतोष करें। हमारे यहां तो इस विषय में धर्म की भावना सबके सामने बहुत स्पष्ट रखी गई है। आप सोचें कि यह जो हमारा वैभव है यह तो कुछ बहुत ठहराऊ नहीं है, तो क्यों न हम अपने जीवन में ही इस वैभव को थोड़ा अलग करके, अपने ठाट-बाट को कम करके, इससे बहुत कुछ जीवित अलहदगी करें। यदि हमारे मिल मालिक यह आदत डाल लें तो मेरा विश्वास है कि श्रमिकों के साथ उनका बरताव दूसरा ही होगा। श्रमिक उनके साथी हो जायेंगे, उनके भाई हो जायेंगे, क्या यह वैभव कभी एक कुटुम्ब में रहा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के

लिये लाखों करोड़ों रुपया छोड़ जायें । मुझे इससे बड़ी मूर्खता दिखायी नहीं देती । कुछ कमाना तो आदमी को अच्छा लगता है । लेकिन जो यह सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिये भी बहुत धन छोड़ जाना चाहिये वह मैं समझता हूं कि कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं है । लड़के कैसे निकलेंगे ? नालायक होंगे या लायक ? शायद आपका पैसा ही इनको नालायक बना देगा । पैसे में लोगों को भोग विलास की ओर खींचने की प्रवृत्ति रहती है और स्पष्ट है कि जहां वह भोगविलास की ओर गया, वह नालायक़ बना । अपने मरने के बाद पैसा छोड़कर जाना अपनी संतति के साथ बहुत मित्रता नहीं है । इसलिये हमारे जो बड़े-बड़े धनिक लोग हैं उनको अपने जीवन में ही उसको बांट देना उचित है । क्या ही आनन्द आये अगर अपने जीवन में वे उसको बांटें और ऐसे संगठित ढंग से बांटें कि श्रमिकों की वह चीज़ हो जाय । मिल, एक धनिक व्यक्ति की चीज़ न होकर उन हज़ारों श्रमिकों की बन जाये जो उसमें काम करते हैं । इसी तरह जो धन उस धनी व्यक्ति के पास पड़ा है अगर वह उन हज़ारों श्रमिकों में बंट जाये तो आप देखेंगे कि आपके समाज का रूप ही बदल बायगा ।

यह जो हमारे भाई ने कहा कि कोई योजना ऐसी बनी है जिसम मिल मालिक और श्रमिक मिल करके उद्योग धंधों को चलायेंगे, उनकी वह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी उस योजना का स्वागत करता हूं । मैं तो यह भी कहने वाला था कि मिल मालिकों को छोड़ कर गवर्नमेंट स्वयं इस विषय में यत्न करे और श्रमिकों को आधार बना कर कुछ काम शुरू करे और जिस पर कि श्रमिकों का अधिकार हो और केवल श्रमिकों की वस्तु हो । मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट (सरकार) ने ऐसा प्रयोग कहीं पर किया है या नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसा प्रयोग अवश्य करना चाहिये ।

श्री फिरोज गांधी : शुगर इंडस्ट्री (चीनी उद्योग) में २० कोआपरेटिव मिलें बनी हैं ।

श्री टंडन : मैं उनका स्वागत करता हूं मगर अभी महज कागज पर ही होंगी । जो समाजवादी क्रम हम चाहते हैं उसमें मुख्य बात यह है कि हम अधिक से अधिक धन हर एक पुरुष को पहुंचा सकें । जिसको मैं पैसे की तट उपयोगिता (मार्जिनल यूटिलिटी) कहता हूं वह जब हमारे देश में बढ़ेगी तब अधिक से अधिक सुख होगा । अर्थ शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मैं कह रहा हूं कि जिस देश में पैसे की तट उपयोगिता अधिक होती है, वही देश सुखी होता है । जहां एक की ओर तो लाखों हों और मैं पूछता हूं कि हमारे श्री जी० डी० सोमानी के पास १०० रुपये की तट उपयोगिता क्या है ? बहुत कम है और २, ४ रुपये की तो उन के लिये कुछ है ही नहीं लेकिन उतने ही रुपये की एक गरीब देहाती आदमी के लिये बहुत अधिक उपयोगिता है । जब हम इस प्रकार से अपनी समृद्धि का बंटवारा करें कि अधिक से अधिक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो तो मेरा निवेदन है कि हमारा समाज बहुत सुखी होगा । हम अपने देश की सामाजिक व्यवस्था इसी मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर करना चाहते हैं, और हम, जो धनिक लोग हैं, उनके हृदयों को इस बात के लिये तैयार करना चाहते हैं कि वे उसी ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, अर्थात् अपने पैसे को अपने पास ही न रखें बल्कि उन लोगों को दें जहां कि उसकी सचमुच मार्जिनल यूटिलिटी (उपयोगिता) बढ़ सके ।

यह जो हमारे भाई ने माल पैदा करने क सम्बन्ध में कुछ मूल्य को चर्चा की और बताया कि कितने मूल्य पर माल पैदा होता है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वह वास्तव में बहुत विचारणीय बात नहीं है । मैं जानता हूं कि आपकी निगाह में दूसरे देशों के साथ प्रतियोगिता है, परन्तु वह वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है । मैं तो अपने देश के सुख की ओर जा रहा हूं । मूल्य उतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है जितना गरीबों को सहारा देने और ग़रीबों की जीविका चलाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है और आज यही मुख्य प्रश्न हमारे सामने है ।

[श्री टंडन]

अध्यक्ष महोदय, और आगे कहने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मिनट आप मुझे बोलने के लिये और देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** आप जितना समय चाहें उतना ले सकते हैं।

श्री टंडन : मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही लूंगा। हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठायें तो यह देखें कि हम इसमें सुख कहां तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज़ का रुपये पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। उदाहरणार्थ रूस में एक जोड़ी जूता ७०, ८० रुपये का मिलता है, इसी तरह खीरा जिसको कि यहां आम लोग खाते हैं और जोकि मुझे बहुत प्रिय है और जो यहां पर केवल दो या तीन पैसे में मिल जाता है वही खीरा रूस में छः आने सात आने में मिलता है लेकिन इस पर भी रूस हमारे देश की अपेक्षा अधिक सुखी और समृद्धिशाली है। हमारे सामने न तो मूल्य का प्रश्न होना चाहिये और न ही मंहगे सस्ते का प्रश्न। हमें तो यह देखना चाहिये कि गरीबों को हम किस रीति से सहायता पहुंचाते हैं। हर एक काम में हमारा दृष्टिकोण यह हो कि अधिक से अधिक लोग काम में लगें और गरीबी घटे।

इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है, उसकी एक मद की ओर तुरन्त आ जाता हूं। जैसा पहले मैंने कहा मैं यह समझता हूं कि हमारे श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर इंडस्ट्रियल लेबर (औद्योगिक श्रमिकों) की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे भाई श्री विद्यालंकार ने खेतिहर मज़दूरों की दशा सुधारने की ओर आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है मैं उन से पूरी तरह सहमत हूं। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है। उनकी बड़ी दयनीय दशा है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिये क्या किया है ? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं उनको मज़दूरी और काम दिलाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? बेकारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट में दिये हुए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अक्तूबर सन् १६५५ के अंकों को मैंने देखा। करीब ७ लाख व्यक्ति नौकरियों के लिये प्रार्थी थे। इनके अलावा कितने ही लाखों और करोड़ों व्यक्ति देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही अर्ध-बेकारी की अवस्था में हैं और श्रम विभाग उन बेकारों और अर्ध-बेकारों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है, उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है, मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सकें उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनायेंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जहां भी हम सोचते हैं कि हम नये काम आरम्भ करें वहीं आपके विभाग का लगाव हो जाता है। जहां कहीं कुछ काम हो रहा है और जहां कुछ लोगों ने कोई काम उठाया हुआ है, उनसे आपका यह लगाव रहता है कि उनमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं और उन कामों से कितने लोगों को जीविका मिल रही है। आपने बेकारों की संख्या, जैसा मैंने कहा, करीब ७ लाख के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने दी है, मगर वह पर्याप्त नहीं है। आपको तो यह सोचना है कि यह जो बेकारों की जनसंख्या पड़ी है उनको कैसे आप जीविका देंगे, कैसे आप उनको ऐसा श्रमदान देंगे कि वह सब लोग काम में लग जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इधर यह प्रश्न तो है ही, इतने कम समय में उस योजना की तस्वीर तो मैं नहीं खींच सकता जो मेरे मस्तिष्क में है कि किस प्रकार से उनको श्रम दिया जाय, परन्तु आपकी रिपोर्ट में मुझे एक बात खटकी। मैंने उसमें देखा कि रिक्शा की चर्चा है और जो रिक्शा वाले आज हैं उनके खिलाफ आपने एक जिहाद उठाया है। मैं घबरा गया। जब शुरू-शुरू में अंग्रेज यहां आये थे तो उन्होंने रेलगाड़ी यहां चलाई और इस तरह से उन्होंने लाखों आदमियों की रोज़ी छीनी थी, लाखों आदमियों की रोजी छीन कर रेलगाड़ियां चलीं। हां, यह अवश्य है कि अब तो वह आधुनिक क्रम है। मुझ को वह कथा याद है कि जैसे-जैसे मिलें यहां खड़ी हुईं, कितने जुलाहों की रोज़ी छीनी गई। उनकी रोज़ी छीनकर मिलें यहां खड़ी हुईं। एक समय था जब हमारे यहां हाथ से काम करने वाले बहुत लोग थे। जैसे मैंने रेल के आरम्भ की चर्चा की, उस समय भी आना-जाना होता था। लाखों आदमी लगे थे इस काम में। दिल्ली से कलकत्ते तक घोड़ा गाड़ियां दौड़ती थीं। लाखों आदमी गाड़ियां बनाने में लगे हुए थे, घोड़ों की देख-रेख में लाखों आदमी लगे हुए थे, बहुत से गरीब लोग चिट्ठियां लेकर दौड़ते थे, डाक इधर-उधर जाया करती थी। आपने इन सब चीजों के लिये दूसरे रास्ते बनाये। आज आप कहेंगे कि गरीबों को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ता था। यह हमारी करुणा के विरुद्ध था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आप उस आदमी के मित्र बने जो कि मेहनत करता है, लेकिन आपने क्या किया? अगर आप उसका काम ले लें और उसकी जगह पर मिकैनिकल (यांत्रिक) क्रम पर दूसरे काम करने लगें तो मैं कहता हूं कि आपने अपने हृदय की करुणा को उसकी मित्रता में नहीं लगाया। देखने में तो वह बात करुणा से प्रेरित मालूम होती है परन्तु मैं इस विभाग से निवेदन करता हूं कि यह गहरे विचार की बात है। हर चीज़ में जहां मनुष्यों का परिश्रम लगता है अगर उस में आप ऐसी तरकीब लगा दें जिससे वह काम जल्दी और आसानी से हो जाये तो आदमी बेरोज़गार हो जायेंगे। बचपन में मैं देखता था कि जब पानी का नल नहीं लगा था, उस समय लाखों आदमी कुएं से पानी खींचने में लगे हुए थे। यह एक रोज़गार था और लाखों करोड़ों आदमियों के घरों में पानी कुंओं से खिंच कर आता था। यह सोच कर कि जो पानी खींचता है उसको मेहनत पड़ती है, अंग्रेजों ने नल लगवा दिये। उस वक्त इसके लिये बलवे वगैरह भी हुए क्योंकि तमाम आदमी बेरोजगार हो गये। हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम कोई सामाजिक व्यवस्था करत हैं तो यह देखें कि हम किसी भी मनुष्य से उसका काम छीन लें या न छीनें। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रश्न को हम विस्तृत दृष्टि से देखें। क्या आपके विभाग न सोचा कि आप किसको कौन-सा काम करने देंगे और किसको कौन-सा नहीं करने देंगे? मैं स्वयं सोचा करता हूं कि जो गन्दा काम है उसको हम बन्द करें। परन्तु क्या कभी आपने इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखा कि कौन-सा गन्दा काम है और कौन-सा ऐसा काम है जो हमें रोकना नहीं चाहिये? मेरा निवेदन है कि सबसे गन्दा काम जो आज आप और हम मनुष्य से ले रहे हैं वह मलमूत्र उठवाना है। हम मलमूत्र की सफाई के लिये लाखों आदमियों को लगाये हुए हैं। यह गन्दा से गन्दा काम है और यह भी सही है कि बहुत से आदमी इसमें लगे हुए हैं। मैं तो समझाया करता हूं भंगियों को, कि बन्द करो यह काम। आपको समाज की व्यवस्था ऐसे क्रम अनुसार बनानी होगी कि यह काम मनुष्यों द्वारा न हो। मैंने आज इस प्रश्न को इसलिये लिया कि आपका ध्यान खींचूं कि अगर आप दखते हैं कि कौन काम हम लें और कौन न लें तो आपको दूसरी ओर जाना पड़ेगा।

आपने रिक्शा खींचने के काम को समझा है कि यह इतना बुरा काम है कि इसको रोकना चाहिये। आज मनुष्य को मनुष्य पर सवारी न करना चाहिये एक मनुष्य गाड़ी पर बैठता है और दूसरा खींचता है इसको आपने बुरा समझा है; यह आपेक्षिक दृष्टि का सवाल है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस काम में लाखों आदमी लगे हुए हैं। मैं अपने सूबे की बात जानता हूं। हमारे सूबे में इस काम में लगभग ३ लाख आदमी लगे हुए होंगे। कितन ही आदमी रिक्शा के बनाने

[श्री टंडन]

में लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, जो आप ने रिक्शा के लिये लिखा कि लाइसेंस बन्द किया जाय उसका अर्थ देखिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देना है ।

श्री टंडन : बस मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

जब आपने इस रिक्शा की व्यवस्था को हाथ में लिया तो मुझ थोड़ा ताज्जुब हुआ । अगर आप यह देखते हैं कि कौन-सा गन्दा काम है तो दूसरे काम को उठाना था, रिक्शा इतना गन्दा काम नहीं है, और अगर आप यह समझते हैं कि रिक्शा खींचने वाले के ऊपर कोई बड़ा जुल्म होता है तो यह सही नहीं है । मैं जानता हूं कि एंट्रेंस (दसवीं) कक्षा पास कालेज के विद्यार्थी कुछ जगहों पर रात को रिक्शा चला कर अपना गुजारा चलाते हैं । मैं इलाहाबाद को जानता हूं । वहां कितने ही विद्यार्थी हैं जिनको कालेज में पढ़ने के लिये सुविधायें नहीं हैं । वे रात को रिक्शा चलाते हैं और उससे अपनी पढ़ाई और गुजारा चलाते हैं । यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है । अर पालकी में तो भूषण कवि को बिठला कर हमारे एक बड़े प्रसिद्ध राजा ने हाथ लगाया था और अपने कन्धे पर पालकी को रक्खा था । अगर एक-एक आदमी को चार-चार और पांच-पांच आदमी ले जाते रहे हैं तो यह कोई बड़ी भारी बुरी बात नहीं है । आज जो हमारा बाइसिकिल का रिक्शा है अगर उस पर एक या दो आदमी हों तो हर्ज नहीं है । हां इस प्रकार से न चलायें कि तीन-तीन और चार-चार आदमी उस पर बैठायें । मेरे विचार से अगर बाइसिकिल रिक्शा पर एक आदमी बैठे और साथ में कोई बच्चा बैठ जाता है तो उसके खींचने में कोई बहुत बड़ी कठिनता नहीं है ।

तो यह जो उद्योग है जिसमें देश के लाखों आदमी लगे हुए हैं, अगर हम इस उद्योग को बन्द करते हैं तो उनको बेकार करते हैं । जब उस दिन स्वास्थ्य विवाद में मैंने इसकी चर्चा की थी तो हमारी मंत्रिणी जी ने कहा था कि हां, हम ने यह लिख दिया है कि उनके रोजगार का इन्तजाम किया जाय तभी रिक्शा बन्द किया जाय । मैं आपसे पूछता हूं कि आपक पास रोजगार कहां है ? आप कहते हैं कि सात लाख आदमी आपक यहां भर्ती के लिये बैठे हैं तो यह सोचिये कि तीन या साढ़े तीन लाख आदमियों को बेकार करने स क्या लाभ होगा ? जो आपके पास बरोजगार लोग बैठे हुए हैं पहले उनको तो दीजिये । सबसे पहले आपका कर्तव्य उनके प्रति है । गरीब सब जगह हैं । उनके प्रति जिस तरह से आप करुणा दिखला रहे हैं, कि हम धीरे-धीरे उनके रोजगार छीन लें, अपने गरीब भाइयों को सब तरह के रोजगार से वंचित कर दें यह उचित नहीं है । मेरा तो यह निवेदन है कि अगर आप देश में मोटरकार का आना बन्द कर देते तो ज्यादा अच्छा होता । मैं तो इस बात का पक्षपाती हूँ कि हमारे देश में मोटरकार का आना बन्द हो जाय और हम एक-एक आदमी को किसी न किसी तरह के काम में लगा लें, एक-एक को रोजगार दे दें, तब हम मिकैनिकल डिवाइसेज (यंत्रों) की बात सोचें । सरकार की ओर से जो यह लिखा गया है कि रिक्शा बन्द कर दिया जाय, गरीबों का रोजगार हम छीनें, इसके सम्बन्ध में तो मुझे वही अंग्रेजी की कहावत याद आती है कि भगवान हमें हमारे मित्रों से बचाये । आपका विभाग उनका मित्र बन कर आ रहा है लेकिन वास्तव में वह उनका रास्ता बन्द कर रहा है, उससे उनके रोजगार की हानि हो रही है । आप इस प्रश्न को विस्तृत दृष्टिकोण से देखिये कि कौन से ऐसे रोजगार हैं जिनको बन्द करना है परन्तु साथ ही साथ आपका यह कर्त्तव्य है कि आप दिन पर दिन सबको रोजगार देने के रास्त बनावें, रोजगार मिलने के जो मार्ग हैं उनको बन्द न करें ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हू कि कुछ

†मूल अंग्रेजी में

दिन पूर्व आपने यह विनिर्णय दिया था कि १० से १ बजे के बीच में किसी प्रेवर समिति की बैठक नहीं होनी चाहिये किन्तु मैं देखता हूं कि मेरे मित्र यहां अनुपस्थित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिये । इस समय तो दूसरा ही विषय चल रहा है । फिर भी आपने जो कुछ कहा है उसकी मैं जांच करूंगा ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने से पहले हमारे एक आनरेबल मेम्बर (माननीय सदस्य) ने हमारे लेबर मिनिस्टर साहब को बहुत कम्पलिमेंटस (समादर) पे किये हैं । मुझे यह अर्ज करना है कि जिस तरह से उन्होंने कम्पलिमेंटस पे किये हैं उससे तो मेरे दिल में एक शक सा पैदा हो गया है कि क्या जो पालिसी (नीति) हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने अपनाई है, वह सचमुच अच्छी है । मैं यह कहना चाहती हूं कि मालिकों का तो सदा यह कायदा है कि जैसे हमारे यहां एक कहावत है कि तू डाल डाल मैं पातपात । मेरे कहने का मतलब यह है कि कितने ही कानून आप बनावें और कितनी ही कोशिश आप क्यों न करें कि उन कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाये, जो मालिक हैं, वे कोई न कोई तरीका उन कानूनों से बचने का निकाल ही लेते हैं और ऐसी कार्रवाइयां करते हैं जिससे कि लेबर का अहित हो । जितने भी कानून आप बनाते हैं उनका सबसे ज्यादा जो फायदा उठाते हैं वह मालिक लोग ही उठाते हैं । मैं अर्ज करना चाहती हूं कि हमारे लेबर मिनिस्टर का और हमारी लेबर मिनिस्टरी का सिर्फ यह फर्ज ही नहीं होना चाहिये कि वह मालिकों और मजदूरों के बीच ताल्लुकात को अच्छे बनाये रखे पर उसका यह भी फर्ज होना चाहिये कि वह धीरे-धीरे लेबर को इस काबिल बनायें कि वह आगे चल कर मालिकों का स्थान ले ले । इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्राइवट मालिकों का जो सिस्टम (प्रणाली) है यह एक न एक दिन खत्म होनी ही है लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि देश की जरूरतों को सामने रखते हुये और कम से कम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हुये हम इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी खत्म करें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

तो जहां तक सिस्टम खत्म होने की बात है आज किसी के दिल में भी कोई सन्देह नहीं है कि इसे एक न एक दिन खत्म होना ही है । हमें चाहिये कि हम इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिये अपनी कोशिश जारी रखें ।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि केवल हम लोग लेबर को मैनेजमेंट में हिस्सा ही न दें बल्कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि धीरे-धीरे लेबर मालिक बन जाये । जैसा कि टंडन जी ने भी कहा हमारे यहां जो शुगर फैक्टरीज हैं उनमें से कुछ को कोओप्रेटिव बेसिस (सहकारिता का आधार) पर चलाने की कोशिश की गई है और वह कामयाब रही हैं । इसके लिये मैं जो भी इस चीज के लिये रिस-पोंसिबल (उत्तरदायी) हैं, उनको मुबारिकबाद देती हूं । मैं लेबर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करती हूं कि वह भी इसी पालिसी को अपनायें ।

अभी टंडन जी ने रिक्शा वालों का जिक्र किया । मैं इस चीज को नहीं मानती हूं कि रिक्शायें हम लोगों को खत्म कर देनी चाहियें लेकिन लेबर मिनिस्टरी ने जो एक मूव शुरू की है कि हमें रिक्शा को खत्म करना है और कैसे इसे खत्म करना है, मैं उसका स्वागत करती हूं । मैं इसे नहीं मानती कि पालकी का उठाना और चलाना और रिक्शा चलाना एक ही बात है । मैं इसे भी नहीं मानती कि साइकिल चलाने में और रिक्शा चलाने में कोई फर्क नहीं है । साइकिल चलाने में भी काफी तकलीफ होती है । मैं खुद साइकिल चलाना जानती हूं और बहुत सालों तक मैंने साइकिल चलायी भी है । जो माननीय सदस्य साइकिल चलाना जानते हैं वह यह भी जानते होंगे कि कितने साल इन्सान साइकिल

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

चला सकता है और जब उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी लगी हुई हो, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार उसमें बैठे हों और सामान भी उसमें रखा हो, तो उसका हैल्थ (स्वास्थ्य) पर क्या असर पड़ता है ?

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : ऊपर चारपाई भी होती है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अपनी जिन्दगी में कितने साल तक वह रिक्शा चला सकता है यह चीज हमारे सोचने की है । मैं जब साइकिल चलाती थी तो मुझे प्लुरेसी हो गई और काफी दिनों तक मैं अस्पताल में पड़ी रही । डाक्टर ने कहा कि और कुछ नहीं तो कम से कम साइकिल चलाना बन्द कर दो । मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि जब मैं साइकिल चलाया करती थी तो अपने पीछे किसी को नहीं बिठाया करती थी और जो मेरी साइकिल होती थी वह भी मैं अच्छी तरह रखती थी । जिस तरह की रिक्शा होती है और जो लोग इन्हें चलाते हैं, वह सचमुच एक दर्दनाक नजारा होता है । पर मुझे यह अर्ज करना है कि साइकिल रिक्शा खत्म करने के पहले हमें कई और चीजें करनी हैं । आज बेशुमार लोग इस काम में लगे हुये हैं । रिक्शा बनाने और रिक्शा चलाने वालों के अलावा एक और भी क्लास है जिसको कि मिडलमैन कहा जाता है । ये वे लोग हैं जो रिक्शा के मालिक होते हैं । मुझे हैल्थ मिनिस्टरी से यह अर्ज करना है कि पुल्लर्ज (खींचने वाले) को खत्म करने से पहले वह पहले बीच के जो मिडलमैन हैं उनको हटा दे । मैं अपने अनुभव से आपको यह बतलाना चाहती हूं कि दिल्ली में ही जो भारत की राजधानी है ६०० रिक्शायें हैं । इन रिक्शाओं के मालिक ३१८ रुपये में एक रिक्शा खरीदते हैं और खींचने वालों से पांच रुपये फी रिक्शा फी दिन वसूल करते हैं । जिस दिन पांच रुपये फी रिक्शा उनको नहीं मिलते हैं, उस दिन एक रुपये पर एक आना ब्याज लेते हैं । कई रिक्शा वाले मेरे पास आते हैं और अपनी हालत मुझे बतलाते हैं । उनमें से बेशतर लोग तपेदिक के मरीज होते हैं, इस चीज को मैंने महसूस किया है । रिक्शा खत्म करने के पहले हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जो रिक्शा का लाइसेंस होता है वह मालिक को मिलने के बजाय पुल्लर को या उसकी जो कोओप्रेटिव सोसायटी है, उसको ही मिले और जो मिडिलमैन है, वह खत्म हो जाये । प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) ने और गवर्नमेंट ने कोओप्रेटिव्स के मुताल्लिक जो पालिसी अख्त्यार की है, मुझे रंज है, लेबर मिनिस्टरी उस पालिसी पर नहीं चल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि दिल्ली में, जो कैपिटल सिटी है, बैठ कर मुझे ११–१२ महीने इस चीज के लिये लगे कि जो लाइसेंस हैं उनको कोओप्रेटिव सोसायटी को ही दिया जाये और मिडिलमैन को एलिमिनेट (खत्म) कर दिया जाये । ६०० के ६०० लाइसेंस तो इस सोसायटी को नहीं दिये गये, हां, कुछ एडिशनल लाइसेंस जरूर मिल गये हैं । मुझे यह बात आपको बतलाते हुये भी हर्ष होता है और मुझे इस पर गर्व है कि आज कोओप्रेटिव सोसायटी रिक्शा पुल्लर से केवल पांच आने रोज लेती है और वही इस कोओप्रेटिव सोसायटी को चलाते हैं ।

तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहती हूं कि रिक्शा चलाना एक न एक दिन खत्म होना ही चाहिये, इस बात को मैं मानती हूं । लेकिन जब तक वह बन्द नहीं होता तब तक मैं चाहती हूं कि मिडिलमैन को फौरन ही और बगैर किसी शकोशुबाह के आर्डर निकाल करके खत्म कर दिया जाना चाहिये और कोओप्रेटिव सोसाइटीज को यह काम दे दिया जाना चाहिये । इसके बारे में जब हमने चीफ कमिशनर साहब को एपरोच (पहुंच) किया तो उन्होंने हमें बतलाया कि उनके पास इस किस्म का कोई आर्डर नहीं है । इस वास्ते मैं अर्ज करती हूं कि एक आर्डर निकाला जाना चाहिये जिसमें यह इंस्ट्रक्शंस (हिदायत) हों कि तमाम हिन्दुस्तान में रिक्शास के लिये जितने भी लाइसेंस दिये गये हैं वे फौरन ही पुल्लर्स को या उनकी कोओप्रेटिव सोसाइटीस को ट्रांसफर (हस्तांतरित) कर दिये जायें ।

रिक्शा खत्म करने के सम्बन्ध में मुझे अब यह कहना है कि मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानती हूं कि हमारी लेबर मिनिस्टरी ने यह नहीं कहा है कि रिक्शा खींचना एक दम खत्म कर दिया जाये। उसने यह कहा है कि स्कीमें बनाई जायें और यह बतलाया जाये कि कितनी देर में और किस तरह से रिक्शा खींचना बन्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरी का भी इन रिक्शास से गहरा ताल्लुक होना चाहिये। रिक्शा के लाइसेंस अक्सर म्यूनिसिपल कमेटियां देती हैं और दूसरी प्रकार के ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के लाइसेंस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी का एक महकमा देता है। अगर इन दोनों का आपस में गहरा कोओर्डिनेशन (एकसूत्रता) हो तो जो रिक्शा खींचते हैं उनको धीरे-धीरे दूसरे विहीकिल्स (गाड़ियां) का जैसे मोटर साइकिल हैं और जिनके लाइसेंस हम नये आदमियों को देते हैं, इनको ही दे दिया करें और इन लाइसेंसों को मोटर रिक्शा लाइसेंसिस में तबदील कर दें। तो वह दिन आयेगा कि हम किसी के रोजगार को बन्द किये बगैर उस चीज को कनवर्ट कर सकेंगे। यह नहीं होगा कि म्युनिसिपैलिटीज तो अपने यहां उनको लाइसेंस देना बन्द कर दें और ट्रांस्पोर्ट वाले दूसरों को मोटर रिक्शाओं का लाइसेंस दें और इन भाइयों को न दें।

इसके बाद मैं त्रिपाठी जी की इस विषय में ताईद करती हूं कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। टैक्स्टाइल में तो हम टारजेट से भी आगे बढ़ गये हैं। आइरन वगैरह में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और २५ से ३३ पर सेंट तक बढ़ी है। लेकिन वेजेज़ वहीं की वहीं फ्रीज होकर रह गयी हैं। हमारी जो नेशनल इनकम है वह भी १८ पर सेंट बढ़ी है। जब नेशनल इनकम बढ़ी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और लेबर की वेजेज़ नहीं बढ़ीं, तो यह हमारे लिये बड़े अफसोस की बात है। और हमें यह मालूम करना चाहिये कि यह जो बढ़ा है वह कहां गया है। अगर वह रुपया लेबर के पास नहीं आया तो इसके लिये लेबर मिनिस्टर को कोशिश करनी चाहिये। आज हमारी कैबिनेट को इस पर गौर करना है। हमारे दोनों लेबर मिनिस्टर ऐसे नहीं हैं जिनको लेबर से कोई सम्बन्ध न रहा हो। उन्होंने छोटी से छोटी यूनियनें बनायी हैं और छोटी से छोटी लेबर में काम किया है। और वे मजदूरों की तकलीफों को भली प्रकार जानते हैं। मैं उनसे अर्ज करना चाहती हूं कि हमने जो लेबर के हितों के लिये कानून बनाये हैं और आज जिन कानूनों की वजह से सोमानी जी मिनिस्ट्री को कम्पलीमेंट पेश कर सके, वह आज लेबर के रास्ते में बड़े बाधक बने हुये हैं। हमारी कोर्टस ने इस बात की कोशिश की कि लेबर को और एम्पलायर्स को दोनों को कोर्टस (अदालत) का फायदा हो सके। वे अपील कर सकें। पर आज लेबर और कैपीटल की बराबरी नहीं हो सकती, मैं इस चीज को साफ कर देना चाहती हूं। आज चाहे अदालत की बात हो या कोई दूसरी बात हो उसमें लेबर कैपीटल का मुकाबला नहीं कर सकती। आज हम कहते हैं कि सबके लिये ईक्वालिटी ऑफ आपार्चुनिटी (अवसर की समानता) होनी चाहिये। लेकिन लेबर और कैपीटल का जहां तक सवाल है उनमें आपस में ईक्वल आपार्चुनिटी नहीं है। ईक्वल आपार्चुनिटी तो तब हो सकती है जैसे कि दौड़ कराते वक्त सब को एक लकीर पर खड़ा किया जाता है और साथ-साथ दौड़ाया जाता है। अगर कुछ आदमियों को बरसों से आगे की लकीर पर खड़ा कर दिया जाये और उसके बाद कहा जाये कि सब दौड़ें और सबको ईक्वल आपार्चुनिटी है और जो दौड़ में जीतेगा उसको जीता समझा जायेगा, तो ऐसा करने में जो पीछे से दौड़े हैं उनकी आगे वालों से बराबरी तो नहीं हो सकती। आज हालत यह है कि लेबर पीछे खड़ा है। आज कहा जाता है कि ट्राइबुनल्स से लेबर और कैपीटल अपने झगड़ों का फैसला करा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि लेबर और कैपीटल में कितना अन्तर है, उनकी कमाई में कितना अन्तर है उनके रहन-सहन की कंडीशन्स (स्थिति) में कितना अन्तर है। ट्राइबुनल्स से एवार्ड (पंचाट) लेने में, चाहे मामला दो-चार रुपये का ही क्यों न हो, सालों लग जाते हैं। मैं समझती हूं कि यह लेबर के लिये कोई इन्साफ नहीं है। जो केसेज इन ट्राइबुनल्स में जाते हैं उनकी हालत सिविल कोर्टस से भी खराब हो जाती है और जो वकील और चीजों में कामयाब नहीं होते वे लेबर में जाकर काम करने

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

लगते हैं और पैसा बनाने लगते हैं। केसेज में दो-दो चार-चार और छः-छः साल लग जाते हैं। एक कोर्ट से कोई एवार्ड मिलता है तो हाईकोर्ट उसमें दखल देती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी दखल देती है। अगर हमारी हाई कोर्ट और सुप्री मकोर्ट सिर्फ लीगल चीजों का ही फैसला करें तब भी एक बात है, लेकिन वे तो आज क्वेश्चन (प्रश्न) के मेरिट (गुण) में जाती हैं कि जो बोनस मिला वह इतना मिलना चाहिये था या नहीं, जो डिअरनेस एलाउंस (मंहगाई भत्ता) दिया गया वह कितना दिया गया, वह ठीक दिया गया या नहीं। जब कोई ट्रेड यूनियन किसी केस को लड़ती है तो उसको कितनी दिक्कत होती है यह वही जान सकता है जिसने यह काम किया है। जिसने यह काम किया है उसको मालूम होगा कि बगैर पढ़े लिखे आदमियों को इकट्ठा रखना, उनकी डिमांड्स के लिये कोशिश करना, उनको मार पिटाई करने से, वायलैंस करने से रोकना कितना मुश्किल है, जबकि मालिकों की तरफ से रोज कोशिश यह रहती है कि वे किसी तरह से वायलैंस करने पर मजबूर कर दिये जायें। उसके बाद चार पांच साल बाद उनको एवार्ड मिलता है। तो चुपके से हाईकोर्ट का या सुप्रीमकोर्ट का कोई इंजंक्शन आ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं दिल्ली के बारे में जानती हूं। हमारे यहां दिल्ली होटल वर्कर्स का यूनियन (संघ) था। उसके ८० वर्कर्स को बगैर तनख्वाह के ससपेंड कर दिया गया। लेकिन जब वह मामला ट्राइबुनल को रेफर किया गया तो सुप्रीमकोर्ट से स्टे आर्डर आ गया और वह मामला पड़ा हुआ है। जब स्टे आर्डर की मियाद खत्म होगी तब उस मामला का फैसला होगा। फिर वह अपीलेट ट्राइबुनल में जायेगा। वहां से भी जीत गया तो दूसरी अदालत में जायेगा। वहां भी समय लगेगा।

इसी तरह से म्योर मिल्स के वर्कर्स का मामला था जो कि चार साल के बाद फैसला हुआ। लेकिन दूसरी कोर्ट ने उस एवार्ड को रद्द कर दिया। इस वक्त दिल्ली में चार केसेज हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे रखा है। पांच साल से रोज-रोज वर्कर्स को कोर्ट जाना पड़ता है जिसके लिये उनकी तनख्वाह कटती है। उनको अपील के लिये लखनऊ जाना पड़ता है। अगर इस तरह से चार-चार साल लड़ने के बाद एवार्ड मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देती है। मैं चाहती हूं कि लेबर मिनिस्टर साहब ऐसी कोशिश करें कि इन फैसलों को जल्दी किया जाये और उनसे मजदूरों को फायदा पहुंचे। अभी जो कानून है उसमें यह प्रावीज़न है कि वकीलों को इन मुकदमों से अलग रखा जाये। लेकिन मालिक लोग जो पैसे वाले हैं वे इन वकीलों को एम्पलाय कर लेते हैं और वे जब एम्पलाई हो जाते हैं तो वे उन मुकदमों में आ सकते हैं। आज आप देखें कि मालिकों की तरफ से ट्राइबुनल के सामने कैसे वकील आते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मालिक लोग डा० इकबाल अहमद, एक्स (भूतपूर्व) चीफ जस्टिस को अपनी तरफ से पेश करते हैं। मजदूर इतना बड़ा तो क्या छोटा वकील भी नहीं कर सकते। डा० इकबाल उन जजों के सामने मुकदमे की पैरवी करते हैं जो कि उनके सबार्डिनेट रह चुके हैं। अब हमारे लेबर मिनिस्टर साहब को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये कि इन हालात में हम लेबर के इंटरेस्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।

और मैं यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि अब हमारे जो ट्राइबुनल्स हैं उनकी ट्रैंड (विचारधारा) भी बदलती जा रही है। पहले उनका ऐसा सेंटीमेंट (विचार) नहीं था। पहले जब वह बोनस देते थे तो वह कहते थे कि बोनस डेफर्ड पेमेंट ऑफ वेजेज़ है। लेकिन अब एक एवार्ड में यह कहा गया है कि सारी चीजें देने के बाद, मैनेजिंग एजेंसी कमीशन देने के बाद, रिजर्व फंड देने के बाद, जो कि समझ में आ सकता है, और दूसरी चीजें देने के बाद बोनस का लास्ट आइटम है जो कि दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं सचमुच तारीफ करती हूं लेबरर्स के सब्र की। आज यह कहने में कोई फायदा नहीं कि एक पार्टी के लोग यह कहते हैं और दूसरी पार्टी के लोग यह कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि उनका सब्र हद से ज्यादा है। शायद वह मजबूरी की वजह से यह सब्र करते हैं। आई० एन० टी० यू० सी० के जो प्रेसीडेंट सबरेकर साहब हैं वह भी परेशान हैं। जो बम्बई में एवार्ड हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हमारे

भाई त्रिपाठी जी, जो कि बहुत समय से लेबर का काम करते आ रहे हैं और जो किसी बात को बढ़ाकर नहीं कहते, वे भी आज विरोध कर रहे हैं। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि हम मजदूरों को किस तरह से जस्टिस दिलायें। हमारे लेबर मिनिस्टर लेबर और मालिकों के रिलेशन्स (सम्बन्ध) अच्छे करने के लिये कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि देश को समाजवाद की ओर ले जाने की जिम्मेवारी उनकी भी है। इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त करती हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और इस तरफ तेजी से कदम उठायें। अगर दो-चार रुपये का भी मामला होता है तो मजदूर को चार-चार साल उसको फैसला कराने में लग जाते हैं। मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी मैशिनरी बनावे कि ज्यों-ज्यों प्रोडक्टिविटी (उत्पत्ति) बढ़ती जाये वैसे-वैसे ही बिना स्ट्राइक (हड़ताल) के मजदूरों की वेजेज़ बढ़ती जायें।

श्री आर० आर० शास्त्री (ज़िला कानपुर—मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर विभाग ऐसा विभाग है जिसका संचालन हिन्दुस्तान के अनुभवी मजदूर नेताओं के हाथ में है इसलिये हर एक व्यक्ति का यह ख्याल है कि मजदूरों की समस्यायें श्रम मंत्रियों के सामने हैं और वे इन सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं।

हमारी एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो रही है।

पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये और राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मजदूरों का क्या महत्व है, इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जब सरकार, मिल मालिक और मजदूर, तीनों के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन होना चाहिये और वह परिवर्तन यह कि वे अपने-अपने सैक्शनल इंटरेस्ट्स (क्षेत्रीय हित) को न देख कर यह देखें कि पूरा राष्ट्र हमारे सामने है, समूचे समाज की हमें सेवा करनी है और फिर उस दृष्टिकोण को लेकर हम काम करें।

सैकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में हमने देखा कि उन्होंने स्वीकार किया कि मजदूरों ने सच्चाई के साथ काम किया और राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने का उन्होंने प्रयत्न किया। सवाल यह होता है कि अगर राष्ट्र का उत्पादन बढ़ता है और उसमें मजदूरों के सहयोग को स्वीकार किया जाता है तब उस उत्पादन में मजदूरों को कितना हिस्सा प्राप्त है और कहां तक उनको इस बात की प्रेरणा दी गई कि जैसे-जैसे राष्ट्र का उत्थान होता जायगा, जैसे-जैसे समाज की हालत बदलती जायेगी, वैसे-वैसे तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आयेगा। जैसे कि अभी यहां पर बहुत से आंकड़े पेश करके इस बात को साबित किया गया कि राष्ट्र का उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ा है, उसी अनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ी है। सिर्फ ध्यान देने की बात एक है और वह यह कि ठीक तरीके पर मजदूरी का हिसाब नहीं लगाया जाता है। आप सदन में यह आंकड़े पेश करते हैं कि पहले एक मजदूर को १८ रुपये मिलते थे और अब उसको २० रुपये मिलते हैं और आप कहते हैं कि उसकी तनख्वाह पहले की अपेक्षा अब बढ़ गयी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही आपको उसकी महंगाई भी जोड़नी पड़ेगी और आपको दूसरी चीज़ें भी जोड़नी पड़ेंगी और जैसा कि मजदूर कहते हैं कि उनकी रिअल वेजेज़ (असली मजदूरी) नहीं बढ़ी हैं और उसकी ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह विवाद का विषय है कि मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस बात को तो महसूस करते हैं कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़ी है लेकिन वास्तव में रिअल वेजेज मजदूरों की नहीं बढ़ी हैं जबकि हकूमत हमेशा आंकड़े पेश करके यह साबित करने की चेष्टा करती है कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिये मजदूर का हिस्सा उसके उत्पादन करने में बढ़ गया है।

एक चीज मैं यह चाहता हूं कि आप स्वीकार कर लें बजाय इसके कि उसको लेकर व्यवसाय के अन्दर कोई लड़ाई झगड़ा हो और बाद में जांच कमिशन बैठे और उसके बाद में आप वेतन की समस्या को हल करें, कहीं अच्छा हो कि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि अब वक्त आ गया है कि जब

[श्री आर० आर० शास्त्री]

हर एक व्यवसाय के अन्दर इस बात की जांच होनी चाहिये कि इस मौके पर मजदूरों को कितना वेतन मिलना चाहिये ? इसलिये मैं एक मांग यह पेश करता हूं कि एक वेज कमिशन नियुक्त किया जाय और फिर विभिन्न व्यवसायों के अन्दर जांच की जाय कि मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिये ताकि इस तरह के रोजमर्रा के झगड़े व्यवसायों में आपस में न हुआ करें। यह हो सकता है और इस मौके पर यह एक दलील दी जा सकती है कि हम एक नेशनल मिनिमम वेज फिक्स करने की बात करें, तो शायद इस पर यह ऐतराज होगा कि कहीं कोई हालत है तो किसी जगह की दूसरी हालत है और इसलिये एक नेशनल मिनिमम वेज (राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी) को गवर्नमेंट न माने लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या हर व्यवसाय के लिये यह आप नहीं कर सकते हैं कि उसकी जांच करें और यह फिक्स करें कि फलां व्यवसाय में मजदूरों का वेतन इतना होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि १९३९ के जमाने से लेकर इस वक्त तक आखिर को इतनी मंहगाई बढ़ी। मंहगाई, मैं यह मानता हूं कि कभी-कभी वह ऊपर नीचे जाती है लेकिन यह कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि १९३९ के जमाने में जो मंहगाई थी वह उस जगह पहुंच जाये, यह नहीं हो पायेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि मंहगाई का भत्ता और मजदूरी जो मजदूर को मिलती है, मंहगाई के भत्ते के हिस्से को हम मजदूर क्षेत्र के लोग यह मानते हैं कि अगर ज्यादा कुछ नहीं, तो उसमें से ५० फी सैंकड़ा मजदूर के वेतन में अवश्य मिला दीजिये। मजदूर को अगर प्राविडेंट फंड, ग्रैचुएटी या और जो दूसरी सहूलियतें मिलती हैं, उसका सम्बन्ध बुनियादी तनख्वाह के साथ कर दिया जाता है। सही वाक्या तो यह है कि बुनियादी तनख्वाह तो बहुत कम है, मंहगाई का भत्ता ज्यादा मिलता है और मंहगाई के भत्ते को जो आप अलग रखते हैं तो उससे मजदूर को नुकसान होता है। इसलिये तरीका यह होना चाहिये कि ५० फी सैंकड़ा मंहगाई के भत्ते को आप वेतन के साथ जोड़ दीजिये जिसकी कि वजह से प्राविडेंट फंड, ग्रैचुएटी या दूसरी चीजों में मजदूरों को सहूलियत मिल जायगी और आज जो उसकी बुरी हालत है उसमें सुधार होने में कुछ सहूलियत हो जायगी।

जहां तक बोनस के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बोनस का मसला एक ऐसा मसला है जिसको कि लेकर हर व्यवसाय में हर साल कुछ न कुछ मालिकों और मजदूरों में झगड़ा होता है। जरूरत इस बात की है कि हकूमत इस बात का फैसला करे और राष्ट्रव्यापी ढंग से बोनस के बारे में कोई सिद्धान्त निश्चित करे और यह तय कर दिया जाय कि कारखाने के अन्दर अगर उत्पादन बढ़ता है और मुनाफा होता है तो मजदूरों को उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा, इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये और ऐसा होने पर मजदूर दिल लगा कर काम करेगा और वह समझ जायगा कि इतना उत्पादन बढ़ने पर हमारी तनख्वाह इतनी बढ़ेगी और हमें इतना बोनस मिलेगा। आज इसका निश्चय न होने से रोजमर्रा इस तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिनसे कोई भी फायदा न तो समाज का होता है और न व्यवसाय के अन्दर इससे कोई फायदा होता है। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि यह बात अक्सर कही जाती है कि अगर व्यवसाय की तरक्की करनी है तो रेशनेलाइज़ेशन (वैज्ञानिकन) होना बहुत जरूरी है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां रेशनेलाइज़ेशन करने की कोशिश की जाती है और जिस ढंग से मिल मालिक उसको शुरू करते हैं, उससे मजदूरों में असन्तोष पैदा होता है, और लड़ाई झगड़ा होता है, देश का नुकसान होता है और सबका नुकसान होता है। इसके कारण कानपुर में इतनी बड़ी मजदूरों की हड़ताल हुई जो कि अस्सी रोज तक जारी रही। हकूमत समझती है कि हमने ग़लती की और हम समझते हैं कि हकूमत की ग़लती थी लेकिन जो भी हो, रेशनेलाइजेशन के इश्यू (विषय) को लेकर जो वहां पर हड़ताल चली और उस हड़ताल से राष्ट्र का काफी नुक्सान हुआ, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अगर आप रेशनेलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो इस बात की जांच कर लीजिये और इसके लिये हाई कोर्ट के किसी जज को आप बैठाल दीजिये, इस मांग को आप

न मानें और ८० रोज की हड़ताल के बाद आप इसको मानें, यह मुनासिब नहीं है । ८० रोज की हड़ताल के बाद आपने हमारी मांग को माना और अब कानपुर की रेशनेलाइज़ेशन कमेटी की जांच हो रही है । नागपुर में न मालूम कितने दिनों से हड़ताल चल रही है और मेरा यह ख्याल है कि जहां-जहां ऐसी बात होगी वहां-वहां झगड़ा बढ़ेगा । मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का रोज-रोज का झगड़ा बढ़े और उससे हमारे राष्ट्र का नुकसान हो । इसलिये मेरी यह राय है कि सारे देश के लिये सेंटर से एक कंट्रोल बोर्ड बनना चाहिये, एक हाई पावर कमेटी आप नियुक्त कीजिये जो रेशनेलाइज़ेशन के मसले पर आपस में बहस करे और उसके लिये कोई एक सिद्धान्त निर्धारित करे ताकि देश के किसी भी कोने में और किसी भी व्यवसाय के अन्दर इस रेशनेलाइज़ेशन के मसले को लेकर झगड़ा न बढ़ने पाये । हम चाहते हैं कि उसके लिये सिद्धान्त पहले से बने हों और उन्हीं के अनुसार सब जगह पर काम हो । हम रेशनेलाइजेशन के विरोधी नहीं हैं लेकिन जिस तरीके की मशीनों पर और जिस तरीके पर मिल मालिक रेशनेलाइजेशन करते हैं उससे मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता और इसीलिये हम चाहते हैं कि उसके लिये कोई सिद्धान्त बनाने चाहियें ।

जहां तक छंटनी का ताल्लुक है आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है और यह तब बढ़ रही है जब कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ रहा है । सरकारी रिपोर्टों के अनुसार आज हमारे देश में बेकारी बढ़ती चली जाती है, प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, पब्लिक सेक्टर में भी बेकारी की समस्या मौजूद है और अभी हमने देखा कि डिफेंस विभाग की मदों पर जब इस सदन में बहस हुई तो इस बात का जिक्र आया कि आर्डिनेंस डिपोज़ में सिविलयन मजदूरों की बेकारी की समस्या आ खड़ी हुई है और उनकी छंटनी का सवाल पेश है । आज जरूरत इस बात की है कि आपको इस छंटनी को रोकना है और देश से बेकारी को दूर करना है और उस हालत में जब आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम नये-नये कार्यों में ८० लाख नये मजदूरों को काम देंगे, तब जो आदमी पहले से काम पर लगे हुये हैं उनको जो आप नौकरियों से निकाल रहे हैं, वह कुछ समझ में नहीं आता है और उसके होते हुये कैसे हमारे दिल में उत्साह पैदा हो सकता है, यह चीज समझ में नहीं आती है ।

एक बात रेशनेलाइजेशन को लेकर मुझे और याद आ गई और वह यह है कि जहां आप मजदूरों का रेशनेलाइजेशन करते हैं, तमाम मशीनरी का रेशनेलाइजेशन आपने शुरू कर दिया है वहां आप मालिकों का जो प्रबन्ध होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसका रेशनेलाइजेशन आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं ? वहां पर जो मिल का मालिक होता है वह वही चीजें खरीदता है और अपने ढंग से अपना कारोबार चलाता है और वही सारे शो (काम) का मैनजमेंट करता है और उसमें अपने लड़के बच्चों को हजारों रुपये तनख्वाह देता है, भले ही वह लड़का मैट्रिक पास क्यों न हो, लाखों रुपये व्यवसाय के अन्दर में लग जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप इस बात को देखें कि यह जो व्यवसाय चलाया जा रहा है, और जो उसका मैनेजमेंट हो रहा है उसका इंतजाम सही है या ग़लत है ? आप चाहे दुनिया भर का इंतजाम क्यों न कर लीजिये और दूसरी सारी समस्यायें क्यों न हल कर लीजिये लेकिन अगर मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है तो आप कभी भी उस व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते । इसलिये उसके मैनेजमेंट के रेशनेलाइजेशन की आज आवश्यकता है ।

मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि हिन्दुस्तान में मालिकों और मजदूरों के झगड़े कम हैं, और चूंकि झगड़े कम हैं इसलिये श्रम विभाग की जो नीति है वह बिल्कुल सही है और मजदूर उससे सन्तुष्ट हैं । पिछले साल जब सदन में बहस हुई थी तो श्रम मंत्री जी ने यह कहा था कि सन् १९४७ में इतनी हड़तालें हुईं और इतने दिनों का नुक्सान हुआ, सन् १९५४ में इतनी हड़तालें हुईं और इतने दिनों का नुकसान हुआ । और चूंकि कम हड़तालें हुईं इसलिये उन्होंने यह साबित किया कि हमारी श्रम नीति सही है । उनके तर्क को मैं यों पेश करता हूं, और उनकी रिपोर्ट से ही पेश

[श्री आर० आर० शास्त्री]

करता हूं, कि सन् १९५३ में ८२४ हड़तालें हुईं और २५ लाख दिनों का नुकसान हुआ, १९५४ में ८९५ हड़तालें हुईं और २८ लाख दिनों का नुक्सान हुआ, १९५५ में ९२१ झगड़े हुये और ४८ लाख दिनों का नुक्सान हुआ। चूंकि हमारे यहां इतनी-इतनी हड़तालें हुईं और इतने-इतने दिनों का नुक्सान हुआ तो माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि अब की बार वह क्या कहेंगे। मैं इसी दलील के मुताबिक, जिससे उन्होंने सन् १९५४ में साबित किया था कि चूंकि सन् १९४७ के मुकाबले में हड़तालें कम हुईं इसलिये उनकी नीति सफल हुई, स्वीकार करने को तैयार हूं कि चूंकि सन् १९५५ में झगड़े बढ़ते चले गये हैं और दिनों का नुक्सान होता चला गया है इसलिये उनकी नीति असफल रही है। यह इस बात का सबूत है कि श्रम नीति में कहीं न कहीं कोई खराबी है। इसलिये मैं और भी महसूस करता हूं कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सेकेंड फाइव इयर प्लान में यह बात स्वीकार की गई है कि जो वर्क्स कमेटियां आपकी काम कर रही हैं वे ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। मैं भी कुछ दिन पहले श्रम मंत्री जी से मिला था और उन्होंने इसको स्वीकार किया था कि रेलवे है, डिफेन्स है और कई और जगहें हैं जहां पर जितनी वर्क्स कमेटियां (कार्य समितियां) हैं वह सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं काम कर रही हैं ठीक से इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि वर्क्स कमेटियों के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिये। मेरी राय में अगर उनका काम जितना होना चाहिये अगर वह ठीक नहीं होगा तो वह कभी भी सफल नहीं होंगी।

आखीर में एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। आपको ट्रेड यूनियन के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिये, मालिकों का भी और सरकार का भी। हड़तालों से देश की समस्या हल नहीं होती, मुकदमेबाजी से देश की समस्या हल नहीं होती, न झगड़े ही खत्म होते हैं। अब वक्त आ गया है जबकि मालिक और मजदूर दोनों आमने-सामने बैठें, अपनी-अपनी मुसीबतें एक दूसरे के सामने पेश करें और मामलों को हल करें। इसके लिये आवश्यक है कि मजबूत और शक्तिशाली मजदूर सभायें हों। लेकिन अगर मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को वहां काम करने के कारण नौकरियों से हटा दिया जायगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ट्रेड यूनियनें कैसे चल सकेंगी? अगर उनको सिक्योरिटी नहीं होगी तो वे कैसे मजदूर सभाओं में भाग ले सकेंगे? हां आप इस बात को सोचिये कि कौन-सी यूनियन को माना जाय और किस को न माना जाय। मेरी समझ में इसका एक ही तरीका है कि चुनाव कराइये और उससे इस बात का पता लगा लीजिये कि कौन-सी यूनियन को आप मानें और कौन-सी को आप न मानें। मैं श्रम मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी आंखों के सामने सब यूनियनें एक समान होनी चाहियें। जिस यूनियन में मजदूरों का विश्वास हो, उसको माना जाय। हमारी यू० पी० की गवर्नमेंट एक यूनियन को मानती थी, दूसरी यूनियन के लोगों ने इसको चैलेंज किया। वोट्स लिये गये, एक यूनियन २७,००० वोट्स (मत) से हार गई। तो बजाय इसके कि वर्क्स कमेटी दूसरी यूनियन के हाथ में दी जाती, सारी वर्क्स कमेटी को ही खत्म कर दिया गया। अभी मुझे मालूम हुआ कि बिहार के डालमियां नगर में दो यूनियनें चल रही हैं। एक तो आई० एन० टी० यू० सी० की है और दूसरी हिन्द मजदूर सभा की। आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन को लगातार सात-आठ वर्षों से स्वीकार किया जा रहा है। दूसरी यूनियन वालों ने उस को चैलेंज (चुनौती) किया। हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह ग़लत हो, और मंत्री जी ठीक-ठीक चीज को बतलायेंगे, लेकिन वहां के आंकड़े यह हैं। वहां पूरे के पूरे वोट्स ४,५०० थे जो कि पड़ने थे। उनमें से ३,७९० वोट पड़े जिनमें से ३,४८१ वोट तो हिन्द मजदूर सभा को पड़े और ३०९ वोट आई० एन० टी० यू० सी० को मिले। जिस यूनियन को सिर्फ ३०९ वोट मिले वह तो आज सात-आठ वर्ष से रिकग्नाइज्ड (अभिज्ञात) है, लेकिन जिस यूनियन को साढ़े तीन हजार वोट मिले वह रिकग्नाइज्ड नहीं है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : कहां रिकग्नाइज्ड है ?

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : डाल्मियां नगर में ।

†**श्री नम्बियार** : यह तो सरकार की नीति है ।

श्री आर० आर० शास्त्री : मैं गवर्नमेंट की एक बात के लिये तारीफ करूंगा, और मुझे यह विश्वास है, कि वह डिमाक्रेसी (प्रजातंत्र) में विश्वास करती है, दोनों ही मिनिस्टर भी सोशलिज्म में विश्वास करते हैं, इसलिये वह इसको स्वीकार करेंगे कि जिस यूनियन क पक्ष में ९० परसेन्ट (प्रतिशत) वोट जाते हैं उसको रिकग्नाइज़ड करना चाहिये । और इसी उसूल को हिन्दुस्तान के हर व्यवसाय के अन्दर लागू करना चाहिये कि मजदूरों का जिस यूनियन में विश्वास हो उसको ही वास्तव में रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन मानना चाहिये ।

सिर्फ इतनी बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज ट्रान्सपोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है । आज हम पंचवर्षीय योजना में योग देने जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में लगातार साढ़े तीन या चार लाख कर्मचारी काम करते हैं । मैं माननीय मंत्री जो से उम्मीद करूंगा वह उनकी सर्विस कंडिशन्स को ठीक करने के लिये तैयार होंगे । मजदूरी का भी कोई कानून बनना चाहिये और इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये कि जो कुछ हो वह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिये हो । कहीं ऐसा न हो जाय कि पब्लिक सेक्टर के लिये तो कानून बन जायें और प्राइवेट सेक्टर को उससे दूर रखा जाय । कानून बनाया जाय और प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स पर लागू किया जाय ।

हमारे माननीय मंत्री जी शायद इस बात को सुन कर नाराज तो होंगे, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि कुछ बैंक एम्प्लायीज (कर्मचारी) के लिये भी यहां कह दूं । बैंक इम्प्लायीज काफी सफर (भुगतना) कर चुके हैं । उनके लिये नियम बना कर आपने बड़ा भारी काम किया है । लेकिन आपने बताया है कि जो उनकी तन्ख्वाह कटा करती थी वह अब भविष्य में नहीं कटेगी । लेकिन अगर आप कोशिश करें तो क्या यह सम्भव नहीं है कि जिनकी तन्ख्वाह को काटने का फैसला किया जा चुका है उनको उसके कटने से बचाया जा सके ? यह बात आप ने अच्छी की कि किसी की तन्ख्वाह आगे नहीं कटेगी, लेकिन जिन लोगों की पहले से ही सजा के तौर पर तन्ख्वाह काटी जा चुकी है उनके डिसकंटेंटमेंट (असंतोष) को मिटा दिया जाये ताकि बैंक एम्प्लायीज के आपस के सम्बन्ध भी अच्छी तरह चल सकें । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बैंक एम्प्लायीज का राष्ट्रीय संगठन है उसको साथ लेकर एक ट्राइपार्टाइट कमेटी (त्रिदलीय समिति) बना दी जाय और उनके सारे झगड़ों को हल किया जाय । मैं सही भावना से विश्वास दिलाता हूं कि जितने मजदूर संगठन हैं देश में वे सब राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही काम करते हैं । अगर आज सरकार का दृष्टिकोण मजदूरों के पक्ष में बदलता है तो मैं कह सकता हूं कि मजदूर भी आज देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो कर पूरे समाज की उन्नति करने के लिये तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा । अगर आज राष्ट्रीय उन्नति की भावना को लेकर सारे काम किये जायें तो मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती कि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल न हो और हम जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसमें हम कामयाब न हों ।

†**श्री पी० सी० बोस** (मानभूम—उत्तर) : श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रकट होता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों और परियोजनाओं के विकास के परिणामस्वरूप श्रम मंत्रालय का उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ गया है, और यह उत्तरदायित्व द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं की कार्यान्विति की दृष्टि से और भी बढ़ गया है ।

श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के कल्याण के लिये बहुत से विधान तथा नियम बनाय हैं । मैं उनके सम्बन्ध में और कुछ न कह कर केवल यही कहूंगा कि सरकार उन विधानों तथा नियमों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० सी० बोस]

शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे, नहीं तो श्रमिकों के मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी विधानों व योजनाओं की ओर ध्यान दे, जो उसने बनाई हैं। इन सब विधानों व योजनाओं को यथा शीघ्र कार्यान्वित किया जाये।

मुझे इस बात की खुशी है कि श्रम मंत्रालय ने रिक्शा चलाने को समाप्त कर देने के प्रश्न को लिया है। इसके सम्बन्ध में सदस्यों में मतभेद है, परन्तु मैं समझता हूं कि इस बारे में हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि यह कार्य एक अपमानजनक कार्य है और इसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाये। परन्तु हम इस बात को भूल नहीं सकते कि देश के लाखों लोग इस व्यवसाय के द्वारा अपना और अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। इसलिये सरकार ने यह बहुत अच्छा निर्णय किया है कि इसे धीरे-धीरे समाप्त किया जाये ताकि इससे छूटने वाले लोगों को किसी और काम में लगाया जा सके।

हाल ही में नदी घाटी योजनाओं में काम करने वाले अनेको लोगों को छंटनी में निकाल दिया गया है। वे लोग वहां पर पिछले सात आठ वर्षों से काम कर रहे थे, और अब बेचारे बेकार होकर जिन्दगी के भार को ढो रहे हैं। अतः उनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार किया जाये, और इस प्रकार से छंटनी में आये हुये लोगों को फिर से काम में लगाने के उद्देश्य से योजना मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच एक समन्वय समिति बनायी जाये।

अब मैं उद्योग में विद्यमान कुछ बुराइयों की चर्चा करना चाहता हूं। उन्हीं बुराइयों के कारण ही तो मजदूर प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। उन बुराइयों में सर्व प्रथम है शराब पीना। फिर उसी शराब पीने से उत्पन्न होने वाली दूसरी बुराई है जुआ खेलना। और फिर तीसरी बुराई है भयंकर रोग जिन्हें हम 'औद्योगिक सामाजिक रोग' कह सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व इन रोगों की स्थानीय तौर पर जांच की गई थी और यह बताया गया था कि इन रोगों का वास्तविक कारण यह है कि मजदूरों को आवास सम्बन्धी इतनी सुविधायें नहीं दी जाती हैं कि वे अपने परिवार को अपने पास ला सकें और इसीलिये वे अपनी कामपूर्त्ति के लिये वेश्याओं के पास जाते हैं और कई प्रकार के रोग मोल ले लेते हैं। इसलिये सरकार से मेरा यह सुझाव है कि वह देश के सभी उद्योगों के मजदूरों में विद्यमान इन सभी रोगों की अच्छी प्रकार से जांच करे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे।

एक और बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों के इन मजदूरों का वहां के दुकानदार शोषण कर रहे हैं। वे प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी अधिक लगाते हैं और चीज़ भी घटिया देते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि श्रमिकों को स्वयं ही अपने सहकारी भण्डार बनाने को प्रोत्साहित किया जाये ताकि वे उन सहकारी भण्डारों से प्रत्येक वस्तु कम मूल्य पर तथा बढ़िया किस्म की प्राप्त कर सकें।

यदि इन दो बातों की ओर ठीक प्रकार से ध्यान दिया जाये तो मैं समझता हूं कि मजदूर स्वयमेव प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रगति करना प्रारम्भ कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्रम मंत्रालय के अधीन विभिन्न मांगों से सम्बन्ध रखने वाले चुने हुये कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावों की संख्या
७०	१९३ से २०४, ५०८, ५०९, ५११ से ५२०, १११० से १११५, ११४० से ११४२, ११५६ से ११६१
७१	९३०, ९३१, १११६, १११७
७२	१११८
७३	११४३

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७०	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम)	त्रिपुरा में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस संघ का दमन ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा के चाय के मजदूरों को लाभांश देने के निर्णय को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा के चाय बागान को वहां के कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण के लिये आवास-ऋण देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	अगरतल्ला में रिक्शा चलाने वालों के लिये ढके हुये स्टैण्ड बनाने के लिये अगरतल्ला नगरपालिका, त्रिपुरा को सहायता देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा के बीड़ी के कारखानों के स्वामियों को कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण के लिये आवास ऋण देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा के चाय बागान को वहां पर कल्याण केन्द्र स्थापित करने के लिये, सहायक अनुदान देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	अगरतल्ला नगरपालिका को हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये अनुदान देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	राजकीय विद्युत सम्भरण समवाय, अगरतल्ला त्रिपुरा, की स्थिति को सुधारने के लिये धन देने की आवश्यकता ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में एक समझौता बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	श्रम विभाग को वेतन अदायगी न करने के मामलों में स्वामी को सम्मन भेजने का अधिकार सौंपन की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में बेकार व्यक्तियों का नियमित रूप से पंजीयन प्रारम्भ करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की मजूरी क्रम को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	सभी कर्मचारियों के लिये एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	देश में सभी कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम को शीघ्र ही कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के लाभांश सम्बन्धी दावों की मान्यता के लिये शीघ्र ही विधान बनाने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	छंटनी की रोकथाम के लिये उचित विधान बनाने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	औद्योगिक श्रमिकों को आवास सम्बन्धी सुविधाओं की अनिवार्य व्यवस्था के लिये उचित विधान बनाने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	बीड़ी उद्योग पर फैक्टरी अधिनियम को उचित रूप से लागू करने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७०	श्री तुषार चटर्जी	लाख उद्योग में श्रमिकों के लिये उचित कल्याण उपायों की आवयश्कता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	लाख उद्योग में जोविका विशेष के कारण उत्पन्न रोगों से बचाव के उपाय करने को आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को दी जाने के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अच्छा प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	पटसन उद्योग के वैज्ञानिकन की जांच करने को आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	कार्मिक संघों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्री तुषार चटर्जी	सरकार की श्रम नीति ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट)	मालिकों द्वारा कार्मिक संघों का अभिज्ञात किया जाना ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सरकारी कर्मचारियों को कार्मिक संघों के सभी अधिकार देने को आवश्यकता ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये १०० रुपये की न्यूनतम मजूरी निश्चित करने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारियों को लाभांश देने की आवश्यकता ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारियों के लिये मकानों की कमी ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारी राज्य बीमा योजना ।	१००
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बागान श्रम अधिनियम, १९५१ का कार्यकरण ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मालिक-मज़दूर समझौता व्यवस्था की असफलता ।	१००
७०	श्री बूवराघस्वामी (पैरम्बलूर)	मंत्रालय में पिछड़े हुये वर्गों की जनसंख्या के आधार पर नौकरी देने में असफलता ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	भारतीय टेक्नोलोजी संस्था, खड़गपुर में प्रयोगशालाओं के सहायकों की प्रतिष्ठा तथा वेतन क्रम ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी	मिदनापुर ज़िले में चावल की मिलों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी	मिदनापुर ज़िले में कोलाघाट में लकड़ी चीरने के कारखाने के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी	कर्मचारियों को अधिक समय काम करने का भत्ता ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी	सरकारी उपक्रमों में कार्मिक संघों के अधिकार ।	१००
७०	श्री एन० बी० चौधरी	मोटर परिवहन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।	१००
७१	श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)	बड़ा जमदा क्षेत्र में खानों में काम करने वाले श्रमिकों और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
७१	श्री देवगम	बड़ा जमदा के आसपास खानों के क्षेत्र में सड़कों की देखभाल ।	१००
७१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खानों में सुरक्षा विनियमों के उल्लंघन ।	१००
७१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खान अधिनियम के उल्लंघन के लिये भयोत्पादक दण्ड तथा अभियोजन की अपर्याप्ति ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
७२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की खानों में काम करने वालों के लिये गृह-व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं की कमी ।	१००
७३	श्री बूवराघस्वामी	काम दिलाऊ दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता ।	१००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

श्री आबिद अली : आज काफी भाषण हिन्दी में हुए हैं और मेरे सीनियर कुलीग (वरिष्ठ साथी) देसाई साहब अंग्रेजी में बोलेंगे, इसलिये मैं हिन्दी में बोलने की इजाजत चाहता हूं ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे खुशी इस बात की है कि श्रम मंत्रालय के काम के सम्बन्ध में कोई विरोध या ऐतराज नहीं पाया गया । यों तो विषय सामने है और इस पर कुछ कहना चाहिये । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बहुत जरूरी भी था । जहां तक हो सकेगा उनकी सूचनाओं के ऊपर अमल करने की कोशिश की जायेगी । लेकिन मैं यह कह रहा था कि बहुत विरोध नहीं हुआ । इस से खुशी हुई लेकिन संतोष नहीं हुआ । माननीय सदस्य यह भी समझ रहे है कि जितना हम कर सकते थे उतना करने की कोशिश की गयी है । बहुत किया है पर उससे बहुत ज्यादा करना है । यह हम भी मानते हैं । अभी शास्त्री जो ने फरमाया है कि हमको सन्तोष हो जाया करता है । लेकिन यह बात सही नहीं है । मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमको संतोष नहीं होता है । जितना यह बड़ा काम है और जितनी समस्यायें हैं उनका हमको पूरा ख्याल है और उनके लिये कोशिश तो जारी रहनी ही चाहिये ।

यहां पर जो बातें कही गयी है उनके बारे में थोड़ा अर्ज कर देना चाहता हूं । खास तौर से मैं रिअल वेज (वास्तविक मजूरी) के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । इसके बारे में श्री तुषार चटर्जी साहब ने और शास्त्री जी ने भी फरमाया था । हमारा यह मतलब नहीं है कि पहले ४० रुपये मिलते थे और अब ६० मिलते हैं इसलिये हम कहते हैं कि रिअल वेज (वास्तविक मजूरी) बढ़ गयी है । शास्त्री जी ने भी फरमाया था कि रिअल वेज कितनी पड़ी है जब सन् १९४३ और ४४ के आंकड़ों से तुलना की जाती है सन् १९५० और ५४ के आंकड़ों से तो मालूम होता है कि रिअल वेज ४३ परसेंट (प्रतिशत) बढ़ी है । पांच बरस में ४३ परसेंट (प्रतिशत) यानी एक बरस में ८·६ परसेंट । अब इसके मुकाबले में सन् ४३ और ४४ से सन् १९५० और ५४ में उत्पादन १४ परसेंट बढ़ा है । आप देखें कि रिअल वेज ४३ पर सेंट बढ़ी है और उत्पादन १४ परसेंट बढ़ा है । यानी रिअल वेज हर साल ८·६ परसेंट बढ़ी और उत्पादन हर साल २·८ पर सेंट बढ़ा ।

इसी तरह से न मालूम किस आधार पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि काम करने वालों की संख्या कम हो रही है । सन् १९३९ में १६,१८,००० काम करने वाले थे, सन् १९५० में २५,००,००० और सन् १९५४ में २५,९०,००० वर्कर (श्रमजीवी) फैक्टरीज़ में काम करते थे । इसके अलावा जो नये-नये काम हुए हैं जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स (नदी घाटी योजना) वगैरह उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं ।

माननीय टंडन जी ने जो फरमाया उसके बारे में मैं अर्ज करूं कि जब वह बम्बई की मिल का जिक्र कर रहे थे उस वक्त मुझे भी अपना बचपन याद आया आज से शायद ४१ या ४२ वर्ष पहले में कानपुर की एक मिल में मामूली मजदूर की हैसियत से काम करता था । तो मैं माननीय टंडन जी से यह

[श्री आबिद अली]

अर्ज करूंगा कि इस चीज़ को हम भूल तो सकते ही नहीं क्योंकि इस बारे में हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। उस जमाने में यह होता था कि सूरज मिल में निकलता था और मिल में ही डूबता था। और और भी जो कठिनाइयां थी उनका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उसके बाद ट्रेड यूनियन (कार्मिक संघ) में भी काम किया है। उसके बाद सन् १९१४, १५ से सन् १९५६ तक इसी काम में रहा हूं। तो उसका जो अनुभव हुआ है उसका सदुपयोग करने की कोशिश हो रही है ख्याल यह है कि संगठन बहुत मजबूत हुआ है और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद होना भी चाहिये था। और मजदूरों को उसका फायदा भी पूरा होना चाहिये। देश की उन्नति हो यह तो जरूरी है लेकिन केवल उतने से तो संतोष नहीं है। देश की उन्नति के साथ ही साथ जितने शहरी हैं उनको उसी पैमाने पर उसका लाभ भी होना चाहिये तभी तो देश की उन्नति सच्ची उन्नति मानी जायेगी। इसी चीज को श्रम मंत्रालय और गवर्नमेंट सामने रखते हैं। और ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। माननीय सदस्य श्री सोमानी जी ने जो थोड़ी सी तारीफ कर दी उससे हमारी बहिन सुभद्रा जी भड़क गयीं। लेकिन इसकी वजह मालूम नहीं हुई। हो सकता है कि कोई शख्स जो कि उनसे सहमत न हो कहीं पर कह दे कि "सुभद्रा बहिन, कल आपने फलां काम बहुत अच्छा किया था" तो उससे परेशान होने की कोई बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन श्रम मंत्रालय का कर्तव्य क्या है उसमें किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं आता है। हमारा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जब कोई मजदूर संगठन करें और स्ट्राइक (हड़ताल) का नोटिस दें तो हम वहां पहुंच जायें और उनमें आपस में समझौता करा दें। यह बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मजदूरों का संगठन बहुत मजबूत हो। हम चाहते हैं कि उद्योग बहुत उन्नति करे और मजदूर और उद्योगपतियों के सम्बन्ध बहुत मीठे हों जिससे कि उद्योग और देश की तरक्की हो। और उस की तरक्की में मजदूरों का जितना पूरा हक है वह भी उनको मिले। इसी तरीके की कोशिश हो रही है।

रिक्शा के बारे में हमारे मोहतरिम (माननीय) टंडन जी ने एक पत्र मुझे भेजा था। मैं ने बड़े उत्साह से उसका जवाब दिया और मैं समझता था कि टंडन जी उससे खुश होंगे कि हम रिक्शा चलाना बन्द कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इस चीज़ को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन यह तो कोई प्राचीन चीज़ नहीं है। यह तो अभी हाल में ही शुरू हुई है जिस तरह कि उन्होंने रेल का जिक्र किया। यह रिक्शा तो रेल के बाद ही आया है। रेगे कमेटी की रिपोर्ट तो माननीय सदस्य ने पढ़ी होगी। उसमें लिखा है कि जो जवान आदमी रिक्शा चलाते हैं उनकी सात से लेकर दस साल की उम्र कम हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि हमें इसको रोकना चाहिये। लेकिन हम यह नहीं कर रहे हैं कि आज जो लोग रिक्शा चला रहे हैं उनको रिक्शा चलाने से एक दम रोक दिया जाये। योजना यह है कि आगे रिक्शा के लाइसेंस न दिये जायें और आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा घटते जायें। देश में बड़े-बड़े काम हो रहे हैं ये लोग उनमें लग जायें, इस तरह की हमारी योजना है।

रेल के बारे में आनरेबिल (माननीय) सदस्य ने जिक्र किया कि रेल की वजह से हजारों लोग बेकार हो गये। लेकिन साथ ही साथ साढ़े नौ लाख लोग सीधे रेलवे में काम भी तो कर रहे हैं और इसके अलावा दो-तीन लाख और आदमियों को उस सम्बन्ध में काम मिला हुआ है। गंदे काम के करने वालों का यहां पर जिक्र किया गया। उसके बारे में मेरा कहना यह है कि उत्तरप्रदेश में तो पाखाना साफ़ करने वालों को हलालखोर कहते हैं। वही एक काम ऐसा है जिसके कि करने वालों को हलालखोर कहा जाता है। इन गंदा काम करने वाले आदमियों की तरफ़ समाज की दृष्टि में तब बदलाव आया जब गांधी जी ने देशवासियों को ललकार कर कहा कि आप अब तक जिसको पतित समझते आये हैं, वह तो वास्तव में पावन है और यह आपकी सरासर भूल है जो गंदगी करने वाले को तो आप पावन समझते हो लेकिन जो गंदगी को साफ़ करने वाला है उसको आप पतित समझते हो, इस तरह से गांधी जी ने समाज की दृष्टि में तबदीली की। अब जहां तक उनके द्वारा यह काम किये जाने या न किये जाने का ताल्लुक है, वह न हो तो अच्छा ही है लेकिन वगैर यह काम हुए तो चलेगा भी नहीं।

मोटरों के इस देश में बाहर से मंगाये जाने के सम्बन्ध में जो यहां पर कहा गया, उसके बारे में मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि अब बाहर के देशों से मोटरों का मंगाना काफ़ी हद तक बंद हो गया है और अब हमारे देश के भीतर ही मोटर निर्माण का कार्य चल रहा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी ने ट्राइब्युनल (न्यायाधिकरण) के सम्बन्ध में जो देर लगने के बारे में फरमाया और देर लगने की बाबत कुछ दूसरे साहबान ने भी फरमाया है तो मैं उन साहबान को बतलाना चाहता हूं कि जहां तक धनबाद में केन्द्रीय मज़दूर ट्राइब्यूनल (न्यायाधिकरण) का सम्बन्ध है, वहां पर एव्रेज डिस्पोज़ल (औसतन निपटारा) पांच महीने में हो जाया करता है जब कि लखनऊ में तीन ही महीने में डिस्पोज़ल हुआ है और इतनी जल्दी वहां पर डिस्पोज़ल इसलिये सम्भव हो सका है क्योंकि वहां पर ट्राइब्यूनल ने थोड़े ही दिन पहले अपना काम शुरू किया है और चूंकि उनके पास पेंडिंग केसेज़ (निलम्बित मामले) नहीं थे इसलिये तीन महीने के अन्दर डिस्पोज़ल हो सका है । जहां तक केन्द्रीय श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, कंसिलियेशन आफिसर्स, लेबर इंस्पैक्टर्स एंड रीजनल लेबर कमिश्नर्स (समझौते पदाधिकारियों, श्रम निरीक्षकों तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्तों) को हम खुद हिदायत दे रहे हैं कि जहां तक हो सके मामले जल्दी फ़ैसले किये जायं और केसेज़ के डिस्पोज़ल पर कम से कम वक्त लिया जाय । मैं मानता हूं कि बड़े-बड़े केसेज़ में देर होती है लेकिन इसके लिये यह कह देना कि यह तरीक़ा ग़लत है और इसीलिये यह देर होती है, यह बहुत सही नहीं होगा क्योंकि लेबर यूनियंस (श्रम संघों) की मार्फत काम करने से भी काफी हमारा वक्त उसमें लग जाता है और वक्त देना भी पड़ता है । अब तो इसके लिये नया तरीक़ा आ रहा है और उसके बारे में एक बिल भी सभा में पेश हो चुका है ।

श्री आर० आर० शास्त्री : इस सेशन में क्या उस बिल पर विचार होगा ?

श्री आबिद अली : यह तो माननीय सदस्य के हाथ में है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम तो चाहते हैं कि यह बिल आज ही पास हो जाय लेकिन यहां जो कुछ मामला है वह आप जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इसमें क्यों देर लग रही है ? हर एक सवाल पर जो कि यहां पेश किया जाता है उस पर विचार करने के लिये कुछ घंटों का समय निश्चित् किया जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह माननीय सदस्य के हाथ में है कि जब यह बिल यहां पर विचार के लिये पेश हो तो इस पर कम समय लें ताकि यह जल्दी पास हो जाय और यह बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी (कार्य मंत्रालय समिति) के हाथ में है कि इस बिल को हाउस में जल्दी पेश करवाये ताकि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय । मैं समझता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से बहुत सी बातें जिनका कि जिक्र किया गया है, देर वगैरह की, वह खुद बखुद टल जाती हैं ।

एक माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया था कि एक हजार रुपया या कुछ थोड़ा-सा दंड ऐवार्ड के ठीक तरह से अमल न करने के लिये हो जाता है । मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद उस बिल की दफा १० की तरफ गौर नहीं किया है जो कि बिल यहां पर पेश किया जा चुका है और जिसमें कि ६ महीने तक की सज़ा की व्यवस्था रखी गई है कि अगर मैनेजमेंट कोई ऐवार्ड (पंचाट) वगैरह पर ठीक से अमल न करे तो उसको ६ महीने की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं, जैसा भी कोर्ट फैसला करे । इन हालात में मुझे उम्मीद है कि अब कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती है ।

जहां तक डी० वी० सी० में रिट्रैंचमेंट (छंटनी) का ताल्लुक है, उसके मुताल्लिक एक सदस्य ने फरमाया कि इसके बारे में खाता खुलना चाहिये था जिसके कि मार्फ़त यह काम हो । मैं बतलाना चाहता हूं कि हमने यह काम शुरू कर दिया है और एक बहुत सीनियर अफ़सर (वरिष्ठ पदाधिकारी) मुक़र्रर कर दिया मया है जो कि देखता रहेगा कि कहां-कहां नया काम शुरू होने वाला है और कहां-कहां

[श्री आबिद अली]

के लोग बेकार होने वाले हैं और जहां नया काम शुरू होने वाला है, वहां के लिये उस जगह से, जहां कि काम खत्म हो रहा है, जो काम करने वाले उधर जाना चाहते हैं पहले उनको लिया जायगा, अलबत्ता अगर वह उस नये काम पर नहीं जाना चाहते तो मजबूरी है और जो काम नया हो रहा है उसमें योग्य आदमी पुराने काम करने वालों में नहीं मिल सकते हैं तो नये आदमी रखे जायेंगे और मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था से काफी माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

एम्पलाईज़ स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के बारे में मज़दूरों को कुछ नहीं देना चाहिये, यह जो सूचना आप देते हैं. यह बिलकुल अनुचित है और यह कहना कि इस स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के आने से पहले मज़दूरों को मुफ्त दवा मिलती थी, यह भी बात बहुत सच नहीं है। यह मैं मानता हूं कि थोड़ी जगहों पर किसी-किसी इक्के-दुक्के कारखानों में रोज़मर्रा की मामूली दवाइयों को देने की सहूलियत रही हो, इस तरह की सहूलियत शायद बहुत से कारखानों में रही होगी लेकिन जहां तक कि अस्पताल का ताल्लुक (सम्बन्ध) है, यानी जहां तक कि अस्पताल में रोगी को रखने व इलाज करने का ताल्लुक है, इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी। एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के बनने के बाद से मंहगी से मंहगी दवा जो किसी करोड़पति को मयस्सर (उपलब्ध) हो सकती है, वह सब कीमती से कीमती दवाएं मज़दूरों को हस्ब ज़रूरत दी जाती हैं और इसके अलावा मज़दूरों को इस स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की मार्फत कैश बैनिफिट (नकद लाभ) भी मिलता है। ख्याल यह है कि थोड़ा-सा चंदा जो इसके लिये उनसे लिया जाता है उसके मुक़ाबले में जो उनको फ़ायदा हासिल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। मैं समझता हूं कि वे माननीय सदस्य खुद भी इस चीज़ को मानते होंगे क्योंकि कारपोरेशन से उनका सम्बन्ध है, लेकिन इस पर भी मालूम नहीं उन्होंने इसकी बाबत ऐसा क्यों कहा और मुझे तो उनकी बात को सुनकर ज़रा ताज्जुब हुआ.....

श्री आर० आर० शास्त्री : क्या यह मेडिकल बैनिफिट फैसिलिटीज़ (चिकित्सा की सुविधायें) उनकी फैमिलीज़ (परिवारों) पर भी लागू करने का विचार किया जा रहा है?

श्री आबिद अली : जी हां, वह भी होगा और यह सहूलियत मेडिकल की उनकी फैमिलीज़ को भी दी जायगी।

मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि कई जगह से इस बात की मांग आती है कि एम्प्लाईज़ स्टेट कारपोरेशन का काम वहां पर जारी किया जाय और कुछ समझ में नहीं आता कि उसी ग्रुप के लोग जिस ग्रुप (वर्ग) के कि माननीय सदस्य हैं, उस ग्रुप के लोग उस बात की मांग करते हैं कि जहां इसको जारी नहीं किया गया है वहां भी इसको जारी किया जाय और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पर यह रायज़ (लागू) है वहां के लिये कहते हैं कि मज़दूरों को यह पसन्द नहीं है, यह दोनों बातें कैसे साथ-साथ चल सकती हैं? जहां इस तरह की कारपोरेशन नहीं है, वहां के लिये नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं कि वहां पर क्यों नहीं आई और जहां रायज़ है वहां के लिये कहते हैं कि यह चीज़ नामुनासिब है, यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं.....

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : जहां पर यह स्कीम (योजना) लागू है, वहां से आपके पास इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्टें आती हैं?

श्री आबिद अली : यह स्कीम जहां पर लागू है वहां से मज़दूर इस सहूलियत से बहुत खुश हैं और जो दवाएं उनको मिलती हैं और जो डाक्टरी सहायता उनको मिलती है उससे बहुत खुश हैं और उन जगहों पर जहां कि अभी यह स्कीम चालू नहीं हुई है वहां के मज़दूरों को चूंकि यह मालूम हो गया है कि यह स्कीम और जगह चालू है और कितनी फायदेमंद है इसलिये उनकी तरफ से मांग आती है कि इस स्कीम को उनके यहां भी लागू किया जाय। लेकिन मैं इससे भी इन्कार नहीं करता कि कभी-कभी एक-आध आवाज़ इस स्कीम के विरोध में भी उठ जाती है।

जूट (पटसन) मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की बेकारी के बारे में भी यहां पर जिक्र किया गया। जहां तक इस सम्बन्ध में आंकड़ों का ताल्लुक है, उसके अनुसार सन् १९५३ में २ लाख, ४८ हज़ार मज़दूर काम करते थे, सन् ५४ में २ लाख, ४७ हज़ार और सन् ५५ में भी २ लाख, ४७ हज़ार मज़दूर काम करते थे तो इन दो वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए सन् ५३, ५४ में एक हज़ार का फर्क़ है और ५४, ५५ में वही २ लाख, ४७ हज़ार मज़दूर काम कर रहे हैं.....

श्री रामानन्द दास (बैरकपुर) : १९५१, ५२ में कितने आदमी थे और कितने आदमी उस समय निकाले गये ?

श्री आबिद अली : उस वक्त ज़रूर कमी की गई लेकिन मैं तो पिछले साल की बाबत कह रहा था.....

श्री रामानन्द दास : सन् १९५२ में उपमंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि १५ हज़ार आदमी निकाले गये।

श्री आबिद अली : ख़ैर जो हो, ये बातें तो ५१, ५२ में हुई थीं और अब तो हम सन् १९५६ में हैं। मैं सन् १९५३, ५४ और ५५ की बाबत कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरे प्वाइंट (बातों) को लेता हूं। जहां तक माइंस में ऐक्सीडेंट्स (खानों में दुर्घटनाओं) का सवाल है, उसके बारे में हमने यह तो फैसला कर ही दिया है कि इस काम के लिये ३६ और इंस्पैक्टर्स रखने हैं ताकि जल्दी से जल्दी जांच हो सके लेकिन जहां तक कि कुछ मेम्बर साहबान ने यह ज़िक्र किया है कि माइंस में ऐक्सीडेंट्स बढ़ते जाते हैं, यह बात सही नहीं है। मैं आप को आंकड़े दूं। सन् १९५१ में ·७७ थे। एक हजार मज़दूर काम करते हैं, उन के आधार पर यह लिया गया है, एक हजार पर ·७७ डेथ्स (मौतें) हुईं। १९५२ में ·८१ हुईं। इस का कारण यह था कि उस ज़माने में जो माइन्स उसके पहले स्टेट्स (राज्यों) में थीं वह इस में शामिल नहीं थीं, जैसे मैसूर, हैदराबाद वगैरह। उन्हीं के शामिल होने की वजह से यह नम्बर बढ़ गया लेकिन १९५३ में वह ·६५ रह गया और १९५४ में न्यूटन चिकली की वजह से ·७२ हो गया। १९५५ में ·६६ डेथ्स हुईं। लेकिन १९५५, ५६ में अमलाबाद का नम्बर शामिल किया गया है। अगर इन की तुलना में हम परदेशों के आंकड़े देखें जो कि हम से ज्यादा आगे बढ़े हुए समझे जाते हैं तो मालूम पड़ेगा कि आस्ट्रिया में ·६९ थीं, न्यूजीलैंड में ·७५, इटली में ·९१, फ्रांस में ·९५, जापान में १·४७, साउथ अफ्रीका में १·४६, कैनेडा में २·४० थीं, लेकिन इन के मुकाबले में हिन्दुस्तान में हजार पर सिर्फ ·६५ हैं। इस से सन्तोष होना चाहिये कि आप की माइन्स डिपार्टमेंट (विभाग) का काम बहुत सन्तोषजनक है।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : इंग्लैंड और अमरीका में क्या फिगर्स (संख्यायें) हैं ?

श्री आबिद अली : यू० के० में हिन्दुस्तान क बराबर ही हैं यानी ·६५ और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका (संयुक्त राज्य अमरीका) में १·४६। लेकिन मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस से भी हमें पूरा सन्तोष नहीं है। हमारी माइन्स में ऐक्सिडेंन्टस (दुर्घटनायें) बन्द हो जाने चाहियें, यह सब लोग चाहते हैं, लेकिन यह बन्द नहीं हो सकते, जब तक माइन्स चलती हैं तब तक ऐक्सिडेंट्स ज़रूर होंगे। परन्तु हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि ऐक्सिडेंट्स कम से कम हों और उन की भयंकरता कम हो। कोशिश यही की जा सकती है।

एक साहब ने लेबर ऐपेलेट ट्राइब्यूनल (श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण) के बारे में ज़िक्र किया था, लेकिन वह जा ही रही हैं। शायद सुभद्रा बहन ने कहा है कि लोगों को लखनऊ वगैरह जाना पड़ता है। लेकिन मैंने इस बारे में काफी लिख दिया है और अब लेबर एपेलेट ट्राइब्यूनल खुद दिल्ली आया करेंगी, पंजाब जायेंगी और जाती हैं। बम्बई लेबर ऐपेलेट ट्राईब्यूनल सौराष्ट्र में भी हुआ करेगी और

[श्री आबिद अली]

मद्रास की लेबर ऐपेलेट ट्राइब्यूनल कोचीन ट्रिवेन्ड्रम और बैंगलोर गई थी। उनको यह कह दिया गया है कि जहां केसेज ज्यादा हों, कम से कम दस, बारह हों या अगर एक भी हो तो महत्वपूर्ण हो जिस में कुछ दिन लगें तो वहां जाया करे और वहां अपीलें सुना करें। मगर यह नहीं हो सकता है कि एक छोटी सी अपील हो जिस में दो, चार घंटों का ही काम हो, या एक-दो दिन का काम हो, तो भी वह सब जगह घूमा करे। यह सम्भव नहीं है। जहां पर पांच या सात अपीलें होंगी वहां वह जायेगी। दिल्ली में उस का आना मुश्किल था क्योंकि यहां रहने और कोर्ट के लिये मकान नहीं मिलता है। पंजाब में भी जगह नहीं मिलती, इसलिये वहां नहीं जा सकी। यह मजबूरी हो गई।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): पंजाब में तो बहुत जगह हैं।

श्री आबिद अली : जगह तो बहुत है और दिल भी बड़ा है, लेकिन उस का उपयोग नहीं हुआ तो मैं क्या करूं ? जनता से व्यवहार का जिक्र किया गया था। हमारे कंसिलिएशन आफिसर्स के दफ्तरों में और एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में इस बारे में काफी ध्यान दिया गया है और कर्मचारी और अफसरान सब बहुत प्रेमपूर्वक वहां पर व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी कोई शिकायत मुमकिन हो सकती है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि सब जाने वाले अच्छे हैं या सब जाने वाले खराब है या तमाम काम करने वाले ही अच्छे या खराब हैं। लेकिन कोशिश ही हमारी यह हो सकती है कि कभी कोई खास बात हो जाय जिस के बारे में कोई महत्व की शिकायत हो तो उस पर ध्यान दिया जाय। अगर कोई ऐसी शिकायत करता है जो कि शिकायत करने के काबिल है तो मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि हम खुद आतुर हैं कि इस तरह के मामले हमारे सामने आयें और हम चाहते हैं कि वह मामले जल्दी-जल्दी तय हो जाया करें और एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्जेज में अच्छी तरह से काम हो, हर दफ्तर में हो, लेकिन अगर कभी कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाय तो वह हमें बताई जाय ताकि उस के बारे में हम मुनासिब कार्यवाही कर के इस बात की कोशिश कर सकें कि जो भी इस किस्म की शिकायतें हों, उन का मौक़ा आइन्दा न मिले।

मैंने काफी बातें ले ली हैं। और जो महत्व की चीजें हैं उनको मैंने अपने सीनियर कुलीग के लिये छोड़ दिया है और वह उन को लेंगे।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : (एलुरु) आलोच्य वर्ष में जो प्रगति की गई है उसके लिये मैं मंत्री तथा उपमंत्री को बधाई देता हूं। स्वतन्त्रता के बाद के दिनों में श्रम मंत्रालय जो धीमी प्रगति करता रहा है उससे मैं निराश हो गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, केन्द्रीय सरकार मजदूरों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। हम बहुत कुछ विधान बना सकते थे परन्तु नहीं बना सके हैं।

श्रम मंत्रालय ने प्रथम योजना के प्रारम्भ में अपने समक्ष तीन उद्देश्य रखे थे—श्रम सम्बन्धी विधियों का प्रभावी प्रशासन, श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी में वृद्धि और औद्योगिक श्रमिक गृह व्यवस्था कार्यक्रम।

प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रभावी कार्यवाहियां नहीं की गई हैं। मालिक और मजदूर एक दूसरे के निकट नहीं आये हैं। हड़तालों की संख्या, जन दिनों की हानि और अभी तक लम्बित विवादों की संख्या से यही संकेत मिलता है कि श्रम सम्बन्धी विधियां पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रथम योजना में लागू नहीं की गई थीं।

श्रमिक वर्ग की मजूरी में वृद्धि की दिशा में भी कुछ नहीं किया गया है। उत्पादन बढ़ा है, दौलत बढ़ी है परन्तु मजूरी वहीं की वहीं है। यह दोष श्रम मंत्रालय का है कि उसने मजदूरों की मजूरी में वृद्धि के लिये कुछ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी बात औद्योगिक श्रमिक गृह व्यवस्था कार्यक्रम के सम्बन्ध में है । जब भी यह विषय लोक-सभा के सामने आया है श्रम मंत्री ने यही कहा है कि वह तो रुपया देने के लिये तैयार हैं, ब्याज की दर भी कम कर दी गई है परन्तु मालिक ही रुपया नहीं ले रहे हैं । कोई भी मालिक मजदूरों के लिये अपनी खुशी से मकान नहीं बनवायेगा, वह केवल शोषण करने का प्रयत्न करेगा । सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि मालिकों द्वारा बहानाबाजी से काम न लिया जाये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें और अधिक शक्ति से इस दिशा में कार्य करना चाहिये ।

अब मैं कुछ शब्द काम दिलाऊ दफ्तरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार को उन्हें राज्य सरकारों के हवाले नहीं करना चाहिये । राज्य सरकारें इन का प्रबन्ध भली प्रकार नहीं कर सकती हैं । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने बड़ी लापरवाही दिखाई है । यदि आज केन्द्रीय सरकार ६० प्रतिशत खर्च उठाने को तैयार है तो दो या तीन वर्ष बाद राज्य सरकारें श्रम मंत्रालय से ९० प्रतिशत तक खर्च मांगने लगेंगी । बल्कि वे यह कहेंगी कि खर्च तो तुम करो और काम हम चलायेंगे ।

हाल ही में हैदराबाद में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कहा गया था कि रोजगार सम्बन्धी नीति अवश्य ही एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये । यदि यह एक राष्ट्रीय नीति है तो फिर इस नीति को सफल बनाने के लिये राज्यों को एक प्रबल भाग क्यों दिया जा रहा है ।

एक बात और भी है । यदि काम दिलाऊ दफ्तर राज्यों में मंत्रियों के हाथों में चले गये तो भाई-भतीजावाद, और जातीयवाद को प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये केन्द्रीय सरकार को इन दफ्तरों को राज्य सरकारों के हवाले बिल्कुल नहीं करना चाहिये ।

आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन रोजगार सम्बन्धी और अधिक सुविधायें देना चाहते हैं । इसी योजना में सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जब ये सभी नई बातें पैदा हो रही हैं तो काम दिलाऊ दफ्तरों के सम्बन्ध में नीति में भी फेर बदल होनी चाहिये ।

पिछले वर्ष काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जाति के ५९,६३७ व्यक्तियों ने अपना नाम लिखवाया था, परन्तु उन में से केवल आधे व्यक्तियों को काम दिलाया गया है । इस वर्ष संख्या इस से भी कम है । यही बात अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होती है ।

अब मैं प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं आते । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह विद्यार्थियों की कमी के कारण की जांच करें ।

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि कितने विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उन में से कितने लोगों को नियुक्त किया गया । अगले वर्ष से प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया जाना चाहिये ।

एक बात यह है कि श्रम मंत्रालय मोटर परिवहन श्रमिकों के सम्बन्ध में चिन्तित है परन्तु मलवाहन मजूरों और चमड़ा कमाने वाले मजूरों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । श्रम मंत्रालय इन व्यक्तियों की कार्यवहन स्थितियों को क्यों नहीं देखता ? मद्रास में और सब लोगों के लिये तो कई पुस्तकालय हैं, प्रसूति केन्द्र हैं, परन्तु इन लोगों के लिये कुछ भी नहीं है । इनके लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था नहीं है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर श्रम मंत्रालय को अधिक ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । भारत में इनकी संख्या ६ करोड़ है । परन्तु श्रम मंत्रालय सदैव यही कहता है कि हम सर्वेक्षण कर रहे

[श्री बी० एस० मूर्त्ति]

हैं, हम कुछ अग्रिम कार्यक्रम चला रहे हैं । परन्तु इन मजदूरों को पूरा रोजगार देने के लिये क्या कार्यक्रम है ? हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि देश का कोई भी खेतिहर मजदूर बिना काम और बिना भोजन के न रहे । ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों और लाखों लोग भूख से पीड़ित हैं और समाचार पत्रों में उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या की ओर सब से पहले ध्यान दें और यदि उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता तो वह बंजर भूमि जो कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पास मौजूद है, उनमें बांट दी जाये । उन्हें काम मिलना चाहिये ताकि इससे उत्पादन में भी वृद्धि हो सके ।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर): मैं माननीय उपमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में उस बात के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो उन्होंने सभा में कही थी कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम पर इस सत्र के समाप्त होने से पहले विचार कर लेना चाहिये । सात-आठ वर्ष पूर्व श्रम मंत्रालय ने सेवा नियोग को और मजदूरों के सम्बन्धों को विनियमित करने के लिये एक विशद अधिनियम बनाने का विचार किया था जिससे कि श्रमिकों को संरक्षण मिल सके । परन्तु उसकी प्रगति ठीक प्रकार से नहीं हो सकी और एक चर्चा इस सम्बन्ध में की गई थी जिसमें मैंने भी भाग लिया था और सरकार से इस बात पर जोर दिया था कि इस विशद विधान का विचार छोड़कर भारत के मजदूरों की दशा सुधारने सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों को पहले किया जाना चाहिये ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ कमियां हैं । सब से बड़ी तो यह कि उसमें मजदूर केवल शारीरिक और क्लर्की करने वाले को माना गया है । जबकि वास्तव में देखा जाये तो बहुत से अन्य लोग जो छोटे कारखाने में मिस्त्री आदि हैं, वे भी इस परिभाषा में नहीं आते । इसका तात्पर्य यह हुआ कि कठिनाई से डेढ़ रुपया रोज कमाने वाले मजदूर भी इस श्रेणी में नहीं आ पाते । आश्चर्य की बात तो यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों में हमने पढ़े-लिखे और बौद्धिक कार्य करने वालों को भी सम्मिलित कर लिया है । इसका नतीजा यह है कि कारखानों में काम करने वाले फोरमैन आदि का जीवन मैनेजरों की कृपा पर आश्रित है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कारखानों के मालिक कर्मचारियों से परामर्श लिये बिना उद्योगों में एक पक्षीय परिवर्तन कर लेते हैं । इसका उत्तर यह दिया जाता है कि प्रबन्ध की दृष्टि से ऐसा किया जाता है और ऐसा करना मालिक के क्षेत्राधिकार या अधिकार की चीज है ।

हाल ही में मद्रास में मजदूरों के पारिश्रमिक के तरीके में भी मालिक ने मनमाना फैसला कर लिया । कर्मचारियों ने इसका विरोध किया किन्तु यह कहा गया कि ऐसा करने का मालिक को अधिकार है । जिसका परिणाम यह हुआ कि हड़ताल हुई । हड़ताल का परिणाम कुछ भी रहा हो किन्तु देखना यह चाहिये कि इससे मजदूरों को भुखमरी और बेकारी का सामना करना पड़ता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसके लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व संशोधन किया जाना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ न्यायाधिकरण इस प्रकार के उपबन्ध के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे उसके बाद ही निर्णय देना चाहते हैं । यदि संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कुछ लोगों को लाभ होगा और इसके न पारित होने पर बहुत से उन लोगों को मजूरी निर्धारण, महंगाई-भत्ता और सुविधायें आदि नहीं मिलेंगी जिन्होंने इनके लिये अपना मामला न्यायाधिकरण के सामने रखा है । इस प्रकार कुछ और नई समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी । कुछ और आगे कहने से पूर्व मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा

†मूल अंग्रेजी में ,

कि वे अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि यह अधिनियम यथाशीघ्र पारित किया जा सके। इस बारे में मालिक और मजदूरों के प्रतिनिधि सहमत हैं। अतः लगभग स्वीकृत सिद्धान्त को केवल अन्तिम रूप देना है। यदि ऐसा न किया गया तो मजदूरों को बड़ी निराशा होगी।

एक और बात जिसे बार-बार कहने की मेरी आदत है वह यह कि दुर्घटनाओं में जैसे भी हो, कमी की जानी चाहिये। रेलवे वर्कशापों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका कारण निरीक्षण की कमी कहा जाना चाहिये। रेलवे और श्रम विभाग अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि दुर्घटनाओं की संख्या १९५३ में १९४७ की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है। यह सच है कि कर्मचारियों के बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाओं में भी अनुपाततः वृद्धि होनी चाहिये किन्तु इसके यह माने नहीं कि दुर्घटनायें बढ़ती ही चली जानी चाहियें। सरकार को अधिक सतर्क रहना चाहिये और अधिक देखरेख रखनी चाहिये।

अब मैं बागानों के मजदूरों का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे हृदय में उन बागान मजदूरों के प्रति बड़ी सहानुभूति है क्योंकि मैंने बागानों में श्रम आन्दोलन चलाया था। कुछ समय पूर्व वहां के मजदूरों की बड़ी शोचनीय दशा थी क्योंकि बागानों के मालिक इन्हें अपनी वैयक्तिक सम्पति समझते थे। मुझे स्वयं एक बार का अनुभव है कि एक बाग से मुझे उसके मालिक ने, जब मैं मजदूर संघ के सिलसिले में मजदूरों से मिलने गया था, जबर्दस्ती अपने कुत्तों की सहायता से वहां से खदेड़ दिया था।

आज बागान श्रम अधिनियम के पारित हो जाने से काफी स्थिति सुधर गई है किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभी इस ओर बहुत कार्य करना शेष है। आज इनके मालिक यह समझते हैं कि यदि बागान श्रम अधिनियम को तत्काल लागू कर दिया तो उनका मुनाफा कम हो जायेगा। किन्तु कुछ भी हो अन्ततोगत्वा यह अधिनियम लागू तो करना ही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कहां तक सत्यता है कि यदि सरकार बागान श्रम अधिनियम के सभी नियमों को लागू करती है तो उनके मालिक उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। दक्षिण भारत में इस ओर काफी प्रगति हुई है क्योंकि वहाँ के श्रमिक इस ओर सजग और सतर्क हैं। अतः मुझे आशा है कि सरकार इन नियमों को कार्यान्वित करने की भरसक चेष्टा करेगी।

गोदियों के श्रमिकों के बारे में मुझे यह कहना है कि उनकी दशा भी बड़ी शोचनीय है। गोदियों के श्रमिकों को इतनी कम मजूरी मिलती है कि बेचारों को अपनी जीविका चलाना कठिन हो जाता है। उन्हें कम से कम १५ दिन की मजूरी मिलने की गारंटी होनी चाहिये। गोदी श्रम जांच समिति ने तो १२ दिनों से बढ़ाकर २१ दिनों के लिये मजूरी की गारंटी की सिफारिश की है किन्तु फिर भी १५ दिनों की मजूरी तो मिलनी ही चाहिये। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले की तत्काल जांच करे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कुछ समय पहले श्री आबिद अली ने कहा था कि उनके मंत्रालय की बहुत कम आलोचना की गई है। मैं अब एक बात पर उनके मंत्रालय की तीव्र आलोचना करना चाहती हूं। समय कम होने के कारण मैं केवल एक ही मूल बात कहना चाहूंगी जिस से मजदूरों को मंत्रालय द्वारा हानि पहुंची है। यह मूल बात है मजदूर संघ की एकता। यह एक ऐसी मूल आवश्यकता है जिस की सर्वव्यापी मांग है अर्थात् देश के कोने-कोने का मजदूर संघ की स्थापना करना चाहता है। सामान्यतः कहा यह जाता है कि योजना के लक्ष्य की प्राप्ति और आर्थिक प्रगति मजदूर के ऊपर निर्भर करती है। मेरे विचार से मजदूर का महत्व न केवल उत्पादन में वृद्धि करने और लक्ष्यों के प्राप्त करने की ही दृष्टि से ही है अपितु सम्पत्ति पर एकाधिकार रोकना भी उसका कार्य है। मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

यदि हम इसे मान लेते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़गा कि मजदूरों को अपने मजदूर संघ का विकास करने और मन चाहे मजदूर संघ में सम्मिलित होने का पूरा अधिकार भी प्राप्त होना चाहिये क्योंकि उसके बिना वह पूंजी के कठिन शिकंजे से नहीं लड़ सकेगा। सब से अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस दल ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस का संगठन किया है, और उसके मंत्री मजदूरों को धमकाते हैं कि वे अन्य संघों में विशेषकर साम्यवादी संघों में सम्मिलित न हों। अभी हाल ही में श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर और भद्रावती आइरन एण्ड स्टील वर्क्स के मजदूरों की मांगें केवल इस कारण न्याय-निर्णयन के पास भेजने से इन्कार कर दिया था कि उनका कम्युनिस्टों का संघ था। इतना ही नहीं कुछ संयुक्त मजदूर संघ ऐसे हैं जो किसी भी राष्ट्रीय संघ से न तो सम्बद्ध ही हैं और न उनकी मान्यता ही उन्हें प्राप्त है वरन् वास्तव में देखा जाये तो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस तो संघ को तोड़ने का काम करता है जिसका प्रमाण उसकी बम्बई शाखा द्वारा लिखे गये एक पत्र से मिलता है। इस पत्र में कहा गया है कि बीमा कर्मचारियों की सहायता के लिये वह इसकी शाखायें खोलना चाहते हैं और बम्बई में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाना चाहते हैं।

इसी प्रकार का एक और पत्र श्री आबिद अली साहब को बीमा कर्मचारियों से सम्बद्ध व्यक्ति ने लिखा था जिसमें कहा गया है कि पिछले अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी सम्मेलन में वह दिल्ली बीमा संघ के श्री राय से मिला था। उन्होंने यह भी लिखा कि कम्युनिस्टों की तुलना में उनके लोगों की संख्या केवल ३५ से ४० प्रतिशत थी। बिहार विधान-सभा की एक कांग्रेस महिला सदस्या राज्य बीमा कर्मचारी संस्था की अध्यक्ष हैं, वह अनुपस्थित होने पर भी उप-सभापति चुनी गईं थीं। उन्हें सारी स्थिति बता देने के लिये भी प्रार्थना की गई थी ताकि अगले सम्मेलन में बहुमत प्राप्त किया जा सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह पत्र श्री आबिद अली को लिखा गया है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जी, हां। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकती हूं।

मैं यह चाहती थी सारे मजदूर संघों को मान्यता दी जानी चाहिये। मजदूरों को मनचाहे मजदूर संघ में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है अतएव सारे संघों को मान्यता देनी चाहिये। श्री वेंकटरामन् ने कहा था कि संयुक्त संगठन होना आवश्यक है और एक उद्योग का एक ही संघ होना चाहिये। यह चीज ठीक है किन्तु ऐसा होता कहां है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ तो इन संघों को तोड़ना चाहता है।

एकता दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। मजदूर गूढ़ शलाका द्वारा तय कर सकते हैं कि वे कौन-सा संघ चाहते हैं। सरकार का यह काम नहीं कि वह उन्हें बताये कि वे किस संघ में शामिल हों। सब मजदूर मिल कर एक कार्यकारिणी समिति का चुनाव कर सकते हैं। एक संघ बनाने का यही तरीका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस नहीं चाहते, हम उनके साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते।

प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मंत्रालय एक विशेष संघ को प्रोत्साहन दे रहा है। एक ओर ताता करार है जहां केवल एक संघ विशेष के मजदूर ही काम कर सकते हैं। दूसरी ओर बम्बई औद्योगिक अधिनियम है जो ५० प्रतिशत मजदूरों को सारे मजदूरों की ओर से वार्ता करने का अधिकार देता है। इससे मजदूरों का अपने संघ चुनने का अधिकार चला जाता है। मजदूरों पर सरकार द्वारा नियंत्रित संघ लाद दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्नपुर में लगभग १५ हजार मजदूरों ने संयुक्त लोहा और कर्मचारी संघ स्थापित किया है जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के विरुद्ध है। सेवा नियोजक इसे मान्यता नहीं देते। लगभग ८८ मामलों में लोगों पर दबाव डाला गया है। उनके नेताओं को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कर लिया गया है यद्यपि पिछले तीन महीनों में वहां कोई भी दंगे नहीं हुये हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मजदूरों की अन्धाधुन्ध मांगें पेश कीं तथा कुछ वामपक्षीय संघ उनकी सहायता कर रहे हैं। कल सरकार ने अपनी गलती समझ कर उन्हें छोड़ दिया।

सब जगह विभेदात्मक नीति अपनाई जाती है। केवल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजा जाता है। केवल उसे ही संयुक्त मंत्रणादाता बोर्ड में रखा जाता है। मद्रास पत्तन न्यास में भी यही दशा है। यद्यपि वहां पर अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के अधिक मजदूर हैं।

†**श्री वेंकटरामन्** : माननीय सदस्या ठीक नहीं कह रही हैं।

†**श्री नम्बियार** : एक में ९९ प्रतिशत सदस्य हैं, दूसरे में केवल १ प्रतिशत।

†**श्री वेंकटरामन्** : दूसरे पक्ष वाले भी यही कहते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इन बातों को सभा में तय मत करिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमें कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये जिससे पता लग सके कि कौन-सा संघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह बात संघों की सदस्य संख्या, उगाही गई राशि अथवा गूढ़ शलाका द्वारा तय की जाये। इसका तय करना बहुत आवश्यक है। कानपुर और ऐम्प्रेस मिल, नागपुर में जो घटनायें घटीं वे इसके अभाव में ही हुईं।

यदि आप चाहते हैं कि देश में औद्योगिक शांति स्थापित हो तो संघों को मान्यता देना आवश्यक है।

३५ प्रतिशत विवाद वेतन के बारे में होते हैं। इनमें से लगभग ७५ प्रतिशत बोनस के बारे में होते हैं। मंत्री जी को बोनस के बारे में कुछ संविहित उपबन्ध करना चाहिये। चाय के मामले में करार किये गये हैं जिन में बोनस के प्रश्न को माना गया है। कलकत्ता बिजली सम्भरण निगम करोड़ों रुपया कमा रहा है पर उसने अपने मजदूरों को बोनस देना अस्वीकार कर दिया है। एक मामले में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अपील की अनुमति दे दी है। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। बोनस के प्रश्न को अस्थगित वेतन समझना चाहिये। जितना बड़ा औद्योगिक सार्थ होता है, उतना ही लाभ वह कमाता है और उतना ही अधिक बोनस देने से झिझकता है। बर्नपुर में पिछले तीन वर्षों से वहां के लोहा और इस्पात कारखाने में बहुत लाभ हुआ है परन्तु १९४७ के पंचाट के अनुसार उन्हें एक प्रतिशत लाभांश के पीछे केवल दो दिन का वेतन बोनस के रूप में दिया गया है। लाभांश की गणना पूंजी और प्रस्तावित विस्तार से की गई है। पिछले आठ वर्षों से दस प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित नहीं किया गया है। यह कारखाना केवल बीस दिन का वेतन बोनस के रूप में दे रहा है। अधिक उत्पादन के कारण इस वर्ष दस दिन का वेतन और दिया गया है। अतिरिक्त धन इकट्ठा करने और धन के वितरण की विषमता घटाने के लिये यह आवश्यक है कि बोनस के प्रश्न के लिये संविहित उपबन्ध किया जाना चाहिये।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करुंगी कि वे मेरे द्वारा उठाई गई दो बातों का उत्तर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मैं कह सकता हूं कि पहले तो, मैं २६ जनवरी को बंगलौर में नहीं था, बल्कि मदुरा में था, और दूसरे, जो वक्तव्य मुझ पर आरोपित किया गया है, वह मेरा नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : जब वह बंगलौर में थे तो क्या उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था चाहे वह इस तिथि को दिया गया हो या किसी और तिथि को ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह दोनों से इन्कार करते हैं।

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : इस सभा में जो वाद-विवाद हुआ है उसे मैंने बड़े ध्यान के साथ सुना है। जहां सराहना की गई है वहां कुछ आलोचना भी हुई है। और अन्तिम आलोचना बहुत कठोर थी। सराहना श्रम मंत्रालय के द्वारा किये गये कार्य के कारण नहीं, अपितु मालिकों, मजदूरों, राज्य सरकारों और मंत्रालयों द्वारा किये गये कार्यों के कारण की गई है। इसलिये हम इनसे अनावश्यक रूप में प्रसन्न नहीं होते।

जैसा मेरे सहयोगी ने कहा, हम श्रमजीवी वर्गों को स्तर तक आने के लिये सहायता देने का भरसक प्रयत्न करते हैं, और जिस मात्रा तक हम यह करने में समर्थ हैं, हम अनुभव करते हैं कि अभी और बहुत कुछ करना शेष है।

माननीय महिला सदस्य ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि कुछ मजदूर संघों के प्रति भेदभाव किया जाता है, और इसमें उन्होंने राजनैतिक हेतु का आरोप किया है। माना, प्रजातंत्र राज्य में, यद्यपि मजदूर संघ राजनीति से पृथक् रहने चाहियें, परन्तु किसी न किसी समय उनमें कुछ राजनीतिक तत्व आ जाता है। किन्तु जो दल मजदूर संघ आंदोलन में राजनीति को लाने के लिये मुख्यतः उत्तरदायी है, माननीय सदस्या का उसी दल से सम्बन्ध है।

हममें से जिन लोगों का मजदूर संघों से ३० वर्ष का सम्बन्ध है वे जानते हैं कि गत पचीस वर्षों से, उनमें एकता लाने के लिये कई बार प्रयत्न किये गये हैं। यह अच्छा हल है। परन्तु एकता केवल होशियारी या केवल चालाकी की एकता नहीं होनी चाहिये बल्कि श्रमजीवी वर्गों के अन्दर वास्तविक एकता होनी चाहिये। १९२८ में और फिर १९३३–३४ में भी, एकता लाने के लिये प्रयत्न किये गये थे और कुछ एकता स्थापित हो गई थी। किन्तु फिर यह टूट गई। मैं देश के लोगों से पूछूंगा कि वे फैसला करें कि किसने वह एकता भंग की। एकता लाने के लिये फिर प्रयत्न किये गये। वह एकता भी पुनः भंग कर दी गई, क्योंकि दुःख की बात है कि हमारे कुछ देशवासी अपनी नीति किसी दूसरे देश से लेते हैं। जो कुछ उनको किसी विशिष्ट समय पर ठीक लगता है, वह सब कार्रवाइयों में आता है और केवल एक नहीं। मैं आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि नवीनतम प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप, जो हम आज संसार में देख रहे हैं हमारे लोग और हमारे अपने देशवासी अन्यत्र होने वाली बातों से प्रभावित नहीं होंगे। और मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक मेरा सामर्थ्य है, मैं देश में मजदूर संघों में एकता लाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा।

जहां तक भेदभाव का प्रश्न है, पिछले १० वर्षों में कुछ मजदूर संघ स्थापित हुये हैं। चार केन्द्रीय संगठनों की सदस्य संख्या की पड़ताल करने के उपरांत प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की रीतियों और प्रक्रियाओं में यह कहा गया है कि सर्वाधिक प्रतिनिधि संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले सलाहकार सदस्य राज्यों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में भेजे जायेंगे। यह किया जा रहा है। यदि मैं देश के मजदूर संघों से सम्बन्धित कुछ आंकड़े सभा के सामने रखूं, तो इस से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न कार्मिक संघों की सदस्य संख्या की पड़ताल की गई थी। वह इस प्रकार थी, १९५५ में आई० एन० टी० यू० सी० ९,३१,९६८, हिन्द मजदूर सभा २,११,३१५, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ३,०६,९६३ और युनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस १,९५,२४२ । अर्थात् इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पड़ताल की गई सदस्य संख्या दूसरे तीनों संघों के सदस्यों की संख्या से भी अधिक है । ये आंकड़े केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्था ने श्रम मंत्रालय को दिये हैं । फिर उनकी सदस्य संख्या की पड़ताल की गई है । आई० एन० टी० यू० सी० का दावा था कि उसके सदस्य १३,३८,६०७ हैं किन्तु पड़ताल करने पर ९,३१,९६८ सदस्य निकले हैं । हिन्द मजदूर सभा का ४,७६,६३० सदस्यों का दावा था, परन्तु २,११,३१५ सदस्य पाये गये । तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ७,८९,०४५ सदस्यों का दावा था, परन्तु संस्थापित संख्या ३,०६,९६३ थी और युनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ५,१३६,६२३ सदस्यों का दावा किया था, जबकि पड़ताल करने पर १,९५,२४२ सदस्य निकलें ।

फिर प्रश्न पूछा जायगा कि क्या किया जा रहा है ? हमारे अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि जिन सदस्यों और कार्मिक संघों का दावा किया जाता है, उनका अस्तित्व नहीं है क्योंकि वे पंजीबद्ध नहीं हैं । कार्मिक संघ विधि के अनुसार उन्होंने रजिस्टरार के पास अपने वार्षिक लेखे नहीं भेजे हैं । यह पहली बात है । इस प्रकार, बहुत से कार्मिक संघों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने अपने कार्मिक संघ होने का दावा किया है और यह बात चारों संगठनों पर लागू होती है । जहां तक आई० एन० टी० यू० सी० का सम्बन्ध है, इसके दावाकृत सदस्यों में से एक तिहाई निकाल दिये गये हैं क्योंकि पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि प्रतिनिधित्व के लिये वास्तविक दावा १३ लाख नहीं, बल्कि ९ लाख था । यह स्थिति है ।

यह प्रश्न उठाया गया था कि झगड़ों को न्यायाधिकरण के पास भेजने के बारे में भेदभाव किया जाता है । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे सिद्ध होगा कि बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता । आई० एन० टी० यू० सी० ने श्रम मंत्रालय या विभिन्न राज्य मंत्रालयों को १८३५ प्रार्थना पत्र भेजे थे, जिनमें से १९५४–५५ में न्यायाधिकरण के पास ८४८, अर्थात् ४६ प्रतिशत प्रार्थनापत्र भेजे गये थे । ए० आई० टी० यू० सी० से १३७६ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और न्यायाधिकरण को ६६६, अर्थात् ४८ प्रतिशत भेजे गये—जो आई० एन० टी० यू० सी० के तत्संबादी आंकड़ों से अधिक हैं । हिन्द मजदूर सभा ने ९०३ प्रार्थनापत्र भेजे, जिनमें से ४७३ या ५२ प्रतिशत न्यायाधिकरण को भेजे गये । इससे पता चलता है कि ए० आई० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा के प्रार्थना पत्र आई० एन० टी० यू० सी० की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में न्यायाधिकरण को भेजे गये थे । ये प्रार्थना पत्र केन्द्रीय कार्मिक संघों द्वारा राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को और केन्द्रीय मंत्रालय को न्यायनिर्णयन के लिये भेजे जाने के लिये भेजे जाते हैं । मेरे पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं कि कितने झगड़े वाले मामले उनमें अन्तर्ग्रस्त थे । इसके लिये मुझे ये सब २,००० या ३,००० प्रार्थनापत्र सभा के सामने रखने होंगे । इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है ।

एकता के बारे में, मैं फिर से कहता हूं कि अन्ततोगत्वा कार्मिक संघों में एकता आयेगी । किन्तु मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह मानते हैं कि केवल एकता का नारा लगाने से काम बन जाता है । एकता श्रमजीवी वर्गों के लोगों में आयेगी । मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को कार्मिक संघ आन्दोलन के बारे में अपनी पुरानी मिथ्या धारणायें और चालाकियां छोड़ देनी चाहियें । यदि वे इन्हें छोड़ दें, तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि कार्मिक संघ एकता केवल एक नारा न रह कर वास्तविकता हो जायेगी ।

हमारी अगुआई इस बात पर निर्भर होगी कि दूसरे पक्ष के लोग इस अगुआई को किस भावना में लेते हैं । यदि वे अच्छी भावना लेकर आयेंगे तो मैं समझता हूं कि वे भी अच्छी भावना पायेंगे । मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि एकता के लिये चालाकी अवश्य ही असफल रहेगी ।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम) : केवल एक ओर से ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इतना मतभेद है कि इसका शीघ्र समझौता नहीं हो सकता ।

†**श्री खण्डूभाई देसाई** : अब मैं औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कुछ कहूंगा । इस वर्ष में औद्योगिक सम्बन्ध साधारणतः अच्छे रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से कार्मिक संघ धीरे-धीरे स्वयं नवीन भावना को अपना रहे हैं । यदि हम समाजवादी ढंग का समाज बनाना चाहते हैं, जिसका इस सारी सभा ने निश्चय कर रखा है, और यदि हम आयोजित ढंग से अर्थ व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, तो मेरे विचार से झगड़े या वर्गयुद्ध को मनोवृत्ति को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये । मैं उनमें से हूं जिनका यह विश्वास है और मेरी सरकार का भी यह विश्वास है कि औद्योगिक सम्पत्ति या कोई उत्पादक सम्पत्ति वास्तव में गैर-सरकारी उपक्रम की नहीं होती बल्कि राष्ट्र की सम्पत्ति होती है । इस दृष्टिकोण के साथ हमें विधान के बारे में अपनी सब कार्रवाइयों को देखना चाहिये कि विधि पारित करने या उसको कार्यान्वित करने से देश में यह मनोविज्ञान किस मात्रा तक स्थापित हो सकता है । इसलिये मैं नहीं समझता कि हड़ताल और झगड़े के पुराने तरीकों का आज कोई लाभ है । वे पुराने तरीके हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिये । यद्यपि पुरानी आदतें देर में जाती हैं, परन्तु हम अनुभव करते हैं कि धीरे-धीरे वे जा रही हैं । मालिकों और कर्मचारियों को यह सोचना होगा कि वे समाज के सह-सेवक हैं और दोनों के लिये आचरण के नियम बनाना संसद् का काम है । इसी दृष्टिकोण के साथ योजना आयोग प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । लेबर पेनल की दो या तीन बैठकों में इस पर विचार किया गया है और इसने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । सम्भवतः आगामी कुछ सप्ताहों में, वह प्रतिवेदन चर्चा के लिये संसद् के सामने आयेगी । इसके बारे में मैं योजना आयोग के अन्तिम निर्णय का पूर्व अनुमान नहीं करता ।

मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता है कि भारतीय श्रम सम्मेलन और विभिन्न औद्योगिक स्तरों पर हुये त्रिदलीय सम्मेलन में की गई चर्चाओं के परिणामस्वरूप, सम्बन्ध अच्छे हो गये हैं । दोनों दल एक दूसरे को समझने लगे हैं । इससे हमें बड़ी सहायता मिली है । मैं कह सकता हूं कि तीन या चार दिन पूर्व स्थायी श्रम समिति की एक बैठक हुई थी और हमने कुछ निश्चित रचनात्मक निश्चय किये हैं । त्रिदलीय समिति ने स्वीकार किया है कि परिवहन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली समूची केन्द्रीय विधि का काम केन्द्रीय स्तर पर किया जाना चाहिये । यह भी निर्णय किया गया है कि विभिन्न सामाजिक सुविधाओं सम्बन्धी विधान, जिसे समाज सुरक्षा विधान कहा जा सकता है, टुकड़ों में पुरःस्थापित किया गया है । अब समूचे समाज सुरक्षा विधान का समय आ गया है, जिसके द्वारा सब योजनाओं को, जो इस समय प्रचलित हैं, अर्थात् भविष्य निधि, छंटनी तथा बेकारी में प्रतिकर योजना, राज्य कर्मचारी बीमा, वेतन के साथ छुट्टियां, एक योजना में मिला दिया जायें, जिससे श्रमजीवी वर्गों को उन्हीं निधियों से अधिक सुविधायें प्रदान की जा सकें और यदि आवश्यकता पड़े, तो कुछ अधिक धन भी इस योजना के लिये दिया जाय । केवल एक सप्ताह पूर्व यह निर्णय किया गया था और मंत्रालय बहुत शीघ्र इस बात पर विचार करेगा ।

बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं । उनमें से एक यह है कि क्या, स्वतन्त्रता के पश्चात्, मजदूरों को उचित लाभ पहुंचाया गया है ? इससे श्रमजीवी वर्गों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है । मेरे पास वास्तविक मजदूरी सम्बन्धी कुछ आंकड़े हैं । मैं उन्हें सभा के सामने पेश कर रहा हूं । कहा गया है कि उत्पादन क्षमता और उत्पादन बढ़ा है परन्तु मजदूरों के वेतन उतने नहीं बढ़े हैं । निस्सन्देह, इस देश के श्रमजीवी अपने लिये उस सब चीज की आशा नहीं कर सकते, जो देश में पैदा होती है । समाज का भी इस राष्ट्रीय आय की वृद्धि में भाग है । आंकड़ों से पता चलता है कि जब हमने १९४७ में

† मूल अंग्रेजी में

स्वतन्त्रता प्राप्त की तब १९३९ की तुलना में वास्तविक मजूरी ७८·४ थी। जब हमने प्रजातंत्र व्यवस्था आरम्भ की तो वास्तविक मजूरी ७८·४ थीं जबकि १९३९ में १०० थी। निस्सन्देह, यह सरकार या हमारा गणतंत्र इस अन्तर के लिये उत्तरदायी है। हमारे स्वतन्त्र ता प्राप्ति के उपरांत क्या हमने प्रगति की है, यह प्रश्न है। आंकड़े बढ़ कर १९४८ में ८४·४ हो गये और १९४९ में ९१·७ तथा १९५० में ९२·१ और १९५१ में ९२·२, और १९५४ तक इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते १०२·७ हो गये। अर्थात् हमें जो अन्तर पूरा करना था, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले तीन वर्षों में ही पूरा हो गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, छंटनी तथा बेकारी में प्रतिकर और वेतन समेत छुट्टी आदि समाज सुरक्षा उपाय किये गये। यदि इन सबको जोड़ा जाय, तो हम निश्चय के साथ कह सकते हैं कि १९३९ की तुलना में आज औद्योगिक कर्मचारी का जीवन स्तर १५–२० प्रतिशत ऊंचा है।

†**श्री नम्बियार** : यह कैसे ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : १९३९ की तुलना में वह १०२·७ है। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि सवेतन छुट्टी आदि है जो १२ से १५ के बराबर होती है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : उसका वास्तविक मजूरी से सम्बन्ध किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न किया गया है जिससे यह कलह और झगड़ा न रहे। इस प्रश्न पर श्रम मंत्रालय ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है। श्रम मंत्रालय ने अपनी योजना, योजना आयोग को भेजी है। योजना आयोग ने लेबर पेनल के विभिन्न हितों से परामर्श किया है और चर्चा के पश्चात् यह निर्णय किया है कि देश के मुख्य उद्योगों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये, जिससे श्रमिकों की वास्तविक आय में वृद्धि का कोई तरीका निकाला जाय। मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग मजूरी बोर्ड के बारे में इस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा, जो लेबर पेनल ने योजना आयोग को भेजी है। और योजना आयोग की सिफारिशों पर जब वे सभा के सामने आयेंगी संसद् को विचार करने और उनमें परिवर्तन करने का अवसर मिलेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वे राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जैसा कि सभा को विदित है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी का सकल राष्ट्रीय आय से स्वाभाविक सम्बन्ध होगा। वह राशि उतनी अधिक नहीं होगी जैसा कुछ लोग समझते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें देश की सकल राष्ट्रीय आय पर भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या हमारी राष्ट्रीय आय से उन सब लोगों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी दी जा सकती है जो आठ घण्टे काम करते हैं। इस बारे में मेरा कुछ मतभेद हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने कृषि श्रम जांच समिति के प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। आप उसमें देखेंगे कि इस देश में लगभग १७६ लाख श्रमिक परिवार हैं और प्रति परिवार वार्षिक आय ४४७ रुपये है। उसके अतिरिक्त लगभग ३५५ लाख परिवार वे हैं जिन्हें कृषक परिवार कहा जाता है। उनमें भू-स्वामी कृषक और किसान सम्मिलित हैं और उनकी आय कृषि श्रमिक परिवार की आय से लगभग दुगुनी है। जब हम राष्ट्रीय न्यूनतम आय की ओर ध्यान देते हैं तो––ये लोग इकट्ठे जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत है––इसका इन लोगों से सम्बन्ध रखना होगा। उन्हें भी ऊपर उठाना है। हमें जो राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय मिलती है उसे समान रूप से बांटना है। राष्ट्रीय न्यूनतम आय के प्रश्न पर निश्चय ही उपयुक्त ढंग से और उपयुक्त समय विचार किया जायेगा। एक कारण यह भी है जिससे राज्य इन कृषि श्रमिकों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खंडूभाई देसाई]

की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना कठिन समझते हैं क्योंकि यह अनुभव करना चाहिये कि कृषि श्रमिकों में, जो देश की जनसंख्या का लगभग २२·७ प्रतिशत है, स्वामी, छोटे कृषक और किसान भी हैं जो हमारी जनसंख्या का लगभग ४५ प्रतिशत हैं। वे सेवानियोजक भी हैं। यदि उनके समक्ष एक विशेष न्यूनतम सीमा निश्चित की जाती है तो यह ४४७ रुपयों में से निकाली जायेगी, कृषि श्रमिकों की दुगुनी आय में से निकाली जायेगी जबकि वह भी स्तर के नीचे है। एक किसान या भू-स्वामी कृषक का धृत क्षेत्र औसतन ७·५ एकड़ है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगार है। अतः इस सभा में हममें से कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम अपने गांवों में रहने वाले ७० प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर उठाना चाहते हैं तो चाहे आप चाहें अथवा नहीं, हमें कुछ सहायक वृत्तियां अपनानी होंगी जिनका संचालन वे अपनी धन वृद्धि के लिये कर सकते हैं।

मेरा विचार है कि इन आंकड़ों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जो कि मैंने आपके समक्ष रखे हैं, हमें अवश्य अपनी विचारधारा में सुधार करना चाहिये।

वाद-विवाद में श्रम विधान के लागू करने के बारे में कहा गया था। इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जितने विधान संविधि पुस्तक में रखे गये हैं उन्हें उपयुक्त रूप से लागू किया जाये। नौकर और मालिकों में जो जागृति आ गई है और लोग विधान से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे बचाव में दो प्रकार के कार्य समभव हैं। एक कार्मिक सेवा का कार्य है अर्थात् श्रमिकों का संगठन बनाया जाये। वे ध्यान रखें कि जब कभी विधि का उल्लंघन हो, वे उस मामले को सरकार के पास भेजें, और सरकार को यह पद्धति प्रभावशाली बनानी चाहिये। मुझे यह कहते हुये हर्ष होता है कि जहां तक भारत सरकार और राज्य सरकारों का सम्बन्ध है उन्होंने गत कुछ वर्षों में निरीक्षण की व्यवस्था को सशक्त बनाया है।

श्री मूर्ति ने कहा है कि श्रम मंत्रालय के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय अन्य सभी मंत्रालयों के समान धरातल पर है और वह मंत्रिमंडल से अपनी उचित मांगों को मनवा लेता है। हमारा संयुक्त उत्तरदायित्व है और यदि श्रम मंत्रालय में कहीं गड़बड़ है तो उसके लिये मैं उत्तरदायी हूं। मैं किसी और को इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराता। न्यायाधिकरणों को भेजे गये विवादों के निबटारे में देरी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गई हैं। मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूं और इसीलिये जैसा श्री वेंकटरामन् ने कहा है, एक विस्तृत विधान बनाने के बदले हम एक संशोधक विधेयक लाना चाहते हैं जिसमें वर्तमान महत्व की समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है। वह विधेयक सभा के समक्ष है और मैं आशा करता हूं कि इस सत्र के स्थगित होने से पूर्व वह विधेयक विधि बन जायेगा। मैं सभा को हर्षपूर्वक सूचित करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने के अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने की कृपा की है। इस विधेयक को विधि बनाने के लिये १० घंटे का समय दिया गया है और विरोधी दल के सब सदस्य मेरे प्रति तथा सरकार के प्रति बहुत उदार हैं और उन्होंने कहा है कि वे यथा शीघ्र विधेयक को पारित करवा देंगे। मैं उनका आभारी हूं। निस्सन्देह मैं अपनी ओर से यह आश्वासन देता हूं कि विधेयक के चर्चा के हेतु प्रस्तुत किये जाने के पूर्व हम एक प्रकार की अनौपचारिक समिति बनायेंगे। जिन लोगों की इस विधेयक में अभिरुचि है उन सबको आमंत्रित किया जायेगा और निष्दल भाव से चर्चा करेंगे और यदि प्रक्रिया और अन्य बातों में कुछ संशोधनों की आवश्यकता हुई तो मुझे उन्हें स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी और उस विषय में मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

हमने इस समस्या पर कार्य मंत्रणा समिति में भली प्रकार चर्चा कर ली है और उन्होंने यह कहने की कृपा की थी कि विधेयक पारित किया जायेगा।

बैंक कर्मचारियों की ओर भी संकेत किया गया था। मुझे उनमे सहानुभूति है। परन्तु हमें ठीक तरह जानना चाहिये कि बैंक कर्मचारियों के नेतृत्व में जनवरी फरवरी में लोगों ने कैसा व्यवहार किया था। मैं बैंक विवाद के दुखप्रद विवाद का इतिहास नहीं बताना चाहता। श्री गजेन्द्र गाडकर ने अपना पंचाट दे दिया है। इस सभा ने पंचाट को गजेन्द्र गाडकर की शर्तों के साथ ही एकमत होकर पारित कर दिया है। पक्ष विपक्ष को गजेन्द्र गाडकर आयोग के समक्ष अपनी बात रखने की स्वतन्त्रता थी और आयोग ने कतिपय सिफारिशें की थी जिन के अन्तर्गत कर्मचारियों को सेन पंचाट के अन्तर्गत जो कुछ मिलता था उससे लभग ९०,००,००० रुपये वार्षिक अधिक दिया गया है। परन्तु कुछ लोगों के मामले में जैसा पहले बताया गया है, वर्तमान वेतन आदि में १२,००० रुपये की कमी की गई है। उस विधि को संसद् ने पारित किया था। जब बैंकर भुगतान नहीं करते तो उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं करता। पर यह विषय ऐसा है जिस पर समझौते की बातचीत और चर्चा की जा सकती है। बैंक कर्मचारी सन्था के दिमाग में यह आया कि वह लोगों से कहे वे तुरन्त इस विधि का विरोध करें और भद्दे प्रदर्शन और 'लेखनी कर्मविराम' हड़तालें करें और कुछ स्थानों पर बैंकरों को बाध्य करने के लिये कि वे उनकी मांगें पूरी करें हिंसात्मक कृत्य भी हुये। मैं उस वृत्तांत को कहना नहीं चाहता।

तत्पश्चात् बैंक कर्मचारियों में से कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि सन्था ने जिन उपायों का सुझाव दिया है वे उनका विरोध करते हैं। इस प्रश्न का निर्णय बैंक समवायों और विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के बीच किया जाना चाहिये। उन्होंने मुझ से कहा कि मैं इस सम्बन्ध में अपनी सेवा दूं। मैं ऐसा योग कैसे दे सकता हूं जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को निरन्तर उकसाता रहता है और बैंकों को भली प्रकार काम नहीं करने देता। तो भी लगभग पन्द्रह दिन पूर्व मैं बम्बई गया था और बैंक समवायों के कुछ प्रतिनिधि मुझे मिले। मैंने कहा कि कर्मचारियों ने जो कुछ भी किया है वे उसे और उनके दुर्व्यवहार को भूल जायें और जो न्याय संगत है वह करें और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। कम से कम कर्मचारियों में से बहुतों ने प्रदर्शन में भाग नहीं लिया था। मैंने उनमे पूछा कि आप उनके साथ अन्य के समान व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? आप अच्छा व्यवहार कर और इसके उत्तर में बैंक कर्मचारी अधिक अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस पर ध्यान देंगे।

सभा को ज्ञात होना चाहिये कि ये तीन सन्थायें हैं। एक राज्य बैंक के सम्बन्ध में है जिसमें कुल का लगभग चालीस प्रतिशत है। मारा उससे सम्बन्ध है। अन्य विनिमय बैंक हैं। तीसरे अन्य बैंक और उनकी सन्थायें हैं। इन तीनों को एक रूप से कार्य करना चाहिये। मैं समझता हूं कि वे परस्पर परामर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही वे अच्छा व्यवहार करेंगे और बैंक कर्मचारी उसकी सराहना करेंगे।

इसके साथ ही मैं बैंक कर्मचारियों को एक बात कहना चाहता हूं। जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, उन्हें अन्य सब औद्यागिक कर्मचारियों की तरह अपने कार्य करने के पुराने ढंग और तरीके छोड़ देने चाहियें। सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि सब के साथ न्याय किया जाय। हमने समय-समय पर संसद् में कहा है कि कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाये। पहले की तरह अनावश्यक आन्दोलन करने की क्या आवश्यकता है? हम सबको मिल कर धन उत्पादन कर आपस में बांटना चाहिये। धन के वितरण का तरीका सड़कों पर प्रदर्शन कर, हड़तालें और तालाबंदी कर निश्चित नहीं किया जा सकता। इसे तो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् ही तय करेगी। हमने लोक-तन्त्र का तरीका अपनाया है। आरम्भ में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है परन्तु समाज में समय-समय पर होने वाले झगड़ों को मिटाने का यही एकमात्र तरीका है। मैं समझता हूं कि हमें पुरानी चालें और पुराने तरीके छोड़ देने चाहियें। हड़ताल करने के अधिकार के स्थान पर हमें काम करने का अधिकार होना चाहिये जो हमें संविधान के अनुसार दिया गया है?

†**श्री नम्बियार** : क्या हम हड़ताल करने का अधिकार छोड़ दें ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : हमें नारा बदलना चाहिये । निवासस्थानों की दशा के बारे में मैं सहमत हूं कि बहुत से शहरी क्षेत्रों में दशा खराब है । उन को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । पिछले तीन सालों में सरकारी सहायता व ऋण योजना से लगभग ७८००० मकान बनाये गये हैं । इनमें अधिकांश राज्य सरकारों ने बनाये हैं । मालिकों ने इसका लाभ नहीं उठाया । इन के बनाने में हमने लगभग ३० करोड़ रुपया खर्च किया है । खान क्षेत्र में अधिक मकान बनाने की ज्यादा आवश्यकता है । मंत्रालय ने अब तय किया है कि मालिकों पर निर्भर रहने के स्थान पर मंत्रालय स्वयं मकान बनवाये—बस्तियां नहीं । बीस तीस मकानों के समूह में खान के पास के क्षेत्र में मकान बनाये जायें । ये खान श्रमिकों को दिये जायें । भूली बस्ती से, मुझे खेद है, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई । वह खान क्षेत्र से दूर है अतः खान श्रमिक वहां नहीं गये । स्वभावतः वे ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहते जो खान क्षेत्र से तीन चार मील दूर हो । मकान बनाने की योजना हम ने बदल दी है । पिछले दिन आवास मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय क्या विचार कर रहा है ? क्या मालिकों को कानूनन मकान बनाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता ? आवास मंत्रालय इस की जांच कर रहा है । हम शीघ्र ही इसका निर्णय करेंगे ।

श्री वेंकटरामन ने बागान की आज की स्थिति की तुलना सात साल पहले की स्थिति से की है । लगभग एक मास पहले मैं आसाम के बागान में गया था । मैं १९४८ में भी गया था । मैंने बागान श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं में बहुत अन्तर पाया है । उस में बहुत सुधार हुआ है । अभी भी बहुत कुछ किया जाना है नियम और विनिमयन पारित कर बागान अधिनियम पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है । उससे लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सुविधायें मिल जायेंगी । अधिनियम सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा । आसाम सरकार ने वचन दिया है कि अधिनियम के अधीन शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक तंत्र निकट भविष्य में ही काम करने लगेंगे । बागान अधिनियम की कार्यान्वित के बारे में अधिक शिकायतें नहीं रहीं ।

बागान मालिक खुद बागान अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये बड़े उत्सुक हैं । मैंने बागान श्रमिकों और मालिकों के दृष्टिकोण में बड़ा फ़रक पाया है ।

मैं मानता हूँ कि मद्रास में दशाएं इतनी अच्छी नहीं हैं । उन्हें सुधारने का जिम्मा मद्रास सरकार और हम सब का है ।

मैं कुछ बातों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा । सारे कटौती प्रस्तावों के उत्तर मेरे पास हैं । उनकी अवहेलना इस कारण नहीं की जायेगी कि उन पर चर्चा नहीं हो सकी । प्रत्येक सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के चतुर्थ स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां दूसरे स्तम्भ में दिये गये निम्नलिखित मांग शीर्षों के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारों का भुगतान करने के लिये आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को दी जायें—मांग संख्या ७१, ७२, ७३, ७४ और १३६ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुई, वे नीचे दी जाती हैं —सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
७०	श्रम मंत्रालय	१४,४९,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक	२२,३७,०००
७२	श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,५२,७९,०००
७३	काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन	१,९४,५१,०००
७४	असैनिक प्रतिरक्षा	१,०३,०००
१३६	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	५०,४२,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों, संख्या ५१ से ६२ और १३१ पर चर्चा आरम्भ करेगी। इसके लिये ८ घंटे नियत किये गये हैं। जो सदस्य चुने हुए कटौती प्रस्ताव उपस्थित करना चाहें वे उनकी संख्यायें १५ मिनट में पटल पर दे दें। भाषणों के लिये समय सीमा १५ मिनट होगी। वर्गों के नेताओं को २० मिनट दिये जायेंगे।

निम्नलिखित मांगें उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयो में)
५१	गृह-कार्य मंत्रालय	२,०४,७९,०००
५२	मंत्रिमंडल	३०,२९,०००
५३	दिल्ली	१,५३,९६,०००
५४	पुलिस	१,९३,८८,०००
५५	जनगणना ...	१७,९१,०००
५६	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२,०२,०००
५७	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	२,२१,४३,०००
५८	कच्छ	१,३५,३६,०००
५९	मनीपुर	१,१७,२६,०००
६०	त्रिपुरा	२,०१,२०,०००
६१	राज्यों से सम्बन्ध	३८,०६,०००
६२	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	४,८०,०९,०००
१३१	गृह कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,३४,७१,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री आरम्भ में कुछ कहना चाहेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) :** मैं अभी नहीं बोलूंगा।

†**डा० कृष्णास्वामी** (कांचीपुरम्) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय का ध्यान प्रशासन के चार बड़े दोषों की ओर दिलाना चाहता हूँ। आशा है कि माननीय मंत्री उन विभिन्न समस्याओं पर विचार करेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णास्वामी]

प्रशासन में कर्मचारियों की कमी के बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि कुछ पदों पर ऐसे लोग आ गये हैं जिन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं था इसके कारण वे अपने अधीन कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इसलिये एक निश्चित कार्य करने के लिये और अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। मेरा विचार है कि सरदार पटेल द्वारा कही गई बातें अब भी लागू होती हैं। हमने प्रशासनिक कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस विषय में नये सिरे से ध्यान देना चाहिये।

प्रतियोगी परीक्षाओं के अपने गुण हैं परन्तु इसका सम्बन्ध सेवा निवृत कर्मचारियों से है। उसी आधार पर पदों की पूर्ति होती है। हमें चाहिये कि हम कुछ अतिरिक्त कर्मचारी रखें जोकि दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले प्रशासनिक तंत्र में खपाये जा सकें। लोगों की शीघ्र पदोन्नति करना अच्छा नहीं है। इससे कार्य क्षमता घटती है। जो लोग केवल मंत्रियों को सलाह देने के लिये होने चाहियें उन्हें बहुत-सा अन्य कार्य भी करना पड़ता है इससे दोनों काम अच्छी तरह नहीं हो पाते। मेरा सुझाव है कि हमें विभिन्न आयु के लोगों में से और विस्तृत क्षेत्र से लोग भर्ती करने चाहियें, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं से हमें अच्छे कर्मचारी नहीं मिल सकते। लोगों की नियुक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर की जानी चाहिये। इस विषय में हमें सुयोजित आधार पर कार्य करना चाहिये। भर्ती करने के लिये लोक सेवा आयोग की विशेष सम्मति होनी चाहिये क्योंकि तदर्थ चुनावों से वे लोग आते हैं जिनकी सिफारिश इत्यादि होती है। हमें चार प्रकार के अर्थात् प्राविधिक, कार्यकारी, प्रबन्ध सम्बन्धी और प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त करने हैं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में एक विशेष लोगों को ही नहीं रखना चाहिये। राज्यों की सेवाओं को भी इसमें लिया जाना चाहिये। वहां के लोगों की इस सेवा में प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यदि छोटे स्तर की सेवाओं से लोगों को उस सेवा में प्रतिनियुक्त किया जायगा तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इससे लोगों की प्रान्तीयता जैसी संकुचित भावना भी दूर होंगी।

पिछड़े वर्ग के लोगों की भर्ती पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में इन लोगों को आयु सीमा तथा न्यूनतम योग्यता के बारे में रियायत दी गई हैं। इस वर्ग से लोग प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने में अधिक योगदान दे सकते हैं यदि इन्हें प्रशिक्षण के विशेष अवसर दिये जायें।

आजकल अस्थायी आधार पर पद बनाये जा रहे हैं। उसके बारे में कोई योजना नहीं है। बहुत से विभागों में ४० प्रतिशत राजपत्रित और ५० प्रतिशत अराजपत्रित पदाधिकारी पिछले १२ वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन नये विभाग खोले जा रहे हैं और इनके लिये भी अस्थायी आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये सब विभाग मुझे आशा है स्थायी नहीं होंगे। अतः कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी आधार पर की जानी चाहिये।

लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। अतएव सेवा निवृत्ति की आयु भी बढ़ा देनी चाहिये। ऐसा करने से उनके अधीन कर्मचारियों को हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज लोगों की सेवायें तदर्थ आधार पर बढ़ाई जा रही हैं और योग्य कर्मचारियों को इसके लिये याचना करनी पड़ती है। हमें ऐसे कर्मचारियों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

इंगलिस्तान के सम्राट सेवा आयोग की भी मैं सारांश में चर्चा करना चाहूँगा। उसमें दिये गये प्रशासनिक पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिये। प्राविधिक, कार्यकारी, प्रबन्ध सम्बन्धी

और प्रशासनिक सेवा में क्षैतिज चलिष्णुता की चर्चा की गई है। मैं सोचता हूँ कि प्राविधिक कर्मचारियों को प्रशासनिक सेवा में नहीं लेना चाहिये क्योंकि उसका अपना क्षेत्र है। योजना आयोग में वैज्ञानिकों को लेकर उन्हें प्रशासक बनाना ठीक नहीं है। वे प्रयोगशालाओं में काम करके ही समाज की अधिक भलाई कर सकते हैं। हमें प्रशासक कम अवस्था वाले लोगों में से चुनना चाहिये। हमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से भी दस-पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी लेने चाहियें और इसके लिये उन्हें अधिक वेतन भी देना चाहिये।

यद्यपि कर्मचारियों का वेतन वाणिज्य दरों पर नहीं दिया जा सकता किन्तु फिर भी उनमें उचित सम्बन्ध होना चाहिये। प्रशासक का कार्य सरल नहीं है। नीति सम्बन्धी विषयों पर सलाह देना कठिन कार्य है। सम्राट असैनिक सेवा आयोग ने जिसने ६ महीने पहले इंगलिस्तान की संसद् में अपना प्रतिवेदन दिया है इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।

सरदार पटेल ने राज्यों को मिलाकर एक बड़ा कार्य किया है। आशा है कि गृह-कार्य मंत्री अब प्रशासनिक तंत्र का पुनर्निर्माण करेंगे जिससे कि हम अपना नया कार्य भार सम्भाल सकें।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ११०९ उन लोगों के लिये विशेष संविहित उपबन्ध करने की आवश्यकता के बारे में हैं जिनकी संख्या भाषा की दृष्टि से राज्यों में कम है। हमारे सामने राज्य पुनर्गठन विधेयक शीघ्र ही आयेगा। इससे ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ जायेगी। प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री ने ऐसे लोगों की गारंटी देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है परन्तु उन्हें विधेयक में निहित नहीं किया गया है।

विधेयक में दो उपबन्ध किये गये हैं। पहला उपबन्ध खंड २१ (२)—क क्षेत्रीय परिषदें बनाने को बारे में है जो ऐसे अल्पसंख्यकों के बारे में सिफ़ारिशें देंगे। खंड ३५०-क के अनुसार राज्यों की सरकारें प्रयत्न करेंगी कि ऐसे अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्कूलों में अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाये। मेरा विचार है कि भाषा और संस्कृत सम्बन्धी कुछ विशिष्ट परिमाण रखे जाने चाहिये। अल्पसंख्यकों का इस बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। सिख इस बारे में भाग्यशाली हैं। उनके भय और चिंताओं को बहुत कुछ दूर तक हटा दिया गया है। भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की ओर से ठीक सुझाव नहीं आये हैं क्योंकि ऐसे अल्पसंख्यकों की संख्या तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद ही बढ़ेगी। मेरी जाति अल्पसंख्यक है इसलिये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि यदि स्पष्ट रूप से संविहित गारंटी नहीं दी गई और विशिष्ट परिमाण नहीं दिये गये तो उन्हें खतरा उत्पन्न हो जायगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है और संविधान में इसके लिये व्यवस्था की गई है। केवल शब्दों से कुछ नहीं होता धर्म निरपेक्षता तो हमें धीरे-धीरे लानी होगी। लोगों में मानसिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने होंगे। अभी भी भारतीय इतिहास परम्परा और विचारों में जातीयता और भाषा-वादिता भरी पड़ी है।

विधेयक में क्षेत्रीय परिषद् का उपबन्ध किया गया है परन्तु वे केवल परामर्शदात्री निकाय होंगे अतएव प्रभावी नहीं होंगे। वे केवल परामर्श ही दे सकेंगे जो प्रभावी तभी हो सकता है जब इस विषय में कुछ विधिक उपबन्ध किये जायें। अर्थात् यह उपबन्ध किया जाये कि अल्पसंख्यकों के बारे में क्षेत्रीय परिषद् में बहुमत से स्वीकृत विषय सरकार को मान्य होगा। यदि यह उपबन्ध कर भी दिया जाय तो इसकी क्या गारंटी है कि इस परिषद् में उन लोगों का बहुमत हो जो बहुमत भाषा-भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब संविधान भी ऐसे अवसरों की रक्षा न कर सका तब ऐसे निकायों की सिफारिशें उस कार्य को कैसे करेंगी। मैं अपने अनुभव और बड़े दुःख के साथ यह बात कह रहा हूँ कि एक राज्य सरकार ने जो कि अंग्रेजी भाषा को मिटाने के लिये तुली थी एक आदेश आंग्ल भारतीय और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रक एन्थनी]

अंग्रेजी स्कूलों को समाप्त करने के लिये जारी किया। वह बहुत अवैध और अन्याय की बात है। बहुत से समाचारपत्रों ने भी यह प्रचारित किया कि जो कुछ किया जा रहा है वह वैध और प्रगतिशील है। इससे हम बड़ी कठिनाई में पड़ गये। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय परिषदों ने क्या किया ? क्या वे सरकार और समाचारपत्रों के मत का खंडन करती हैं। मेरे विचार से वे उल्टा उनका साथ देती हैं। भाग्यवश हम इस विषय को न्यायालय में ले गये थे क्योंकि उससे संविधान और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता था।

यदि आप अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो इस विषय में विधेयक में ही उपबन्ध किया जाना चाहिये ताकि उन से सम्बन्धित मामलों को न्यायालय में ले जाया जा सके। उपर्युक्त मामले को यदि न्यायालय में न ले जाया गया होता तो हमारी अंग्रेजी भाषा समाप्त हो जाती।

कांग्रेस दल ने हमारे समाज के साथ बड़ा उदारतापूर्ण व्यवहार किया है। संविधान के अनुच्छेद ३३३ में विशेष उपबन्ध किये गये हैं। इन के अनुसार भाग क राज्य का राज्यपाल अन्य भारतीय समाज के व्यक्ति को उस समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशित कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति उस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना जाता है इसलिये प्रायः ऐसे समाज के संगठन द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को ही ले लिया जाता है। बम्बई स्कूल के मामले के उत्पन्न होने से पहले बम्बई सरकार भी ऐसा करती थी। परन्तु उसके बाद उसने इस समाज द्वारा नाम निर्देशित छः व्यक्तियों में से एक को भी नहीं लिया और ऐसे व्यक्तियों को लिया जो बम्बई राज्य में दस व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करता। बंगाल में भी यही किस्सा है। एक आंग्ल भारतीय को इसलिये ले लिया गया क्योंकि वह कांग्रेस दल का सदस्य बन गया था। इसलिये नहीं कि वह आंग्ल भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता था।

यह देखने के लिये कि संविहित गारंटियों के रहते हुए भी क्या किया जा रहा है, अनेक उदाहरण मौजूद हैं। शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के मामले को ही लीजिये। इन के सम्बन्ध में भी संविधान के अनुच्छेद ३३७ में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के सम्बन्ध में बड़ी ही उदार गारंटी दी गई है, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश और मद्रास राज्यों ने गैर-कानूनी ढंग से अवैधानिक कटौतियां कर ली हैं। पिछले तीन वर्षों से मैं अपनी शिकायतों को दूर कराने का प्रयास करता आ रहा हूं, परन्तु उत्तर प्रदेश और मद्रास राज्यों का यह अवैधानिक कार्य जारी है। मैं जानता हूं कि यदि कल को मैं न्यायालय की शरण में जाऊँ तो क्या होगा। इन अनियमितताओं को दण्डित किया जायगा। परन्तु क्या आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग को हर बार अपनी बातों की सत्यता को प्रमाणित कराने के लिये अदालत में जाते रहना और समय तथा धन व्यय करते रहना पड़े ? इसी लिये मैं चाहता हूं कि इन उपबन्धों को संविहित एवं न्यायसंभव दर्जा दिया जाये।

अल्पसंख्यक भाषा-समुदाय के लिये प्रारम्भिक-स्तर तक स्थानीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा सुविधायें प्रदान कराने वाला उपबन्ध—संविधान का अनुच्छेद ३५० (क)—भी एक अच्छा उपबन्ध है। परन्तु मुझे भय है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण संविधान के अनुच्छेद ४५ के समान ही यह भी प्रायः व्यर्थ ही हो जायेगा। परन्तु मैं आग्रह एवं आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि राज्य पुनर्गठन विधेयक में अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समूहों के लिये कोई गारंटी दी जानी है तो उसका उचित स्थान संविधान के अनुच्छेद २९ और ३० के साथ ही है। इस से अधिक उचित कोई कार्य हो ही क्या सकता है कि या तो इन अनुच्छेदों को, जो अल्प संख्यक भाषा-समूहों से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं, बढ़ा दिया जाये या इनमें ही कुछ बातें और जोड़ दी जायें। उदाहरण के लिये यदि किसी राज्य सरकार के पास अल्पसंख्यकों को उन की मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिये वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो वह अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं

अपने लिये एक शिक्षा-संस्था की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निर्वचन किया गया है बम्बई राज्य के प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार प्राप्त है।

अब, जब अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत यह अधिकार दिया जा चुका है, तब उसके साथ यह अधिकार भी होना चाहिये कि यदि वह अपनी शिक्षा-संस्थायें चला रहे हों तो उनको उसी के माध्यम से परीक्षायें लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी आशंका केवल इतनी ही है कि क्योंकि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, इसलिये यह संभव है कि कुछ राज्य सरकारें किसी अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समुदाय की भाषा विशेष को ही दबा देने का प्रयास करें। वह परीक्षा की अनुमति न देकर अथवा वापस लेकर, इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की जड़ों पर कुठाराघात कर सकती हैं।

मैंने जो मांग की है वह कोई अपने लिये नहीं की है। मैं इसकी देश के प्रत्येक अल्पसंख्यक भाषा-भाषी और स्थानीय समुदाय के लिये मांग कर रहा हूं। यदि आंध्र में तामिलों की कोई शिक्षा संस्था हो तो संविधान के अनुच्छेद ३० के अनुसार उनको इन संस्थाओं को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु यदि आंध्र सरकार कहे कि हम आपको तामिल के माध्यम से परीक्षायें नहीं देने देंगे, तो क्या यह उचित नहीं है कि तामिलों को अपनी शिक्षा संस्थाओं को उनसे, जहां तामिल माध्यम हो, सम्बद्ध करने का अधिकार दिया जाये ?

अन्त में, मैं गृहकार्य मंत्री से इस बात पर विचार करने का आग्रह करूँगा। अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समुदायों की कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार करने के लिये कोई केन्द्रीय अभिकरण होना चाहिये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केवल केन्द्रीय सरकार ही अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास की भावना उत्पन्न कर पायी है क्योंकि सभी राज्यों के रुखों और नीतियों में साम्य नहीं रहा है। इसलिये यदि अल्पसंख्यक भाषा-भाषी समुदायों में विश्वास उत्पन्न करना है तो एक केन्द्रीय अभिकरण की, जिसको इन समुदायों द्वारा विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई अपीलों को सुनने का अधिकार प्राप्त हो, स्थापना की जानी चाहिये।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मुझे अपने गृह-कार्य मंत्री को बधाई देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है और मुझे आशा है कि उनके अधीन केन्द्रीय सेवाओं के प्रशासन में और देश भर में अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए समुदायों की स्थिति में सुधार करने की दिशा में काफी प्रगति की जा सकेगी।

सबसे पहले मैं अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में कहूंगा। 'ख' श्रेणी के राज्यों के निर्माण के बाद, इन राज्यों के कुछ पदाधिकारियों की पदवृद्धि करके उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में ले लेने की एक योजना थी। परन्तु हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में अधिक प्रतिशत पदाधिकारियों की पदवृद्धि की गई और कुछ राज्यों में कम प्रतिशत पदाधिकारियों की पदवृद्धि की गई। इसके कारण निराशा और असंतोष फैला हुआ है। गृह-कार्य मंत्री को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि इन सब सेवाओं में किसी एक समान नीति का अनुसरण किया जाये।

अब मैं वेतन-क्रमों पर आता हूं। केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन और गाडगील प्रतिवेदन के आने के बाद हम देखते हैं कि खाई और भी चौड़ी हो गई है। कुछ राज्यों में वेतन-क्रम बहुत ही कम हैं, साथ ही हम यह भी देखते हैं कि केन्द्रीय वेतन-क्रम बहुत अधिक है। इसका परिणाम क्या होगा ? यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं लोक-सभा में इसके लिये दो-तीन वर्षों से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

आन्दोलन करता रहा हूं। राज्य सरकारों के कर्मचारियों में इस कारण बहुत असन्तोष है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बहुत ही अधिक वेतन दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत अन्तर हो तो बात समझ में आती है, परन्तु केन्द्रीय सरकार के वेतन तो अनुपातिक ढंग से अधिक हैं और इनके बीच खाई बहुत चौड़ी है। यह देश के लिये अच्छा नहीं है। इसलिये देश भर के लिये कोई एसी एक योजना होनी चाहिये जिसके द्वारा देश के किसी भी भाग में केन्द्रीय सेवा और राज्य सेवा के वेतनों में अधिक अन्तर न रह सके।

जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये चुनाव करने का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे नवयुवक योग्य हैं और उनकी अपनी आकांक्षायें हैं। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि उनका प्रारम्भिक वेतन आज की ऊंची दर पर नियत करना और अधिकतम वेतन १,००० रुपये निर्धारित करना कहां तक उचित होगा। उनकी भावनायें चाहे जो भी हों, हमारे प्रधान मंत्री के कथनानुसार सरकारी कर्मचारियों को अपने आप को सब से नीचा समझना चाहिये। यदि कोई पदाधिकारी अपने आपको बहुत ऊंचा समझने लगे तब तो दस या पन्द्रह वर्ष बाद यह स्थिति आ जायेगी कि वह किसी को भी अपने से ऊपर नहीं समझेगा। हम को अपने देश में ऐसे पदाधिकारी नहीं चाहियें। इसलिये हम को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि तथाकथित उच्च-पदाधिकारियों को आरम्भ में ही मोटी-मोटी तनख्वाहें न दी जायें। इसलिये इस सम्बन्ध में एक उचित योजना बनाई जानी चाहिये।

अपने राज्य त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यद्यपि त्रावनकोर-कोचीन का एकीकरण हुए ५ या ६ वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु फिर भी वहां की सेवाओं को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया है। कुछ विभागों का एकीकरण किया गया है, परन्तु वहां अब भी कानाफूसी, असंतोष और निराशा तथा निरुत्साह व्याप्त है। इस समय कुछ जोरदार कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि केरल राज्य का निर्माण किया जाने वाला है, और उसमें मलाबार का एक भाग मिल जायेगा और यह समस्या दुबारा सामने आयेगी। सरकार को अभी से इस बात की व्यवस्था करने के लिये तैयार रहना होगा जिससे कि नये राज्यों के निर्माण के बाद एकीकृत सेवाओं में कानाफूसी और निराशा के लिये कहीं कोई स्थान न रह सके।

केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्तियों के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं और अस्थायी पदों के लिये सम्बन्धित सचिवों अथवा विभागों द्वारा नियुक्तियां कर ली जाती हैं यह बात बुरी है। त्रावनकोर-कोचीन जैसे छोटे राज्य में तो चपरासी तक सेवा-आयोग द्वारा नियुक्त किये जाते थे क्योंकि लोगों को पक्षपात असह्य था।

हम देखते हैं कि दिल्ली में अनेक कार्यालय स्थित हैं। देश में इस तरह की एक धारणा फैली हुई है कि यहां किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में पक्षपातपूर्ण वातावरण है और इसको सहन नहीं किया जाना चाहिये। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व सभी स्थानों के लोगों को यह अनुभव करना चाहिये कि यह उनका अपना देश है और उनको उसकी सेवा करनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अनेक पदाधिकारियों की आवश्यकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं की एक योजना बना लेनी चाहिये। केवल इतना ही नहीं। संघ लोक सेवा आयोग को राज्यों का दौरा करना चाहिये। भरती काफ़ी पहले कर ली जानी चाहिये जिससे कि जब भी सरकार को आवश्यकता पड़े, उनके पास पत्र भेज दिये जायें और एक चौकीदार भी आयोग की दृष्टि से बचकर न जा सके। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। देश के कार्य में एकरूपता लाने के लिये यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद से एक वर्ष व्यतीत हो चुका है । उनको प्रतिवेदन से बड़ी-बड़ी आशायें हैं और वह सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। जातिवाद का अभिशाप समाप्त किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें और उन पर प्रस्थापित कार्यवाही की सूचना सदस्यों को दे दी जायेगी।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अत्यधिक जनसंख्या और बेकारी की समस्या है। उस राज्य की राजनीति पर भी इसका बहुत प्रभाव है। मैं जानता हूं कि हमारे गृह-कार्य मंत्री को शीघ्र ही इस समस्या की जांच करानी पड़ेगी अन्यथा उसको हल करना असम्भव हो जायेगा। उपनिवेशीकरण की योजनायें बनाई जानी चाहियें। वहां की जनता कहीं भी जाने और कठोर से कठोर श्रम करने के लिये भी तैयार है।

यदि उचित ढंग से कार्य किया जाये तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। वहां पूंजी को आकृष्ट किया जाना चाहिये। आपको छोटे पैमाने के कुटीरोद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

मुझे आशा है कि हमारे गृह-मंत्री और उनके सहकारी श्री दातार के योग्य नेतृत्व में इन बातों को ध्यान में रखा जायेगा और समस्याओं को यथाशीघ्र हल करने का प्रयास किया जायेगा।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त ज़िले—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया प्रतिवेदन काफ़ी व्यापक प्रकार का है। इसमें उस मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु जब मैं देश के अपने भाग में प्राप्त की गई वास्तविक सफलताओं की ओर देखती हूं तो मुझ को, दुर्भाग्यवश उन्हीं बातों को पुनः दोहराना पड़ता है जो मैंने पिछले वर्ष कही थीं।

चाहे वह आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो अथवा सामाजिक-सेवाओं के क्षेत्र में, भारत के मेरे भाग के पहाड़ी क्षेत्रों को उचित भाग नहीं मिला है।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में माल की निकासी और विक्रय के जरिये आसाम की पहाड़ियों और उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण में प्रायः एक समान हैं। पुरानी परिस्थितियां ही कायम हैं। जंगलों में संतरे, अन्य फल आदि, सुपारी और पान के पत्ते सड़ते हैं। बाहर ले जाते समय वह रास्ते में ही सड़ जाते हैं। उनके लिये उचित मूल्य भी नहीं मिलता है।

झूम की खेती करने की पुरानी प्रथा अब भी जारी है। पहाड़ी जनता को सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करने का ढंग सिखाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : साढ़े-पांच बज गये हैं। माननीय सदस्या कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें २०८१–२१३९

श्रम मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ होकर समाप्त हुई। मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई।

गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा।

M112LSD—15-11-57—190—GIPF